Azadi Ka Amrit Mahotsav

JKDFC

Your partners in Industrial Development in UT of J&K and UT of Ladakh

Annual Report 2024-25 | 20th

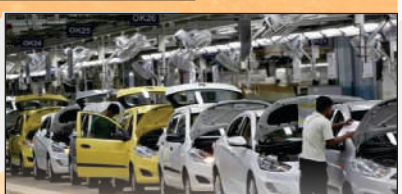

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू और क मीर (जे एंड के) – 180012

कॉर्पोरेट कार्यालय : भूतल, संगत घर, बेमिना, श्रीनगर (जे एंड के)–190014

शाखा कार्यालय : प्रथम तल, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह–194101

शाखा कार्यालय : प्रथम तल, आरएंडबी भवन, नया बस स्टैंड, इकबाल पुल के पास,
कारगिल यूटी लद्दाख–194103

Registered Officer : Ground Floor, Jawahar Lal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu (J&K)-180012

Corporate Officer : Ground Floor, Sanat Ghar,
Bemina, Srinagar (J&K)-190014

Branch Office : 1st Floor, DRDA Building, Cheetah Chowk, Leh-194101

Branch Office : 1st Floor, R&B Building, New Bus Stand, Near Iqbal Bridge,
Kargil U.T of Ladakh-194103

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25

प्रबंध निदेशक की कलम से

FROM THE MANAGING DIRECTOR'S DESK

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, 2005 में अपनी स्थापना के बाद से ही जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के औद्योगिक विकास में बहुआयामी भूमिका निभाते हुए, हम क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और वित्तीय सहायता में भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारा मुख्य कार्य इन क्षेत्रों में और इनके लिए विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य से, हम बिना किसी परेशानी के ऋण प्रदान करने, विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने, औद्योगिक परामर्श सेवाएँ, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

इन प्रयासों में, हमने खुद को केवल औद्योगिक गतिविधियों के वित्तपोषण तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि हम संभावित उद्यमियों से संवाद करते हैं और उनकी पूरी यात्रा में एक समर्पित हितधारक के रूप में उनके साथ काम करते हैं। हमने अपनी स्थापना के बाद से अब तक 12860.01 लाख रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिससे लोगों की उद्यमशीलता की भावना को बल मिला है और उसे क्षेत्रीय विकास की दिशा की ओर अग्रसर हैं। श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर) में कॉर्पोरेट कार्यालय और जम्मू (जम्मू–कश्मीर) में पंजीकृत कार्यालय के साथ, हमने लेह, लद्दाख में एक शाखा कार्यालय और कारगिल, लद्दाख में एक कैंप कार्यालय स्थापित किया है। ये कार्यालय लोगों की उद्यमशीलता की पहल को प्रोत्साहित करने और उनको अपने क्षेत्र के नजदीक सहायता प्रदान करते हैं।

वित्तपोषण के दौरान निगम के मुख्य उद्देश्यों के दायरे में अधिक से अधिक गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसमें पर्यटन उद्योग, यात्री और माल परिवहन के लिए छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटर, औद्योगिक उद्यमों, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को उपकरण वित्तपोषण और मिनी और लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न योजनाओं के तहत समग्र कार्यशील पूंजी अवधि ऋण वित्तपोषण, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना–"एजेकुशनल इन्सटीट्यूशन प्लस" और निजी अस्पतालों/क्लीनिकों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना –"होस्पीटल प्लस" शामिल हैं।

समय की ज़रूरतों के अनुसार खुद को नया रूप देते हुए, हमने अपने उत्पाद और सेवा आधार का विस्तार किया है और इसमें होम–स्टे के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना को भी शामिल किया है। इस विस्तृत पोर्टफोलियो से और ज़्यादा कारोबार होगा।

सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू और कश्मीर को दान के लिए स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं की खरीद के लिए 16.29 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

मैं इस क्षेत्र के विकास के प्रयासों में अपने सभी सम्मानित हितधारकों के सहयोग और साझा भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे और इस संबंध में रचनात्मक गतिविधियों में अपना सहयोग देने का वचन देते हैं। हम क्षेत्र के लोगों के सहयोग से समावेशी विकास और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रगति लाने की आशा करते हैं।

डॉ. काजल

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited since its inception in 2005 is working for the development of the regions of Jammu, Kashmir & Ladakh. While playing a multi-dimensional role in the industrial development of the UTs of Jammu-Kashmir & Ladakh, we are engaged in capacity building, awareness creation and financial support. Our primary activity is nurturing developmental activities in and for the regions. Towards this end, we are active in providing hassle free loans, distribution of centrally sponsored incentives across various sectors, industrial consultancy services, preparation and appraisal of project reports.

In these endeavors, we have not limited ourselves to just financing industrial activities, but we interact with prospective entrepreneurs and work with them as an engaged stakeholder throughout their journey. We have sanctioned loans worth over Rs. 12860.01 lakhs since inception bringing to life the entrepreneurial spirit of people and channeling it towards regional development. With the Corporate Office at Srinagar (J&K) and Registered Office at Jammu (J&K), we have established a branch office in Leh, Ladakh and a camp office at Kargil, Ladakh. These offices work to kindle and support the entrepreneurial initiatives of people.

During the course of financing more & more activities were covered under the ambit of main objects of the Corporation which include Tourism Industry, Small Road Transport Operators for passenger & cargo transportation, Equipment Financing to Industrial Enterprises, Construction Companies, Contractors & Diagnostic centres & providing financial assistance for setting up of Mini & Small Hydro-power projects, Composite Working Capital Term Loan Financing under Various Schemes, JKDFC Loan Scheme For Schools & Colleges –"Educational Institutional Plus" and JKDFC Loan Scheme For Private Hospitals/ Clinics – "Hospital Plus".

Reinventing in accordance with the needs of the times, we have widened our product and service base to include JKDFC loan scheme for home-stays. This enhanced portfolio shall generate more business.

As a CSR contribution, JKDFC has spent an amount of Rs. 16.29 Lakhs for procurement of health care items for donation to Govt. Medical College, Jammu, J&K.

I thank all our esteemed stakeholders for their support and shared engagement in striving towards the development of the region. We shall continue to work towards this end and promise our support to constructive activities in this regard. We hope to bring inclusive development and environmentally conscious progress with the support of the people of the region.

Dr. Kajal

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री अमरदीप सिंह भाटिया Shri Amardeep Singh Bhatia	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (13.9.2024 से प्रभावी) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 13.9.2024)
अध्यक्ष (पदेन) Chairman (Ex-officio)	श्री राजेश कुमार सिंह Shri Rajesh Kumar Singh	सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (20.04.2023 से 20.08.2024 तक) Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 20.04.2023 till 20.08.2024)
निदेशक / DIRECTORS		
निदेशक Director	श्री बालामुरुगन डी. Shri Balamurugan D.	संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (10–05–2023 से प्रभावी) Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 10-05-2023 till 01.11.2024)
निदेशक Director	सुश्री गुरनीत तेज Ms. Gurneet Tej	संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (05–11–2024 से) Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 05-11-2024)
निदेशक Director	श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे Shri Prashant Sitaram Lokhande	संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार। (19.01.2023 से प्रभावी) Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, Govt. of India. (w.e.f. 19.01.2023)
निदेशक Director	श्री संतोष डी वैद्य Sh. Santosh D Vaidya	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार। (16.06.2023 से) Principal Secretary, Department of Finance, Govt. of J&K. (w.e.f. 16.06.2023)
निदेशक Director	श्री विक्रमजीत सिंह Sh. Shri Vikramjit Singh	आयुक्त/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार। (26.05.2023 से) Commissioner/Secretary, Department of Industry & Commerce, Govt. of J&K. (w.e.f. 26.05.2023)

निदेशक Director	श्री संजीव खिरवार Shri Sanjeev Khirwar	प्रधान सचिव, सूचना एवं संचार, संघ शासित प्रदेश लद्दाख। (07.11.2023 से 14.07.2025 तक) Principal Secretary, I&C, UT of Ladakh. (w.e.f. 07.11.2023 till 14.07.2025)
निदेशक Managing Director	डॉ. काजल Dr. Kajal	निदेशक, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। (01.04.2024 से) Director, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, Govt. of India. (w.e.f. 01.04.2024)
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक Director representing LIC of India	श्री विनोद कुमार Shri Vinod Kumar	अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम , भारतीय जीवन बीमा निगम। (17.07.2025 से) Additional Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India. (w.e.f. 17.07.2025)
भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक Director representing LIC of India	श्री कुलदीप टिक्कू Shri Kuldeep Tickoo	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम। (06.06.2023 से 01.07.2025 तक) Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India. (w.e.f. 06.06.2023 till 01.07.2025)

जम्मू–और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

संदर्भ संख्याः डीएफसी/एजीएम-20 (2024-25)/584-597

दिनांकः 29–09–2025

सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड की 20वीं (बीसवीं) वार्षिक आम सभा का मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को शाम 6:00 बजे कमरा नंबर 225, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में निम्नलिखित कार्यबिन्दुओं के लिए में आयोजित की जाएगीः

साधारण व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ उन पर लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट और उक्त लेखापरीक्षित खातों पर सीएजी की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

विशेष व्यवसाय :

2. **श्री प्रशांत लोखंडे की कंपनी के निदेशक के रूप में** नियुक्ति को नोट एवं अनुमोदित किया जाता है । तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करें और इसे पारित करें:

''संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक के रूप में श्री प्रशांत लोखंडे की नियुक्ति कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(ख) के अनुसार अनुमोदित की जाती है।''

3. **सुश्री गुरनीत तेज** की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति को नोट एवं अनुमोदित किया जाता है । तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करें और इसे पारित करें:

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Ref. No.: DFC/AGM-20 (2024-25)/584-597

Dated: 29-09-2025

NOTICE

Notice is hereby given that the 20th (twentieth) Annual General Meeting of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Ltd. will be held on Tuesday, 30th day of September, 2025 at 06:00 P.M. at room no. 225, Vanijya Bhawan, New Delhi in hybrid mode to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31st March, 2025 along with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the comments of CAG on the said Audited Accounts in terms of the provisions of the Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

Special Business:

2. To note and approve the appointment of **Sh. Prashant Lokhande** as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

"Resolved that the appointment of Sh. Prashant Lokhande, as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company."

3. To note and approve the appointment of **Ms. Gurneet Tej** as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

''संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक के रूप में सुश्री गुरनीत तेज की नियुक्ति कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(बी) के अनुसार अनुमोदित की जाती है।''

4. **श्री विनोद कुमार** की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति को नोट एवं अनुमोदित किया जाता है । तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करें और इसे पारित करें:

श्री विनोद कुमार की नियुक्ति कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(ख) के अनुसार अनुमोदित की जाती है।''

"Resolved that the appointment of Ms. Gurneet Tej, as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company."

4. To note and approve the appointment of **Sh. Vinod Kumar** as Director of the Company in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company. Accordingly, the shareholders are requested to consider and to pass, with or without modification(s) the following resolution as an Ordinary Resolution:

"Resolved that the appointment of Shri Vinod Kumar, as a Director of the Company, be and is hereby approved in terms of Article 115(b) of the Articles of Association of the Company."

नोट्स:

1. बीसवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला विधिवत भरा हुआ दस्तावेज़ बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म एमजीटी–11) की एक प्रति संलग्न है।

2. कॉर्पोरेट सदस्यों/संस्थागत सदस्यों (भारतीय जीवन बीमा निगम और जे एंड के बैंक लिमिटेड) से अनुरोध है कि वे कंपनी (जेकेडीएफसी) के एसोसिएशन के अनुच्छेद 103(क)(ख)(ग) और अनुच्छेद 104 का अवलोकन करें, जिसका उद्धरण संलग्न है।

3. उपरोक्त नोटिस में उल्लिखित मदों के समर्थन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार एजेंडा नोट्स/व्याख्यात्मक विवरण संलग्न हैं।

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the Twentieth Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf, and the proxy need not be a member of the Company. The duly completed instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the Meeting. A copy of the Proxy Form (Form MGT-11) is enclosed.

2. Corporate members /institutional members (LIC of India & The J&K Bank Ltd.) are requested to peruse Article 103(a)(b)(c) and Article 104 of Articles of Association of the Company (JKDFC), extract of which is enclosed.

3. The Agenda Notes/Explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in support of the items mentioned in the notice hereinabove are enclosed.

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार कंपनी (जेकेडीएफसी) के सभी शेयरधारकों द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, यह 20वीं एजीएम कम समय के नोटिस पर बुलाई जा रही है।

5. निगम की 20 वीं वार्षिक आम बैठक में वर्चुअली/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने के लिए वेब लिंक इस मेल में दिया गया है।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता/–
(सीएस कामाक्षी सिंह)
सहायक महाप्रबंधक – सीएस

प्रतिलिपि: कंपनी के सभी सदस्यों, जेकेडीएफसी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों को।

4. As per consent given by all the shareholders of the Company (JKDFC) pursuant to Section 101 (1) of the Companies Act, 2013, this 20th AGM is being convened at a shorter notice.

5. The web link for joining the 20th Annual General Meeting of the Corporation virtually/video conferencing is provided herewith in the mail.

By Order of the Board
Sd/-
(CS Kamakshi Singh)
Assistant General Manager-CS

Copy to: All members of the Company, Directors and Auditors of JKDFC.

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए निगम के प्रमुख अधिकारीः

निगमः

1. श्री गौहर आरिफ
   महाप्रबंधक
2. श्री मुदासिर अहमद डार
   मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सीएस कामाक्षी सिंह
   कंपनी सचिव

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION FOR FY 2024-25:

CORPORATION:

1. Shri Gowhar Arif
   General Manager
2. Shri Mudasir Ahmad Dar
   Chief Financial Officer
3. CS Kamakshi Singh
   Company Secretary

ऑडिटर

1. **मैसर्स विपेन सेठ एंड एसोसिएट्स,**
   चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
   वैधानिक ऑडिटर
2. **गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स,**
   कंपनी सचिव
   सचिवीय ऑडिटर
3. **मैसर्स केआरए एंड कंपनी,**
   चार्टर्ड अकाउंटेंट
   टैक्स कंसल्टेंट

AUDITORS:

1. **M/s Vipen Seht & Associates,**
   Chartered Accountants
   Statutory Auditor
2. **Gupta Moneesh & Associates,**
   Company Secretary
   Secretarial Auditor
3. **M/s KRA & Co.,**
   Chartered Accountants
   Tax Consultant

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य गण

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 20 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचयः

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी स्थापना की तिथि 30.05.2005 को की गई थी तथा इसने अपना काम काज दिनांक 28.07.2005 से शुरु किया था। निगम की स्थापना पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी, ताकि भावी उद्यमियों को अपने औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में परेशानी मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और जून, 2002 के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए औद्योगिक पैकेज के अनुसरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संचालित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों औद्योगिक इकाइयों को भारत सरकार के प्रोत्साहनों के वितरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जा सके।

वित्तपोषण के दौरान, निगम के मुख्य उद्देश्यों के दायरे में अधिक से अधिक गतिविधियाँ शामिल की गईं, जिनमें पर्यटन उद्योग, यात्री एवं माल परिवहन के लिए छोटे सड़क परिवहन संचालक, औद्योगिक उद्यमों, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को उपकरण वित्तपोषण और लघु एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समग्र कार्यशील पूंजी सावधि ऋण वित्तपोषण, स्कूलों और कॉलेजों के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना – "ऐजुकेशन इन्सटीट्यशन प्लस", निजी अस्पतालों/क्लिनिकों के लिए

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

DIRECTORS' REPORT

To the members

Your Directors have pleasure in presenting the 20th Annual Report together with the Audited Financial Statements and the Auditor's Report thereon for the period ended 31st March, 2025.

Introduction:

Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd is a Central Public Sector Enterprise under administrative control of DPIIT with its date of incorporation as 30.05.2005 and date of commencement of business as 28.07.2005. The Corporation was established with the prime objective of giving boost to the industrial sector of the erstwhile State of Jammu and Kashmir and now to the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh by way of providing hassle free financial assistance to the prospective entrepreneurs in the shape of term loan and working capital term loan for setting up their industrial ventures and acting as a Nodal Agency for disbursement of the GOI incentives to the industrial units, both manufacturing & Service sector operating in the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh in pursuance of June, 2002 the Industrial Package for J&K and Ladakh. The lending activity was started in the year 2009-10 after notifying the Lending policy & seeking other requisite approvals.

During the course of financing more & more activities were covered under the ambit of main objects of the Corporation which include Tourism Industry, Small Road Transport Operators for passenger & cargo transportation, Equipment Financing to Industrial Enterprises, Construction Companies, Contractors & Diagnostic centres & providing financial assistance for setting up of Mini & Small Hydro-power projects. Further, the lending portfolio of the Corporation was widened by providing additional credit facilities in the form of Composite Working Capital Term Loan

जेकेडीएफसी ऋण योजना– "होस्पीटल प्लस" और होम स्टे के लिए जेकेडीएफसी ऋण योजना के रूप में अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान करके निगम के ऋण वितरित करने के लिए क्षेत्रों का विस्तार किया गया। इस बढ़े हुए क्षेत्रों से भविष्य में भी अधिक व्यवसाय उत्पन्न होने की उम्मीद है।

उत्पाद एवं सेवा आधार के विस्तार के परिणामस्वरूप निगम की पहुंच एवं ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है।

जेकेडीएफसी अपने स्थापना उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है और निरंतर प्रगति कर रहा है तथा अपने कार्यों को निरंतर निष्पादित कर रहा है। 31.03.2025 तक जेकेडीएफसी की कुल संपत्ति 174.29 करोड़ रुपये से बढ़कर 184.53 करोड़ रुपये हो गई है।

यह उल्लेख करना उचित है कि जेकेडीएफसी उन बहुत कम सरकारी गैर–बैंकिंग गैर–जमा वित्तीय निगमों में से एक है जो लाभप्रद आधार पर काम कर रहे हैं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

जहां तक नोडल एजेंसी की भूमिका का सवाल है, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान जेकेडीएफसी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डीपीआईआईटी, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी इकाइयों को 24582.58लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न केंद्रीय सरकारी प्रोत्साहनों के तहत 101541.81 लाख रुपये की राशि वितरित की है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंकः

कंपनी की एक वेबसाइट www.jkdfc.org और कंपनी का वार्षिक रिटर्न इसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इसका लिंक नीचे दिया गया हैः https://drive.google.com/file/d/1H9bi9tcPUZExIk4q9pdfgSXX6lFQrUF1/view

Financing under Various Schemes, JKDFC Loan Scheme For Schools & Colleges –"Educational Institutional Plus", JKDFC Loan Scheme For Private Hospitals/ Clinics – "Hospital Plus" and JKDFC Loan Scheme for Home Stays. This enhanced portfolio is expected to generate more business in the future as well.

This widening of product & services base has resulted in increase in outreach & loan portfolio of the Corporation.

JKDFC is on the way of attaining the objective for which it was setup and is progressing and performing its functions steadily. JKDFC's Net Worth has increased from Rs. 174.29 Crore to Rs 184.53 Crore as on 31.03.2025.

It is worthwhile to mention that JKDFC is amongst very few Govt run Non-Banking Non Deposit Financial Corporations which are operating on profitable lines and are providing financial assistance to the entrepreneurs.

As regards its Nodal Agency role, during the year under report an amount of Rs 24582.58 lakh has been disburse by JKDFC to the beneficiary units under various schemes of DPIIT, GOI in the UT of J&K & UT of Ladakh.

Till date Corporation has disbursed an amount of Rs 101541.81 lakh under various central Govt. Incentive in the UT of J&K & UT of Ladakh.

Web link of annual return:

The company is having website i.e. www.jkdfc.org and annual return of the company has been published on such website. Link of the same is given below: https://drive.google.com/file/d/1H9bi9tcPUZExIk4q9pdfgSXX6lFQrUF1/view

प्रबंधन:

31 मार्च, 2025 तक निगम के कार्यों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया गया, जिसका संविधान नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

- श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन); निदेशक 20.04.2023 से 20.08.2024 तक;
- श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन); 13.09.2024 से निदेशक;
- श्री बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 10–05–2023 से 01.11.2024 तक;
- सुश्री गुरनीत तेज, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – निदेशक 05.11.2024 से;
- श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार–निदेशक 19.01.2023 से;
- श्री संतोष डी. वैद्य, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार– निदेशक; 16.06.2023 से;
- श्री विक्रमजीत सिंह, आयुक्त/सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार– निदेशक 26.05.2023 से;
- श्री कुलदीप टिक्कू, निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम– भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, 06.06.2023 से 01.07.2025 तक;
- श्री विनोद कुमार, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम, भारतीय जीवन बीमा निगम– 17.07.2025 से भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक;
- डॉ. जिविषा जोशी गंगोपाध्याय, उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – प्रबंध निदेशक 22–03–2022 से 01.04.2024 तक;

Management:

The affairs of the Corporation as on 31st March, 2025 were managed by Board of Directors, constitution whereof is detailed hereunder:

- Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI- Chairman (Ex-officio); Director w.e.f 20.04.2023 till 20.08.2024;
- Shri Amardeep Singh Bhatia, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Chairman (Ex-officio); Director w.e.f 13.09.2024;
- Shri Balamurugan D., Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI- Director w.e.f. 10-05-2023 till 01.11.2024;
- Ms. Gurneet Tej, Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI- Director w.e.f. 05.11.2024;
- Shri Prashant Sitaram Lokhande, Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, GOI- Director w.e.f. 19.01.2023;
- Shri Santosh D. Vaidya, Principal Secretary, Finance Department, Govt. of J&K - Director; w.e.f. 16.06.2023;
- Shri Vikramjit Singh, Commissioner/ Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K – Director w.e.f. 26.05.2023;
- Shri Kuldeep Tickoo, Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India - Director representing LIC of India w.e.f. 06.06.2023 till 01.07.2025;
- Shri Vinod Kumar, Director, Additional Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India - Director representing LIC of India w.e.f. 17.07.2025;
- Dr. Jivisha Joshi Gangopadhyay, Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Managing Director w.e.f. 22-03-2022 till 01.04.2024;

- डॉ. काजल, निदेशक एसपीएस, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – प्रबंध निदेशक 01–04–2024 से;
- श्री संजीव खिरवार, आईएएस, प्रमुख सचिव, आई एंड सी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख– निदेशक 07. 11.2023 से 14.07.2025 तक।

बोर्ड, निगम के कार्यकरण में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं योगदान के लिए उनकी प्रशंसा तथा सराहना व्यक्त करता है।

मानव संसाधनः

निगम सीमित कर्मचारियों के साथ कार्य करता रहा, जिसमें 03 सहायक महाप्रबंधक शामिल थे, जिनमें एक सहायक महाप्रबंधक (पीएफ–कश्मीर) को महाप्रबंधक का प्रभार दिया गया था, 01 कंपनी सचिव और 11 अन्य अधि ाकारी तथा कर्मचारी तथा 6 संविदा कर्मचारी शामिल थे।

31 मार्च, 2025 तक निगम के कुल कर्मचारियों की संख्या 21 थी।

निगम का प्रदर्शनः

(i) उधार गतिविधिः

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, रिपोर्टाधीन वर्ष (2024–25) के दौरान 1175.36 लाख रुपये की राशि के लिए सावधि ऋण मामले स्वीकृत किए गए, जबकि पिछले वर्ष 2023–24 में यह राशि 1621.31 लाख रुपये थी।

वर्ष 2024–25 के दौरान 939.22 लाख रुपये का संवितरण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2023–24 में यह राशि 726.37 लाख रुपये थी। 31 मार्च, 2025 तक कुल स्वीकृतियाँ क्रमशः **12860.85** लाख रुपये और संवितरण **9366.56** लाख रुपये था, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया हैः–

31.03.2025 तक जम्मू/कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की स्वीकृतियां/संवितरण

- Dr. Kajal, Director SPS, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Managing Director w.e.f. 01-04-2024;
- Shri Sanjeev Khirwar, IAS, Principal Secretary, I&C, UT of Ladakh – Director w.e.f. 07.11.2023 till 14.07.2025.

The Board places on record its appreciation for the valuable guidance & contribution made by outgoing Directors during the year under report in the functioning of the Corporation.

Human Resource:

The Corporation continued to function with limited staff strength which consisted of 03 Assistant General Managers including one Assistant General Manager (PF- Kashmir) given the charge of General Manager, 01 Company Secretary and 11 other officers and officials along with 6 contractual employees.

The total staff strength of the Corporation as on 31st March, 2025 stood at 21.

Performance of the Corporation:

(i) Lending Activity:

During the year ending 31st March, 2025 term Lending cases for an amount of Rs.1175.36 lakh were sanctioned during the year under report (2024-25) as compared to Rs.1621.31 lakh in the previous year 2023-24.

Disbursement to the tune of Rs.939.22 lakh has been made during the year 2024-25 as compared to Rs.726.37 lakh in the previous year 2023-24. The aggregate sanctions as on 31st March, 2025 stood at Rs. **12860.85** lakh & the disbursement of Rs. **9366.56** lakh respectively, detailed break up whereof is given hereunder:-

Sanctions/Disbursements of Jammu/ Kashmir & Ladakh Regions as on 31.03.2025

(लाख रुपए में)/(Rs. in lakh)

31.03.2025 तक स्वीकृतियां / संवितरण / Sanctions / Disbursements as on 31.03.2025							
क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	31.03.2024 तक Up to 31.03.2024		2024–2025 के दौरान During 2024-2025		31.03.25 तक संचयी Cumulative as on 31.03.25	
		विवरण Sanction	स्वीकृत Disbursement	विवरण Sanction	स्वीकृत Disbursement	विवरण Sanction	स्वीकृत Disbursement
1	औद्योगिक क्षेत्र Industrial Sector	2745.89	1657.93	215.00	250.30	2960.89	1908.23
2	पर्यटन Tourism	3122.44	1553.73	300.00	62.74	3422.44	1616.47
3	उपकरण वित्तपोषण Equipment Financing	846.37	808.62	188.22	180.40	1034.59	989.02
4	परिवहन (एसआरटीओ) Transport (SRTO)	4970.79	4407.06	472.14	445.78	5442.93	4852.84
	कुल / TOTAL	**11685.49**	**8427.34**	**1175.36**	**939.22**	**12860.85**	**9366.56**

निगम नवोदित और उत्साही उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है।

ii) नोडल एजेंसी:

नोडल एजेंसी की भूमिका के संबंध में, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान जेकेडीएफसी द्वारा डीपीआईआईटी, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी इकाइयों को 24582.58 लाख रुपये की राशि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वितरित की गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2024–2025 के लिए

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि लाखों में
1	प्रोत्साहन योजना I और II का विशेष पैकेज	21.10
2	औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) 2017	2038.48
3	नई केंद्र क्षेत्र योजना 2021	22523.00
	कुल	**24582.58**

आज तक निगम ने केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोत्साहनों के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 101541.81 लाख रुपये की राशि वितरित की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

The Corporation is making its best efforts in order to grasp more and more lending to the budding and enthusiastic entrepreneurs.

ii) Nodal Agency:

As regards its Nodal Agency role, during the year under report an amount of Rs 24582.58 lakh has been Disbursed by JKDFC to the beneficiary units under various schemes of DPIIT, GOI in the UT of J&K & UT of Ladakh as per the detail given below:-

For the Year 2024-2025

S. No.	Name of Scheme	Amount in lakhs
1	Special Package of Incentive I& II	21.10
2	Industrial Development Scheme (IDS) 2017	2038.48
3	New Center Sector Scheme 2021	22523.00
	Total	**24582.58**

Till date Corporation has disbursed an amount of Rs 101541.81 lakh under various central Govt. Incentive in the UT of J&K & UT of Ladakh as per detail given below:

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि लाखों में
1	प्रोत्साहन योजना I और II का विशेष पैकेज	53790.11
2	परिवहन सब्सिडी योजना/एफएसएस 2013	3483.96
3	औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) 2017	9290.34
4	नई केंद्र क्षेत्र योजना 2021	34977.40
	कुल	**101541.81**

iii) कार्य परिणामः

निगम ने वर्ष 2024–25 के दौरान 1691.08 लाख रुपये की आय अर्जित की, जिसमें सावधि जमा पर ब्याज के रूप में 1029.62 लाख रुपये और परिचालन से आय के रूप में 661.46 लाख रुपये शामिल हैं, जैसे कि ऋण और अग्रिम पर ब्याज, अग्रिम शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और वर्ष के दौरान जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर लिया गया शुल्क। वर्ष के लिए कर–पश्चात लाभ 1024.32 लाख रुपये रहा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः–

सकल आय	1691.08 लाख रुपये
मूल्यह्रास, असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ	1412.24 लाख रुपये
मूल्यह्रास	5.47 लाख रुपये
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	1406.77 लाख रुपये
कर के बाद लाभ (पीएटी)	1024.32 लाख रुपये

जेकेडीएफसी में कार्यस्थल (पीओएसएच) पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारणः

निगम ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में सभी प्रशासनिक कार्यालयों में एक ''आंतरिक शिकायत समिति'' का गठन किया है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः

i)	श्रीमती नवनीत कौर, एजीएम, जेकेडीएफसी	पीठासीन अधिकारी
ii)	श्री मुदासिर अहमद, एजीएम, जेकेडीएफसी	सदस्य

S. No.	Name of Scheme	Amount in lakhs
1	Special Package of Incentive I& II	53790.11
2	Transport Subsidy Scheme/ FSS 2013	3483.96
3	Industrial Development Scheme (IDS) 2017	9290.34
4	New Center Sector Scheme 2021	34977.40
	Total	**101541.81**

iii) Working Results:

The Corporation earned an income of Rs. 1691.08 lakh during 2024-25 which included Rs 1029.62 lakhs as interest on term deposits and Rs.661.46 lakh as income from operations viz. interest on loan & advances, upfront fee, processing fee and fee charged by preparation of Detailed Project Reports (DPR) issued during the year. The profit after tax for the year was Rs. 1024.32 lakh as enumerated hereunder:-

Gross Income	Rs. 1691.08 lakh
Profit before depreciation, extraordinary items & tax	Rs. 1412.24 lakh
Depreciation	Rs. 5.47 lakh
Profit before Tax (PBT)	Rs. 1406.77 lakh
Profit after Tax (PAT)	Rs. 1024.32 lakh

Redressal of Complaints of Sexual Harassment of Woman at work place (POSH) in JKDFC:

The Corporation has constituted an "Internal Complaints Committee" at all administrative office in adherence to The Sexual Harrasment of Women at Workplaces (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The committee consists of the following member:

i)	Mrs. Navneet Kour, AGM, JKDFC	Presiding Officer
ii)	Mr. Mudasir Ahmad, AGM, JKDFC	Member

iii)	सीएस कामाक्षी सिंह, एजीएम–सीएस	सदस्य
iv)	श्रीमती प्रियंका गुप्ता, प्रबंधक, जेकेडीएफसी	सदस्य
v)	श्री नवीद महमूद अहमद, अधिवक्ता एवं वरिष्ठ रेजिडेंट फेलो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान, कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, तीन निदेशकों (02 गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों) वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन 23–09–2020 को 27.07.2023 तक विधिवत किया गया था।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाएगी तो जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तेंः

1. प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगे–

i. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;

iii)	CS Kamakshi Singh, AGM-CS	Member
iv)	Mrs. Priyanka Gupta, Mgr. JKDFC	Member
v)	Sh. Naveed Mehmood Ahmad. Advocate & Senior resident Fellow, Vidhi Centre for legal policy, New Delhi	Member

During the financial year 2024-2025, there was NIL complaint(s) recorded pertaining to sexual harassment with Internal complaints committee as per Sexual Harassment of Women at Workplaces (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Audit Committee:

In terms of Section 177 of the Companies Act, 2013, an Audit Committee of the Board comprising of three directors (02 non-official Independent Directors) was duly constituted on 23-09-2020 till 27.07.2023.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

The Terms of Reference of the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013:

1. Every Audit Committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the Board which shall, inter alia, include—

i. the recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;

ii. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

iii. वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

iv. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन;

v. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;

vi. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

2. लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और वित्तीय विवरण की समीक्षा सहित, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है तथा आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

3. लेखापरीक्षा समिति को उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मदों से संबंधित किसी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से पेशेवर सलाह प्राप्त करने की शक्ति होगी तथा कंपनी के अभिलेखों में निहित सूचना तक उसकी पूर्ण पहुंच होगी।

4. किसी कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा, जब वह लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

5. धारा 134की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट में लेखापरीक्षा समिति की संरचना का खुलासा किया जाएगा और जहां बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की किसी

ii. review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

iii. examination of the financial statement and the auditors' report thereon;

iv. approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;

v. scrutiny of inter-corporate loans and investments;

vi. valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;

vii. evaluation of internal financial controls and risk management systems;

viii. monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.

2. The Audit Committee may call for the comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including the observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board and may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and the management of the company.

3. The Audit Committee shall have authority to investigate into any matter in relation to the items specified in sub-section (4) or referred to it by the Board and for this purpose shall have power to obtain professional advice from external sources and have full access to information contained in the records of the company.

4. The auditors of a company and the key managerial personnel shall have a right to be heard in the meetings of the Audit Committee when it considers the auditor's report but shall not have the right to vote.

5. The Board's report under sub-section (3) of section 134 shall disclose the composition of an Audit Committee and where the Board had

सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, वहां ऐसी रिपोर्ट में उसके कारणों सहित उसका उल्लेख किया जाएगा।

6. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया जाएगा जहाँ वे अपनी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की सूचना दे सकें। इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित किए जाने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएँगे और उचित या असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का प्रावधान किया जाएगा। बशर्ते कि इस तंत्र की स्थापना का विवरण कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, और बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

निदेशक का उत्तरदायित्व कथनः

अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार तथा उन्हें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निम्नलिखित कथन देते हैं।

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही भौतिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

2. उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया है तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

3. कंपनी की परिसंपसत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है;

4. 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं; और

not accepted any recommendation of the Audit Committee, the same shall be disclosed in such report along with the reasons thereof.

6. A vigil mechanism for the directors and employees to report their genuine concerns or grievances and shall provide for adequate safeguards against victimization of persons who use such mechanism and make provision for direct access to the chairperson of the Audit Committee in appropriate or exceptional cases. Provided that the details of establishment of such mechanism shall be disclosed by the company on its website, if any, and in the Board's report.

Directors Responsibility Statement:

To the best of their knowledge and belief and according to the information and explanations furnished to them, your Directors make the following statement in terms of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013.

1. that in the preparation of Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2025, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;

2. that appropriate accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates that are reasonable and prudent have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

3. that proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing fraud and other irregularities;

4. that the Annual Accounts for the period ended 31st March, 2025 have been prepared on a going concern basis; and

5. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

सार्वजनिक जमा, संबंधित पार्टी अनुबंध और निवेशः

निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता या अपने कर्मचारियों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

वर्ष के दौरान किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म संख्या एओसी–2 (अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ निश्चित लेन–देन शामिल हैं, **अनुबंध–I में संलग्न है**।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत किसी व्यक्ति को निवेश करने, ऋण देने या गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी शून्य है।

बोर्ड समितियाँः

1. लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति भी 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ कई बार उठाया गया

5. that proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws have been devised and such systems are adequate and are operating effectively.

Public Deposits, Related Party Contracts and Investments:

The Corporation has not accepted any deposits from the public or its employees during the year under review.

No contract or arrangement was entered into with a related party during the year, so information to be disclosed under Section 188 (1) of the Companies Act, 2013 is Nil.

Form No. AOC-2 (Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014) for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto is **annexed at Annexure - I**

The information required under section 186 of the Companies Act, 2013 making of investment or giving of loan or providing guarantee to any person is Nil.

Board Committees:

1. **Audit Committee:**

In terms of Section 177 of the Companies Act, 2013, an Audit Committee of the Board comprising of non-official Independent Directors also was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT

है। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों वाली बोर्ड की एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति भी 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कई बार डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसारजब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी तो नामांकन और पारिश्रमिक समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों वाली बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति भी 27.07.2023 तक विधिवत गठित की गई थी। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कई बार डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति का वैध रूप से गठन करेगा जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

& DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

2. Nomination and Remuneration Committee:

In terms of Section 178 of the Companies Act, 2013, a Nomination and Remuneration Committee of the Board comprising of non-official Independent Directors also was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Nomination and Remuneration Committee is not constituted as per section 178 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Nomination and Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

3. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee of the Board comprising of non-official Independent Directors also was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Corporate Social Responsibility (CSR) committee is not constituted as per section 135 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) committee as per section 135 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, जहां किसी कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व के तहत खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख से अधिक नहीं है, वहां सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी और ऐसे मामलों में ऐसी समिति के सभी कार्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निगम का सीएसआर व्यय पचास लाख रुपये से काफी कम था। तदनुसार, निगम को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और समिति के कर्तव्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा।

बोर्ड की बैठकों की संख्याः

वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	बोर्ड बैठक सं.	दिनांक	निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	50 वीं बोर्ड बैठक	15 अप्रैल, 2024	08	05
2.	51 वीं बोर्ड बैठक	05 अगस्त, 2024	08	04
3.	52 वीं बोर्ड बैठक	23 सितंबर, 2024	08	05
4.	53 वीं बोर्ड बैठक	24 दिसंबर, 2024	08	06

कर्मचारियों के विवरण के बारे में विवरण :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम के किसी भी कर्मचारी को पूरे वर्ष में साठ लाख रुपये या उससे अधिक का पारिश्रमिक नहीं मिला, या यदि वह वर्ष के किसी भाग में कार्यरत रहा हो तो उसे पाँच लाख रुपये या उससे अधिक मासिक पारिश्रमिक नहीं मिला। अतः कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी शून्य है।

However, as per Section 135(9) of the Companies Act, 2013, where the amount to be spent by a company under its CSR Obligation does not exceed fifty lakh, the requirement of constitution of CSR Committee shall not be applicable and all the functions of such committee in such cases shall be discharged by the Board of Directors of the company.

The CSR expenditure of the Corporation for the financial year 2024-25 was much below Rupees fifty lakh. Accordingly, the Corporation is not required to constitute a CSR Committee for FY 2024-25 and the duties of the Committee shall be discharged by the Board itself.

Number of Meetings of the Board:

Four meetings of the Board of Directors were held during the year 2024-25 as detailed under:

Sl. No.	Board Meeting No.	Date Board	Total Number of Directors	Number of Directors present
1.	50th Board Meeting	15th April, 2024	08	05
2.	51st Board Meeting	05th August, 2024	08	04
3.	52nd Board Meeting	23rd September, 2024	08	05
4.	53rd Board Meeting	24th December, 2024	08	06

Statement About Particulars of Employees:

None of the employees of the Corporation was in receipt of remunerations of Rupees sixty lakh or more employed throughout the year or Rupees five lakh or more per month if employed for a part of the year during the period under review. As such the information regarding employees covered under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 is Nil.

सीएसआर नीति एवं सीएसआर पर व्ययः

निदेशक मंडल ने जेकेडीएफसी की निम्नलिखित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और स्थिरता नीति को मंजूरी दी और अपनाया।

1. परिचय

1.1 सिद्धांत

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी) में, हम ज़िम्मेदारी, नैतिकता और स्थायित्व के साथ व्यवसाय करते हुए समाज और पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन हेतु प्रतिबद्ध हैं। हमारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दर्शन समावेशिता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है।

1.2 दृष्टि

समावेशी विकास और स्थिरता पर जोर देते हुए राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देना।

1.3 उद्देश्य

एक दृश्यमान और सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा अधिक जिम्मेदार तरीके से लोगों के जीवन पर कुशल और प्रभावी प्रभाव डालना।

2. उद्देश्य, दायरा और क्षेत्र

2.1 उद्देश्य

नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

I. कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014, समय–समय पर संशोधित, के तहत मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिभाषित करना और सीएसआर के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

II. सीएसआर पहलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्, धारा 135, डीपीई दिशानिर्देशों और एसडीजी के साथ संरेखित करना।

CSR Policy & Expenditure on CSR:

The Board of Directors approved and adopted the following Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Policy of JKDFC.

1. Introduction

1.1 Philosophy

At Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited (JKDFC), we are committed to creating long-term value for society and the environment while conducting business responsibly, ethically, and sustainably. Our Corporate Social Responsibility (CSR) philosophy is guided by principles of inclusivity, transparency, accountability.

1.2 Vision

To contribute meaningfully to the socio-economic development of the Nation, with emphasis on inclusive growth and sustainability.

1.3 Mission

To bring a visible and positive change and make an efficient and effective impact the lives of people in a more responsible manner.

2. Objective, Scope & Coverage

2.1 Objective

The main objectives of the policy are:

I. To define guiding principles for selection, implementation and monitoring of CSR activities and formulation of annual action plan for CSR in conformance with extant requirements under the Companies Act 2013, the Companies (CSR Policy) Rules, 2014, as amended from time to time.

II. To align CSR Initiatives with Schedule VII, Section 135 of Companies Act, 2013, DPE Guidelines and SDGs.

2.2 दायरा और क्षेत्र

कंपनी की सीएसआर गतिविधियों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और समय–समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किसी एक या सभी क्षेत्र/गतिविधियाँ शामिल होंगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित रहेंगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी समय–समय पर अनुसूची VII के संदर्भ में क्षेत्रों/गतिविधियों की समीक्षा करेगी और कंपनी की सीएसआर नीति के उपरोक्त क्षेत्रों/गतिविधियों में संशोधन/विलोपन/स्पष्टीकरण करेगी।

यह नीति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को शामिल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे समय–समय पर संशोधित अधिनियम की अनुसूची VII के अनुरूप हों, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। इसमें भविष्य की सीएसआर गतिविधियों के लिए योजनाओं को परिभाषित करने वाली रणनीति शामिल है।

2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII

वे गतिविधियाँ जिन्हें कम्पनियाँ अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों में शामिल कर सकती हैं:

i. स्वच्छ भारत कोष में योगदान और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।

ii. विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार संवर्धन व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएं।

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास स्थापित करना; वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।

2.2 Scope & Coverage

The CSR activities of the Company shall include but shall be limited to any or all of the sectors/activities as may be prescribed by Schedule VII of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines, as amended from time to time. Further, the Company shall review the sectors/ activities with reference to Schedule VII from time to time and make additions/ deletions/ clarifications to the above sectors/activities of the Company's CSR Policy.

This Policy covers the CSR activities to be undertaken by the Company and ensuring that they are in line with Schedule VII of the Act as amended from time to time as detailed under. It covers the strategy that defines plans for future CSR activities.

2.3 Schedule VII of the Companies Act, 2013

Activities which may be included by companies in their Corporate Social Responsibility Policies Activities relating to:

i. Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care includes preventive health care and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.

ii. Promotion of education including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.

iii. Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups.

iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।

v. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों तथा कलाकृतियों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास शामिल है।

vi. सशस्त्र बलों के वीरों, युद्ध में अपने सुहाग को गवा चुकी विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के वीरों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालम्पिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

ix. **योगदानः**

क. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित हों; और

ख. सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत

iv. Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga.

v. Protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts.

vi. Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents, Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Paramilitary Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows.

vii. Training to promote rural sports, nationally recognised sports, Paralympic sports and Olympic sports.

viii. Contribution to the prime minister's national relief fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the central govt. for socio economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women.

ix. **Contribution to:**

a. Incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

b. Public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of

स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान में कार्यरत हैं;

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ।

xi. स्लम क्षेत्र विकास.

xii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन इस रूप में घोषित किया गया हो।

सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें सीएसआर गतिविधियां नहीं माना जाएगा।

2.4 स्थानीय क्षेत्र वरीयता

i. कंपनी अधिनियम की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, जेकेडीएफसी उन स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता देगा जहां वह काम करता है – मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख – जबकि भारत के अन्य हिस्सों में भी परियोजनाएं शुरू करेगा।

ii. इसलिए, सीएसआर गतिविधियां उपर्युक्त क्षेत्रों के भीतर किसी भी स्थान पर की जा सकती हैं।

Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defence Research and Development Organization (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs);

x. Rural development projects.

xi. Slum area development.

xii. Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

Explanation: For the purposes of this item, the term `slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

The CSR projects or programs or activities that benefit the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities.

2.4 Local Area Preference

i. In line with Section 135 of the Companies Act and DPE guidelines, JKDFC shall give priority to CSR activities in the local areas where it operates – primarily Jammu & Kashmir and Ladakh – while also undertaking projects in other parts of India.

ii. Hence, CSR activities may be taken up at any location within the above-mentioned areas.

iii. जेकेडीएफसी देश में कहीं भी सीएसआर गतिविधियाँ संचालित कर सकता है। निदेशक मंडल स्थानीय क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र पर सीएसआर व्यय के अनुपात पर भी निर्णय ले सकता है।

iv. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के सीएसआर व्यय के लिए दिशा–निर्देश संख्या सीएसआर–08/0002/2018–डीआईआर (सीएसआर) दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के अनुरूप, निगम सीएसआर गतिविधियां करते समय आकांक्षी जिलों (नीति आयोग द्वारा अधिसूचित) को प्राथमिकता दे सकता है।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

3.1 संविधान

अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)समिति का गठन करेगा। सीएसआर के सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी, जिसमें कम से कम तीन या अधिक निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। तदनुसार, जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा गठित सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में पदनाम
1	जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
2	एलआईसी/जेएंडके बैंक के नामित निदेशक (उपलब्धता के अनुसार)	सदस्य
3	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

विचाराधीन परियोजनाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में नामित किया जा सकता है।

3.2 समिति के कार्य

i. बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('सीएसआर समिति') सीएसआर के अंतर्गत किए जाने

iii. JKDFC may also undertake CSR activity anywhere in the Country. The Board of Directors may also decide on a ratio of CSR Spend on Local Area or outside area.

iv. In alignment with the guidelines for CSR expenditure of CPSEs issued by the Department of Public Enterprises no. CSR-08/0002/2018-Dir (CSR) dated December 10, 2018, the corporation while undertaking CSR Activities may give preference to aspirational districts (as notified by NITI Aayog).

3. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

3.1 Constitution

Pursuant to the provisions of Section 135 of the Act, the Board of Directors shall constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee. The Members of CSR shall be appointed by the Board of Directors of the Company which must consist of at least three or more Directors out of which at least one director shall be an independent director. Accordingly, the constitution of CSR Committee formed by Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited is as follows:

S. No.	Name of the member	Designation in the committee
1	Managing Director and CEO, JKDFC	Chairperson
2	Nominee Director of LIC/ J&K Bank (as per availability)	Member
3	Independent Director	Member

Any other member(s) representing relevant sector related to the projects under consideration may be nominated by the Chairperson as special invitee(s).

3.2 Functions of Committee

i. The Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('the CSR Committee')

वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी और एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची, कार्यान्वयन का तरीका, निधियों के उपयोग के तौर–तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र, तथा आवश्यकता एवं प्रभाव आकलन का विवरण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, सीएसआर समिति की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में उल्लिखित नियमों के साथ पठित होंगी।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, जहां किसी कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व के तहत खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख से अधिक नहीं है, वहां सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी और ऐसे मामलों में ऐसी समिति के सभी कार्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए जाएंगे।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (3) के तहत सीएसआर समिति के उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्देशित अतिरिक्त कार्य भी करेगी।

iv. सीएसआर परियोजना/प्रस्तावों के चयन, उचित योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए संगठनात्मक संरचना का निर्णय जेकेडीएफसी के प्रबंध निदेशक द्वारा मामलों के आधार पर किया जाएगा।

3.3 समिति की बैठकें

i. समिति के सुचारू संचालन के लिए, सदस्य आवश्यकतानुसार/बोर्ड की नीति/निर्देशों के अनुसार बैठक करेंगे, ताकि मामलों पर चर्चा की जा सके और आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।

ii. समिति के सदस्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से भाग ले सकते हैं, जैसा भी सुविधा हो।

shall recommend the amount of expenditure to be incurred under CSR and shall formulate an annual action plan which shall include a list of the projects/programs approved, manner of execution, modalities of utilization of funds and implementation schedules, monitoring and reporting mechanism and details of need and impact assessment. Further CSR Committee shall have the roles and responsibilities as mentioned in Section 135 of the Companies Act 2013 read with the rules made thereunder.

ii. According to the Section 135(9) of the Companies Act, 2013, where the amount to be spent by a company under its CSR Obligation does not exceed fifty lakhs, the requirement of constitution of CSR Committee shall not be applicable and all the functions such committee in such cases shall be discharged by the Board of Directors of the company.

iii. In addition to the above functions of the CSR Committee as provided under sub section (3) of section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR committee shall perform additional function(s) as directed by the Board of Directors of the Company in order to carry out the CSR objectives of the company smoothly.

iv. The organizational structure for selection, proper planning, implementation, monitoring and reporting of CSR project/proposals shall be decided by the Managing Director of JKDFC as case-to-case basis.

3.3 Meetings of the Committee

i. For smooth functioning of the Committee, the members shall meet as and when necessary/as prescribed by the policy/directions of the Board in order to discuss matters and to take such decisions as may be necessary.

ii. The Members of the Committee may participate in the meeting either in person or through video conferencing or other audio-visual means as may be convenient.

4. सीएसआर योजना और संस्थागत व्यवस्था

4.1 सीएसआर योजना

i. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, जेकेडीएफसी बजटीय प्रावधानों के भीतर प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा, जिसे जेकेडीएफसी के निदेशक मंडल (बीओडी) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

   क. सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

   ख. सीएसआर नियमों के नियम 4(1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।

   ग. परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग की पद्धतियां और कार्यान्वयन कार्यक्रम।

   घ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; और

   ङ. कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण।

ii. बोर्ड, सीएसआर समिति/प्रबंध निदेशक की सिफारिश के अनुसार, उचित औचित्य के आधार पर वार्षिक कार्य योजना में परिवर्तन कर सकता है।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना करके तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के कम से कम 2: के बराबर कुल वार्षिक बजट आवंटन, सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाएगा।

iv. जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

4. Csr Planning & Institutional Setup

4.1 CSR Planning

i. Pursuant to Rule 5(2) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2014, read with Section 135 of Companies Act 2013 JKDFC shall prepare an annual action plan for each year within the budgetary provisions, which will be placed before the Board of Directors (BoD), JKDFC, for approval, as the case may be, which shall include:

   a. List of CSR Projects or programs that are approved to be undertaken in area or subjects specified in schedule VII to the Act.

   b. The manner of execution of such projects or programmes as specified in Rule 4(1) of CSR Rules.

   c. The modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programmes.

   d. Monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes; and

   e. Details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company.

ii. The Board may alter the annual action plan, as per the recommendation of the CSR Committee/ Managing Director based on reasonable justification to that effect.

iii. As per Section 135 of companies act, 2013 a total annual budget allocation for CSR of at least 2% of average net profits of preceding three financial years calculated in accordance with Section 198 of the Companies Act 2013 and as approved by the Board shall be earmarked every year for implementation of CSR programmes.

iv. JKDFC shall ensure compliance with section 135 of the Companies Act 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014.

4.2 आवश्यकता मूल्यांकन

i. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुरूप हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए, कंपनी प्रत्यक्ष रूप से या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास करेगी। मूल्यांकन में समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श, क्षेत्र दौरे और सामाजिक–आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण शामिल हो सकता है।

ii. निष्कर्षों के आधार पर, सामुदायिक आवश्यकताओं, सतत विकास लक्ष्यों और कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर परियोजनाओं की योजना बनाई जाएगी और उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। आवश्यकता मूल्यांकन प्रक्रिया, अधिकतम प्रभाव और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर पहलों के संसाधन आवंटन, निगरानी और मूल्यांकन का भी मार्गदर्शन करेगी।

4.3 कार्यान्वयन

i. जैसा कि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4 में प्रावधान है, जेकेडीएफसी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियां निगम द्वारा स्वयं या इसके माध्यम से की जाएं:

क. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12A और 80G के तहत पंजीकृत एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित की गई हो।

ख. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी; या

ग. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई; या

घ. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है, और इसी

4.2 Need Assessment

i. The Company shall undertake a need assessment exercise, directly or through implementing agencies, to identify and prioritize areas of intervention in line with the provisions of Schedule VII of the Companies Act, 2013. The assessment may include baseline surveys, stakeholder consultations, field visits, and analysis of socio-economic indicators to understand the genuine needs of the community.

ii. Based on the findings, CSR projects shall be planned and implemented to ensure alignment with community requirements, sustainable development goals, and the Company's CSR objectives. The need assessment process shall also guide resource allocation, monitoring, and evaluation of CSR initiatives to ensure maximum impact and effectiveness.

4.3 Implementation

i. As provided in Rule 4 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2014, the Board of JKDFC shall ensure that the CSR activities are undertaken by the corporation itself or through:

a. company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company.

b. a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or

c. any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or

d. a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of

तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।

ii. उपरोक्त सभी को अपना सीएसआर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सीएसआर 1 जमा करने के बाद उत्पन्न अद्वितीय सीएसआर पंजीकरण संख्या होगी। हालांकि, 1 अप्रैल 2021 से पहले अनुमोदित गतिविधियों के लिए, सीएसआर 1 फॉर्म जमा न करना अनिवार्य नहीं होगा।

iii. **कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है:**

i. कार्यान्वयन एजेंसी के पास 3 वर्ष या उससे अधिक का सुस्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

ii. कार्यान्वयन एजेंसी का किसी भी राजनीतिक दल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

iii. कार्यान्वयन एजेंसी का कंपनी के कर्मचारियों के साथ कोई हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।

iv. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा समुचित तत्परता बरती जा रही है।

v. कार्यान्वयन एजेंसी के पास आयकर अधिनियम की धारा 12क और धारा 80छ के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए तथा सीएसआर गतिविधियों के लिए एमसीए में पंजीकृत होना चाहिए।

vi. कार्यान्वयन एजेंसी के पूर्ववृत्त, उसकी पिछली प्रतिष्ठा और उससे जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा की भी चयन से पहले जांच की जानी चाहिए।

vii. सरकार/नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी अन्य आवश्यकता का कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पालन किया जाना।

viii. पहल के तहत धनराशि चाहने वाली एजेंसियों/एनजीओ को किसी भी ग्रेडिंग एजेंसी, जैसे क्रिसिल/केयर/आईआरआर, से "एनजीओ/वीओ ग्रेडिंग" करवानी होगी। इसलिए, जेकेडीएफसी सीएसआर निधि चाहने वाले सभी एनजीओ को

at least three years in undertaking similar activities.

ii. All the above shall submit its CSR Registration Certificate containing the unique CSR Registration number generated after submission of CSR 1. However, for activities approved prior to the 1st day of April 2021, non-submission of CSR 1 form shall not be mandatory.

iii. **While finalizing the Implementing Agency, the following points may be kept in mind**

i. The Implementing Agency should have a well-established track record of 3 years or more.

ii. The Implementing Agency should not have any association with any political party- directly or indirectly.

iii. The Implementing Agency should not have any conflict of interest with the employees of the company.

iv. Due diligence is being complied with by the Implementing Agency.

v. The Implementing Agency should have registration under section 12A and Section 80G of the Income Tax Act and should be registered on MCA for undertaking CSR activities.

vi. The antecedents of the Implementing Agency, its past reputation, and the reputation of the people associated with the same should also be subjected to scrutiny before selection.

vii. Any other requirement as may be prescribed by Government/ Regulatory Authorities being followed by the Implementing Agency

viii. Agencies/ NGOs seeking funds under CSR Initiative, shall have to get "NGO/ VO Grading" conducting by any of the Grading agencies i.e. CRISIL/ CARE/ IRR. Therefore, all NGOs seeking JKDFC CSR funds are required to submit NGO/VO

एनजीओ/वीओ ग्रेडिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और केवल इन्हीं तीन एजेंसियों को रिपोर्ट करना होगा।

- क्रिसिल से प्राप्त ग्रेडिंग के संबंध में, शीर्ष तीन पायदानों को केवल वीओ 1ए, वीओ 1बी और वीओ 2ए माना जाएगा।
- केयर से प्राप्त ग्रेडिंग के संबंध में, शीर्ष तीन पायदानों पर केवल एनजीओ 1ए, एनजीओ 1बी और एनजीओ 2ए को ही माना जाएगा।
- आईआरआर (फिच सॉल्यूशंस) से प्राप्त ग्रेडिंग के संबंध में, शीर्ष तीन पायदानों को केवल आईआरआर1, आईआरआर2, आईआरआर3 माना जाएगा।

grading certificate and report only to these three agencies.

- In respect to grading obtained from CRISIL, the top three notches will be considered as VO 1A, VO 1B & VO 2A, only.
- In respect to grading obtained from CARE, the top three notches will be considered as NGO 1A, NGO 1B & NGO 2A, only.
- In respect to grading obtained from IRR (Fitch Solutions), the top three notch will be considered as IRR1, IRR2, IRR3, only.

iv. जेकेडीएफसी सीएसआर गतिविधियों के लिए परियोजनाओं या कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग कर सकता है ताकि इस तरह से तालमेल का लाभ मिल सके कि संबंधित कंपनियों की संबंधित समिति इस नीति के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हो।

iv. JKDFC may collaborate with other companies for undertaking projects or programs for CSR activities so as to have the benefits of synergies in such a manner that the concerned Committee of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with this policy.

4.4 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के तरीके

4.4 Modes of Implementation of CSR Activities

i. परियोजना/कार्यान्वयन एजेंसी मोड

सीएसआर गतिविधियों को परियोजना मोड में क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें नियोजित प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यान्वयन के चरणों की रूपरेखा तैयार करना, पूर्व–अनुमानित संसाधनों की मात्रा जुटाना, और आवंटित बजट एवं निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा करना शामिल होगा। इसमें कार्यान्वयन का कार्य सौंपे गए नामित अधिकारियों/बाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों को स्पष्ट उत्तरदायित्व और जवाबदेही सौंपना भी शामिल होगा।

i. Project/ Implementing Agency Mode

CSR activities identified for external stakeholders may be implemented in a project mode, which shall entail charting the stages of execution in advance through planned processes, with mobilization of pre-estimated quantum of resources, and within the allocated budgets and prescribed timelines. It shall also involve assigning clear responsibility and accountability of the designated officials / external specialized agencies which are entrusted with the task of implementation.

ii. प्रत्यक्ष मोड

जेकेडीएफसी अपनी जनशक्ति और संसाधनों के साथ सीएसआर गतिविधि का कार्यान्वयन कर सकता है या ऐसी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त कर सकता है और निगरानी आंतरिक जनशक्ति और/या बाहरी एजेंसी द्वारा की जा सकती है।

ii. Direct Mode

JKDFC may take up the implementation of CSR activity with its manpower and resources or may engage external specialized agency to execute such projects and monitoring may be done by internal manpower and/or by external agency.

iii. **सहयोग**

जेकेडीएफसी अन्य सीपीएसई/सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर दीर्घकालिक मेगा परियोजनाओं के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित कर सकता है, ताकि अधिक सामाजिक प्रभाव के लिए परियोजनाओं को उनके आकार और सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में बढ़ाया जा सके, जिसमें प्रत्येक भागीदार इकाई के संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके और पिछड़े क्षेत्रों सहित विकास की गति में भी तेजी लाई जा सके।

4.5 **निगरानी**

i. जेकेडीएफसी द्वारा वित्तपोषित सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी परियोजना की प्रकृति और आकार के आधार पर साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा की जा सकती है:

क. विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित जेकेडीएफसी कॉर्पोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/शाखा कार्यालय के अधिकारी, जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए हों, या/और,

ख. संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन प्रगति/निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा मामले दर मामले आधार पर अधिसूचित समिति(यों) के सदस्य, जिनमें जेकेडीएफसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, या/और,

ग. जेकेडीएफसी द्वारा जेकेडीएफसी की ओर से विशेष रूप से चयनित परियोजनाओं के लिए एक परियोजना प्रबंधन/निगरानी एजेंसी (पीएमए) नियुक्त की जा सकती है, जिसमें जेकेडीएफसी के प्रतिनिधि हो भी सकते हैं और नहीं भी।

ii. सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में परियोजना की प्रगति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड स्वीकृत समय–सीमा और वर्ष–वार आवंटन के संदर्भ में चल रही परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र स्वीकार्य समय–सीमा के भीतर सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन करने हेतु सक्षम होगा।

iii. **Collaboration**

JKDFC may join hands and pool their resources for undertaking projects jointly with other CPSEs / Government agencies for long-term mega projects for greater social impact for scaling up the projects in terms of their size and socio-economic impact, with optimal utilization of resources of each participating entity, and also accelerate the pace of development, including in the backward regions.

4.5 **Monitoring**

i. Monitoring of JKDFC funded CSR projects may be carried out on Weekly/ Monthly/ Quarterly/ Yearly basis depending on nature and size of the project by one or more of the following:

a. Officials of JKDFC Corporate Office/ Registered Office/ Branch Office located in different Union Territories for the projects located in areas falling under their respective jurisdictions, or/and,

b. Members of the Committee(s) as notified by Managing Director from case to case basis for implementation progress/ monitoring of the concerned project, comprising of representatives of JKDFC, or/and,

c. A Project Management/Monitoring Agency (PMA) may be appointed by JKDFC specifically for select project(s) on behalf of JKDFC, which may or may not have representatives from JKDFC.

ii. The agency implementing the CSR Projects shall ensure to submit the project progress at various stages of implementation. Further Board shall monitor the implementation of the ongoing project with reference to the approved timelines and year wise allocation and shall be competent to make modifications for smooth implementation within overall permissible time limit.

4.6 प्रतिपुष्टि व्यवस्था

सर्वेक्षणों, बैठकों या परामर्शों के माध्यम से लाभार्थियों, स्थानीय समुदायों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र की जाएगी। प्राप्त प्रतिक्रिया की सीएसआर समिति/प्रबंधन द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि चल रही परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जा सके, सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और भविष्य की सीएसआर योजना और कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जा सके।

4.7 प्रभाव आकलन

i. यदि जेकेडीएफसी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, और किसी विशिष्ट सीएसआर परियोजना का परिव्यय ₹1 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करवाना होगा। ऐसी परियोजनाएँ प्रभाव मूल्यांकन से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो जानी चाहिए। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

ii. उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

5. सीएसआर पहल

i. अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार, कंपनी प्रत्येक वर्ष सीएसआर समिति (यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत वैध रूप से गठित हो) द्वारा अनुशंसित सीएसआर गतिविधियां करेगी।

ii. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर समिति गठित या स्थापित नहीं है, तो सीएसआर व्यय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

iii. सीएसआर पहलों में अधिनियम की अनुसूची VII और सीएसआर नियमों में समय–समय पर किए गए संशोधन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सीएसआर पहलों

4.6 Feedback Mechanism

Feedback will be collected from beneficiaries, local communities, implementing agencies, and other stakeholders through surveys, meetings, or consultations. The feedback received shall be reviewed periodically by the CSR Committee/ Management to assess the impact of ongoing projects, identify areas of improvement, and incorporate learnings into future CSR planning and implementation.

4.7 Impact Assessment

i. JKDFC shall undertake an impact assessment through an independent agency if its average CSR obligation in the three immediately preceding financial years is ₹10 crore or more, and the outlay for a specific CSR project is ₹1 crore or more. Such projects must have been completed at least one year prior to the impact assessment. The impact assessment reports shall be placed before the Board and annexed to the annual report on CSR.

ii. JKDFC may book expenditure on Impact Assessment towards Corporate Social Responsibility for that financial year, which shall not exceed two percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is higher.

5. CSR Initiatives

i. Pursuant to schedule VII of the act, the company shall undertake CSR Activities as recommended by the CSR Committee (if validly constituted under section 135 of the Companies Act, 2013) for each year.

ii. In case the CSR Committee is not constituted or in place as per section 135 of the Companies Act, 2013, the CSR expenditure shall be made as approved by the Board of Directors of the Company.

iii. CSR initiatives include amendments made in Schedule VII of the Act and CSR Rules from time to time. For Example, CSR initiatives

में हर घर संस्कृति से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप्प् की मद संख्या (ii) के अंतर्गत तिरंगा जोड़ा गया, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 08/2022 के माध्यम से जोड़ा गया था।

iv. यदि अधिनियम की अनुसूची VII और सीएसआर नियमों में कोई और संशोधन किया जाता है, तो प्रबंध निदेशक नीति के लिए जारी एक परिशिष्ट के माध्यम से सीएसआर पहल में संशोधन करेंगे, जिसे सीएसआर समिति (यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत वैध रूप से गठित हो) और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन/कार्योत्तर अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर बनाए और अनुमोदित किए जाने के बाद, कोई भी परिशिष्ट कंपनी की सीएसआर नीति की सीएसआर पहल का एक हिस्सा बन जाएगा।

v. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के सीएसआर व्यय के लिए दिशा–निर्देश संख्या सीएसआर–08/0002/2018–डीआईआर (सीएसआर) दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के अनुसार, जेकेडीएफसी सीएसआर व्यय एक "सामान्य विषय" के अनुरूप हो सकता है, सीएसआर व्यय के लिए डीपीई द्वारा प्रत्येक वर्ष सीपीएसई द्वारा कार्यान्वयन के लिए पहचान की जा सकती है और निगम के सीएसआर व्यय का लगभग 60: वर्ष के लिए पहचाने गए सामान्य विषय से संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित किया जा सकता है।

6. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

i. 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के अनुबंध II में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे **(रिपोर्ट के अनुबंध II में संलग्न)**।

ii. बोर्ड सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और उसके द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को सार्वजनिक पहुँच के लिए वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। बोर्ड के समक्ष विधिवत प्रस्तुत प्रभाव आकलन रिपोर्ट को सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया

include Har Ghar Tiranga added under item no. (ii) of schedule VII of the Companies Act, 2013 pertaining to promotion of education relating to culture which was added vide General Circular No. 08/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated July 26, 2022.

iv. In case any further amendments are made in Schedule VII of the Act and CSR Rules, the Managing Director shall make an amendment in CSR Initiative vide an addendum issued for the policy which would be placed for approval/ post-facto approval of CSR Committee (if validly constituted under section 135 of the Companies Act, 2013) & Board of Directors of the company. Any addendum once made and approved by the Board of Directors of the Company from time to time shall form a part of the CSR Initiative of the CSR Policy of the company.

v. As per the guidelines for CSR expenditure of CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE) no. CSR-08/0002/2018-Dir (CSR) dated December 10, 2018, JKDFC CSR expenditure may be in line with a "Common Theme" for CSR expenditure may be identified by the DPE each year for implementation by CPSEs and around 60% of the corporation's CSR expenditure be allocated to activities related to the identified common theme for the year.

6. Reporting and Disclosure

i. The Board's Report pertaining to a financial year commencing on or after the 1st day of April 2020 shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure II of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014 **(Annexed at Annexure - II of the report)** .

ii. The board shall disclose the composition of CSR Committee, CSR policy and Projects approved by it on website for public access. Impact Assessment Report duly placed before the Board shall be annexed to the Annual Report on

जाएगा। सीएसआर पहलों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें निदेशक की रिपोर्ट भी शामिल है, के माध्यम से हितधारकों तक पहुँचाया जाएगा।

iii. जेकेडीएफसी द्वारा सीएसआर पहलों को इसकी वेबसाइट https://www.jkdfc.org के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है।

7. सीएसआर धन खर्च करने में विफलता

i. यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो समिति का यह कर्तव्य है कि वह निदेशक मंडल को लिखित में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें राशि खर्च न करने के कारण निर्दिष्ट किए जाएं, जिसे निदेशक मंडल द्वारा उस विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाएगा और जब तक कि अव्ययित राशि अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अव्ययित राशि को अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ii. चालू परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित राशि को वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर एक विशेष अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा 3 वर्षों के भीतर खर्च कर दिया जाएगा।

8. निर्मित परिसंपत्तियों का रखरखाव और रखरखाव

सीएसआर राशि किसी कंपनी द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की जा सकती है, जो निम्नलिखित के पास होगी –

क. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिसके पास धर्मार्थ उद्देश्य हों और नियम 4 के उप–नियम (2) के तहत सीएसआर पंजीकरण संख्या हो; या

ख उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूहों, सामूहिक संस्थाओं, या के रूप में; या

CSR. CSR initiatives shall be communicated to stakeholders through Company's Annual Report including Director's Report.

iii. CSR initiatives by JKDFC are communicated through its website https://www.jkdfc.org.

7. Failure to Spend the CSR Money

i. If the Company fails to spend the required amount in a particular financial year, it is the duty of the Committee to submit a report in writing to the Board of Directors specifying the reasons for not spending the amount, which in turn shall be reported by the Board of Directors in their Annual Report pertaining to that particular Financial Year and unless unspent amount relates to any ongoing project referred to its sub-section (6) of Section 135 of the Act transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII within a period of six months of the expiry of the Financial Year in accordance with the provisions of Sub-section (5) of Section 135 of the Act.

ii. Unspent amounts relating to ongoing projects shall be transferred to a special Unspent CSR Account within 30 days from year-end and spent within 3 years.

8. Upkeep and Maintenance of Assets Created

The CSR amount may be spent by a company for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by –

a. A company established under section 8 of the Act, or a Registered Public Trust or Registered Society, having charitable objects and CSR Registration Number under sub-rule (2) of rule 4; or

b. Beneficiaries of the said CSR project, in the form of self-help groups, collectives, entities; or

ग. **एक सार्वजनिक प्राधिकरण**: कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीएसआर के तहत पूंजीगत संपत्तियाँ बनाते या दान करते समय, उचित घ ६ न्ड्ढद्यद्दन्नकृद्द• द्दद्ये सार्वजनिक प्राधिकरण के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व की पुष्टि करने वाली घोषणाएँ भी शामिल क्रद्देकृञ नर्ड्ढ से उपलब्ध हों। इससे सीएसआर पहलों की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी लेखा–परीक्षा को बढ़ावा मिलता है।

9. **समीक्षा और संशोधन**

i. सीएसआर नीति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी अथवा जब भी कंपनी अधिनियम, सीएसआर नियमों अथवा डीपीई दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाएगा।

ii. बोर्ड अनुसूची VII के अंतर्गत नव अधिसूचित गतिविधियों को शामिल करने के लिए परिशिष्टों को अनुमोदित कर सकता है।

iii. प्रभावी तिथिः यह संशोधित सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी और अगले संशोधन तक लागू रहेगी।

सीएसआर व्ययः

निगम के निदेशक मंडल ने 28.11.2024 को प्रस्ताव पारित करके सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू और कश्मीर को दान के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की खरीद और वितरण के लिए सहमति व्यक्त की।

निगम ने 17.03.2025 को सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) को 40 व्हीलचेयर और स्ट्रेचर दान करके वित्त वर्ष 2024–25 में 16,29,520 रुपये का व्यय करके सीएसआर दायित्व (वित्त वर्ष 2023–24) का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

सीएसआर उत्तरदायित्व विवरणः

यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीएसआर गतिविधि का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों, कंपनी की नीति और कानून के विभिन्न लागू दिशानिर्देशों/प्रावधानों के अनुरूप हो।

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप **अनुलग्नक–II** में संलग्न है

c. **A public authority:** The Companies should ensure that while creating or donating capital assets under CSR it must ensure that appropriate documentation — including declarations confirming asset ownership in the name of the public authority — is readily available. This promotes transparency, accountability, and effective auditability of CSR initiatives.

9. Review & Amendments

i. The CSR Policy will be reviewed annually or whenever amendments are made to the Companies Act, CSR Rules, or DPE guidelines.

ii. The Board may approve addendums to include newly notified activities under Schedule VII.

iii. Effective Date: This revised CSR Policy shall come into effect from the date of approval by the Board of Directors and will remain in force until further modification.

CSR Expenditure:

The Board of Directors of the Corporation by passing resolution by circulation on 28.11.2024 resolved and consented for procurement and distribution of Wheelchairs and Stretchers for donation to Government Medical College, Jammu, J&K.

The corporation has successfully discharged the CSR liability (FY 2023-24) making an expenditure of Rs. 16,29,520/- in FY 2024-25 by donating 40 no. of Wheelchairs and Stretchers each to Govt. Medical College, Jammu (J&K) on 17.03.2025.

CSR Responsibility Statement:

It is ensured that, implementation and monitoring of CSR activity is in compliance with CSR objectives, policy of the company and various applicable guidelines/provisions of law.

Format of Annual Report of CSR Activities is annexed at **Annexure-II.**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

वैधानिक लेखा परीक्षक मेसर्स विपेन सेहत एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जम्मू ने 20.08.2025 को निगम के शेयरधारकों को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी कर दी है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) में कोई भी शर्त, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

रिपोर्ट में लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

1. **कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार 27 जुलाई 2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।**

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 18.07.2023 को डीओपीटी, भारत सरकार को एक डीओ पत्र जारी किया था ।

30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 एवं 18.08.2025 को डीपीई, भारत सरकार को जेकेडीएफसी के बोर्ड के चार (04) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डीओ पत्र के माध्यम से कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

2. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षा के अनुसार 27.7.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।**

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र

Independent Auditor's Report:

The Statutory Auditors M/s Vipen Seht & Associates, Chartered Accountants, Jammu have issued the Auditor's Report to the Shareholders of the Corporation on 20.08.2025. The Independent Auditor's Report (Statutory Auditor's Report) is without any qualification, reservation or adverse remarks.

In connection with the Auditor's observations in the report, the explanation is as under:

1. **The Company has not appointed Independent Directors after 27th July 2023 as per the requirements under section 149 of the Act.**

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on **18.07.2023** to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated **30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 & 18.08.2025** to DPE, Govt. of India regarding appointment of four (04) Independent Directors of the Board of JKDFC.

2. **The Audit committee of the company has not been constituted after the cessation of Independent Directors post 27.7.2023 as per the requirement of section 177 of the companies Act, 2013.**

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of

निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 18.07.2023 को डीओपीटी, भारत सरकार को एक डीओ पत्र जारी किया था ।

30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 एवं 18.08.2025 के डीओ पत्र के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के चार (04) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

3. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत अपेक्षित, स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति के बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है।**

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 18.07.2023 को डीओपीटी, भारत सरकार को एक डीओ पत्र जारी किया था ।

30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 एवं –18.08.2025 के डीओ पत्र के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के

Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on **18.07.2023** to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated **30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 & 18.08.2025** to DPE, Govt. of India regarding appointment of four (04) Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

3. **As required under section 178 of the Companies Act, 2013, Nomination and Remuneration committee has not been constituted after the cessation of independent directors.**

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Nomination and Remuneration Committee is not constituted as per section 178 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on **18.07.2023** to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated **30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 & 18.08.2025** to DPE, Govt. of India regarding

बोर्ड के चार (04) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जेकेडीएफसी, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

4. **किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अभाव में, लेखापरीक्षा प्रक्रिया, कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज दर और दंडात्मक ब्याज की जांच तक ही सीमित है।**

सॉफ्टवेयर की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आरएफपी को अंतिम रूप दे दिया गया है और जीईएम पोर्टल पर निविदा जारी कर दी गई है। बोली 16–08–2025 को खोली जाएगी, जिसके बाद तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीद है कि खरीद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नया सॉफ्टवेयर 2 से 3 महीनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। सटीकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ब्याज गणना की जाँच और सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स केएन गोयल एंड एसोसिएट्स से भी करवाया गया है।

5. **कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(छ) के अनुसार, कंपनी ने सितंबर 2024 से ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम कर दी है, जो उस महीने से सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए संचालित की गई थी, जिसमें खातों की पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।**

कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(छ) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, टैली ईआरपी 9, जिसका उपयोग कंपनी वर्तमान में बैंकिंग सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण लेखा–बही रिकॉर्ड करने के लिए कर रही है, को सितंबर 2024 में टैली प्राइम एडिट लॉग संस्करण में अपग्रेड किया गया है। सितंबर 2024 से सभी लेन–देन इसी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और इस कार्यान्वयन का सत्यापन ऑडिट के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा भी किया गया है।

appointment of four (04) Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Nomination and Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

4. **In the absence of any Banking Software, Audit process is limited with respect to checking of the Interest rate and Penal Interest Charged on Advances given by the company.**

The process for procurement of software has already been initiated. The RFP has been finalized and tender has been floated on the GEM portal. The BID opening is scheduled for 16-08-2025 followed by technical and financial evaluations. It is expected that the procurement process to be completed and the new software to be in place within 2 to 3 months. To ensure accuracy & compliance interest calculations were also got checked and verified from internal auditor M/s K.N. Goyal & Assocaites.

5. **As per rule 11(g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014, the company has enabled the audit trail (Edit log) facility from September 2024 which was operated from that month for all the transactions recorded in the software in which the books of accounts are maintained and the same has not been tampered with.**

In order to ensure compliance to rule 11(g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014, the Tally ERP 9 which the company is presently using for recording of books of accounts due to non-availability of Banking Software was upgraded in the September 2024 to Tally Prime Edit log version. All transactions with effect from Sep 2024 being recorded in this upgraded software, and this implementation was also verified by the statutory auditor during the audit.

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्टः

वर्ष 2024–2025 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा, मेसर्स गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, जम्मू द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई और वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए दिनांक 16.06.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई भी शर्त, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

रिपोर्ट में लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैः

I. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत अपेक्षित 27.07.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 18.07.2023 को डीओपीटी, भारत सरकार को एक डीओ पत्र जारी किया था।

30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 एवं 18.08.2025 के डीओ पत्र के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जेकेडीएफसी के बोर्ड के चार (04) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए हैं।

II. 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र

Secretarial Audit Report:

Secretarial Audit for the year 2024-2025 was conducted M/s. Gupta Moneesh & Associates, Company Secretary in practice, Jammu, in accordance with the provisions of Section 204 of the Companies Act 2013 and Report thereon dated 16.06.2025 for the financial year 2024-2025 was furnished. The Secretarial Auditor's Report is without any qualification, reservation or adverse remarks.

In connection with the Auditors observations in the report, the explanation is as under:

I. The company has not appointed Independent Directors post 27.07.2023 as required under Section 149 of the Act.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on **18.07.2023** to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated **30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 & 18.08.2025** to DPE, Govt. of India regarding appointment of four (04) Independent Directors of the Board of JKDFC.

II. The Audit Committee of the Company is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013, post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Audit Committee is not constituted as per section 177 of the Companies

निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 18.07.2023 को डीओपीटी, भारत सरकार को एक डीओ पत्र जारी किया था ।

30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 एवं 18.08.2025 के डीओ पत्र के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के चार (04) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

III. कंपनी ने 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत आवश्यक है।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एवं डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, जेकेडीएफसी, श्री राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 18.07.2023 को डीओपीटी, भारत सरकार को एक डीओ पत्र जारी किया था ।

30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 एवं 18.08.2025 के डीओ पत्र के माध्यम से डीपीई, भारत सरकार

Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on **18.07.2023** to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter dated **30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 & 18.08.2025** to DPE, Govt. of India regarding appointment of four (04) Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

III. The company has not constituted the Nomination and Remuneration Committee post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023 as required under Section 178 of Companies Act, 2013.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to cessation of tenure of independent directors, the Nomination and Remuneration Committee is not constituted as per section 178 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce, GoI & Chairman, JKDFC, Sh. Rajesh Kumar Singh had issue a DO letter on **18.07.2023** to DOPT, Govt. of India, regarding appointment of Independent Directors.

Further, several reminders have been issued by Managing Director of JKDFC vide DO letter

को जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के बोर्ड के चार (04) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कई अनुस्मारक जारी किए हैं।

जेकेडीएफसी, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का वैध रूप से गठन करेगा।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जाना अपेक्षित है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, तथा **अनुबंध III** के रूप में दी गई है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन : एसएस – 1 और एसएस – 2 के अनुसारः

कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों और शेयरधारकों की बैठक (ईजीएम/एजीएम) अर्थात एसएस–1 और एसएस–2 पर लागू सचिवीय मानकों (समय–समय पर संशोधित) का अनुपालन किया है, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

कॉर्पोरेट प्रशासन का प्रकटीकरणः

निगम कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियामकों/लागू कानूनों द्व ारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का पालन करता है। तदनुसार, बोर्ड हितधारकों के न्यासी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य प्रस्ताव प्राप्त हो। कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक IV में संलग्न** है।

dated **30.10.2023, 23.04.2024, 20.12.2024 & 18.08.2025** to DPE, Govt. of India regarding appointment of four (04) Independent Directors of the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited.

JKDFC shall validly constitute the Nomination and Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:

The information relating to the conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo as required to be disclosed under Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rule 2014 is **given as an Annexure III** forming part of this Report.

Compliance with Secretarial Standards : as Per SS - 1 & SS - 2:

The Company has complied with the applicable Secretarial Standards (as amended from time to time) on meetings of the Board of Directors and Meeting of Shareholders (EGM/ AGM) i.e. **SS-1 and SS-2** issued by The Institute of Company Secretaries of India and approved by Central Government under section 118(10) of the Companies Act, 2013.

Disclosure of Corporate Governance:

The Corporation is committed to achieve the highest standards of Corporate Governance and adheres to the Corporate Governance requirements set by the regulators/applicable laws. Accordingly, the Board functions as trustees of the stakeholders and seeks to ensure that the long term economic value proposition for its stakeholders is achieved. A separate statement on Corporate Governance is **annexed at Annexure IV** of this Report.

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्रः

वर्ष 2024–2025 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन का प्रमाण पत्र मेसर्स साहिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को जारी किया गया। उक्त प्रमाण पत्र संदर्भ हेतु **अनुलग्नक V में संलग्न** है।

वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत किया गया आवेदन या कोई लंबित कार्यवाही – शून्य

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुपालन पर वक्तव्यः

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। पात्र महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। कंपनी मातृत्व के दौरान और उसके बाद, लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में, सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आचार संहिताः

निगम अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने तथा सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लेखा परीक्षक :

1. वैधानिक लेखा परीक्षकः

मेसर्स वीपेन सेठ एंड एसोसिएट्स (एसपीजे050), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जम्मू को कैग द्वारा कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में नियुक्ति पत्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या/सीएवी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, जेकेडीएफसी (ए)प1670 दिनांक 21–09–2024 के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए जारी किया गया है।

Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the Financial Year 2024-25:

Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010 issued by Department of Public Enterprises for the year 2024-2025 was issued by M/s Sahil Gupta & Associates, Company Secretaries. The said certificate is **annexed at Annexure V** for the reference.

Application Made or any Proceeding Pending Under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) During the Year – Nil

Statement on Compliance of the Maternity Benefit Act, 1961:

The Company has complied with the provisions of **the *Maternity Benefit Act, 1961*** and the rules made thereunder during the financial year 2024-25.Adequate measures are in place to provide maternity benefits and facilities to eligible women employees. The Company is committed to ensuring a safe and supportive work environment for all women employees during and after maternity, in full compliance with the applicable laws.

Code of Conduct:

The Corporation is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and in compliance will all applicable laws, rules and regulations.

Auditors:

1. Statutory Auditor:

M/S VIPEN SETH & ASSOCIATES (SPJ050), Chartered Accountants, Jammu were appointed as the Auditor of the Company by CAG. The appointment letter in this behalf has been issued by the O/o the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi vide letter No./CA.V/COY/ CENTRAL GOVERNMENT,JKDFC(l)I1670

2. सचिवीय लेखा परीक्षकः

मेसर्स गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, प्रैक्टिस, जम्मू को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय ऑडिट करने के लिए वर्ष 2024–2025 के लिए सचिवीय ऑडिट के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. आंतरिक लेखा परीक्षकः

मेसर्स के.एन.गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, कठुआ, जम्मू और कश्मीर को आंतरिक संचालन के लिए वर्ष 2024–2025 के लिए लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

पावतीः

आपके निदेशकगण, निगम को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी, जम्मू–कश्मीर सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जम्मू–कश्मीर बैंक लिमिटेड से प्राप्त सहयोग के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहते हैं। निदेशकगण, निगम में सभी स्तरों पर कार्यकारी कर्मचारियों के अच्छे कार्य के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(डॉ. काजल)	(विक्रमजीत सिंह)
डीआईएनः 06935072	डीआईएनः 07104444
(प्रबंध निदेशक)	(निदेशक)

दिनांकः **29.09.2025**

dated 21-09-2024 for the financial year 2024-25.

2. Secretarial Auditor:

M/S GUPTA MONEESH & ASSOCIATES, COMPANY SECRETARY in practice, Jammu were appointed as Secretarial Audit for the year 2024-2025 for conducting secretarial Audit in accordance with the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

3. Internal Auditor:

M/S K.N.Goyal & Co., Chartered Accountants in practice, Kathua, J&K were appointed as Internal Audit for the year 2024-2025 for conducting Internal Audit in accordance with the provisions of Section 138 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

Acknowledgement:

Your Directors would like to place on record their appreciation for the co-operation, the Corporation received from Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, DPIIT, Govt. of J&K, Life Insurance Corporation of India and the Jammu and Kashmir Bank Ltd. The Directors express their appreciation for the good work of the executive staff at all levels in the Corporation.

For & on behalf of the Board

Sd/-	**Sd/-**
(Dr. Kajal)	**(Vikramjit Singh)**
DIN: 06935072	**DIN: 07104444**
(Managing Director)	**(Director)**

Dated: 29.09.2025

अनुलग्नक – I

फॉर्म संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन–देन भी शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो कि एक दूसरे से दूरी के आधार पर नहीं है:
   - (क) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति – **शून्य**
   - (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति – **शून्य**
   - (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि – **शून्य**
   - (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित – **शून्य**
   - (ङ) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य – **शून्य**
   - (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तारीखें) – **शून्य**
   - (छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो – **शून्य**
   - (ज) वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परंतुक के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया – **शून्य**

ANNEXURE – I

FORM NO. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto :

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:
   - (a) Name(s) of the related party and nature of relationship - **Nil**
   - (b) Nature of contracts/arrangements/ transactions - **Nil**
   - (c) Duration of the contracts / arrangements/ transactions - **Nil**
   - (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any - **Nil**
   - (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions - **Nil**
   - (f) date(s) of approval by the Board - **Nil**
   - (g) Amount paid as advances, if any - **Nil**
   - (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188 - **Nil**

2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विस्तृत विवरणः

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

संबंधित पक्ष का नाम **Name(s) of the related party**	रिश्ते की प्रकृति **Nature of relationship**	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की प्रकृति **Nature of contracts/ arrangements/ transactions**	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि **Duration of the contracts / arrangements/ transactions**	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो **Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any**	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तारीखे), यदि कोई हो **Date(s) of approval by the Board, if any**	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो **Amount paid as advances, if any**
मुदासिर अहमद डार Mudasir Ahmad Dar	मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO	रोज़गार और वेतन Employment & Salary	सेवानिवृत्ति तक Till retirement	₹ 2069053.00	-	शून्य Nil
कामाक्षी सिंह Kamakshi Singh	कंपनी सचिव CS	रोज़गार और वेतन Employment & Salary	सेवानिवृत्ति तक Till retirement	₹ 1706959.00	-	शून्य Nil

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

For & on behalf of the Board

हस्ता./–
(डॉ. काजल)
डीआईएनः 06935072
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता./–
(विक्रमजीत सिंह)
डीआईएनः 07104444
(निदेशक)

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

Sd/-
(Vikramjit Singh)
DIN: 07104444
(Director)

दिनांकः 29.09.2025

Dated: 29.09.2025

अनुलग्नक – II

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखाः**

जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना है, ताकि सीएसआर को प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक बनाया जा सके, ताकि पर्यावरण और समाज में कंपनी के हितों का पालन किया जा सके, जो प्रभावी प्रभाव और सतत विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देने पर केंद्रित हो।

यह नीति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों को कवर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे अधिनियम की अनुसूची VII के अनुरूप हों, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, **जैसा कि सीएसआर नीति में विस्तृत** रूप से बताया गया है। इसमें भविष्य की सीएसआर गतिविधियों के लिए योजनाओं को परिभाषित करने वाली रणनीति शामिल है।

2. **सीएसआर समिति की संरचनाः**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति दो गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों सहित 04 निदेशकों वाले बोर्ड का विधिवत रूप से 27.07.2023 तक गठन किया गया था। जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई और नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन नहीं किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला कई बार डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का वैध रूप से गठन करेगा जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

ANNEXURE - II

Format for the Annual Report on CSR Activities to be Included in the Board's Report for Financial Year Commencing on or after the I[st] Day of April, 2020

1. **Brief outline on CSR Policy of the Company:**

The main objective of the CSR Policy is to lay down guidelines for **Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited** (hereinafter referred to as 'the Company') to make CSR as one of the key focus areas to adhere to Company's interest in environment and society that focuses on making a positive contribution to society through effective impact and sustainable development programs.

This Policy covers the CSR activities to be undertaken by the Company and ensuring that they are in line with Schedule VII of the Act as amended from time to time **as detailed in CSR Policy**. It covers the strategy that defines plans for future CSR activities.

2. **Composition of CSR Committee:**

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee of the Board comprising of 04 directors including two non-official Independent Directors was duly constituted till 27.07.2023. The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. Due to completion of tenure of independent directors, the Corporate Social Responsibility (CSR) committee is not constituted as per section 135 of the Companies Act, 2013. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI. JKDFC shall validly constitute the Corporate Social Responsibility (CSR) committee as per section 135 of the Companies Act, 2013 as and when Independent Directors are appointed on the Board.

हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, जहां किसी कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व के तहत खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख से अधिक नहीं है, वहां सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी और ऐसे मामलों में ऐसी समिति के सभी कार्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निगम का सीएसआर व्यय पचास लाख रुपये से काफी कम था। तदनुसार, निगम को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और समिति के कर्तव्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा।

3. **वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :**

   www.jkdfc.org

4. **नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब–लिंक के साथ प्रदान करें, यदि लागू हो:**

   लागू नहीं

5. **(क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:** रु. 8,14,73,656.35/–

   (ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : रु. 16,29,473.00/–

   (ग) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: रु. 1,19,394.00/–

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)–(घ)]: रु. 15,10,079/–

However, as per Section 135(9) of the Companies Act, 2013, where the amount to be spent by a company under its CSR Obligation does not exceed fifty lakh, the requirement of constitution of CSR Committee shall not be applicable and all the functions of such committee in such cases shall be discharged by the Board of Directors of the company.

The CSR expenditure of the Corporation for the financial year 2024-25 was much below Rupees fifty lakh. Accordingly, the Corporation is not required to constitute a CSR Committee for FY 2024-25 and the duties of the Committee shall be discharged by the Board itself.

3. **Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company**:

   www.jkdfc.org

4. **Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable:**

   Not Applicable

5. **(a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135:** Rs. 8,14,73,656.35/-

   (b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135: Rs. 16,29,473.00/-

   (c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial year: NIL

   (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any: Rs. 1,19,394.00/-

   (e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]: Rs. 15,10,079/-

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों): रु. 16,29,520/- (चालू परियोजनाओं के अलावा)

(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि: शून्य

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क) + (ख)+(ग)]: रु. 16,29,520/-

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

6. **(a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project):** Rs. 16,29,520/- (Other than Ongoing Projects)

(b) Amount spent in Administrative overheads: Nil

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Not Applicable

(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]: Rs. 16,29,520/-

(e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में) **Total Amount spent for the financial year (in Rs.)**	अव्ययित राशि (रु. में)/**Amount unspent (in Rs.)**				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि **Total amount transferred to unspent CSR Account as per section 135(6)**		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि **Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)**		
	मात्रा **Amount**	स्थानांतरण की तिथि **Date of Transfer**	निधि का नाम **Name of fund**	मात्रा **Amount**	स्थानांतरण की तिथि **Date of Transfer**
रु. 16,29,520/- (केवल सोसोलह लाख उनतीस हजार पांच सौ बीस रुपये) **Rs. 16,29,520/-** (Rs. Sixteen Lakhs Twenty Nine Thousand Five Hundred Twenty only)	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

(f) Excess amount for set off, if any:

क्र. सं. Sl. No.	विशिष्ट / Particular	राशि (रु. में) Amount (in Rs.)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	16,29,473.00/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि Total amount spent for the Financial Year	16,29,520/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	47/-
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	शून्य / Nil
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	47/-

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरणः

7. Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

क्र. सं. Sl. No.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष Preceding Financial Year(s)	धारा 135की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में) Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	धारा 135की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में) Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	धारा 135की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में) Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	कमी, यदि कोई हो Deficiency, if any
1.	2023-24	शून्य / Nil	शून्य / Nil	14,00,000/-	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.	2022-23	शून्य / Nil	शून्य / Nil	13,55,756/-	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
3.	2021-22	शून्य / Nil	शून्य / Nil	47,57,474/-	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	TOTAL			**75,13,230/-**			

8. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वके माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाई गई हैं या अर्जित की गई हैं?** वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशिः हाँ

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: वित्तीय वर्ष 2024–25 में सीएसआर व्यय के अंतर्गत 40–40 यूनिट व्हीलचेयर और स्ट्रेचर खरीदे गए और सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू–कश्मीर को दान कर दिए गए। सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू–कश्मीर ने अपने पत्र संख्या GMC/25/Misc /324 दिनांक 11.06.2025 के माध्यम से पुष्टि की है कि 40–40 यूनिट व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के दान से सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू के खातों में औपचारिक रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित हुई हैं, जो सीएसआर नियमों के नियम 7(4)(ग) के अंर्तगम आवश्यक सार्वजनिक प्राधिकरण के नाम पर रखी जाती हैं।

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व **के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें:**

8. **Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility a**mount spent in the Financial Year: YES

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: 40 units each of Wheelchairs & Stretchers were purchased and donated to Govt. Medical Collage, Jammu, J&K under CSR Expenditure in FY:2024-25. Govt. Medical Collage, Jammu, J&K vide their letter no. GMC/25/Misc/324 dated 11.06.2025 have confirmed that donation of 40 units each of Wheelchairs & Stretchers have formally created Capital Assets in the books of Accounts of Govt. Medical Collage, Jammu which are held in the name of the Public Authority as required under Rule 7(4)(c) of the CSR Rules.

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

क्र. सं. Sl. No.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित] Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिनकोड Pincode of the property or asset(s)	निर्माण की तारीख Date of creation	सीएसआर में खर्च की गई राशि Amount of CSR amount spent	पंजीकृत स्वामी की संस्था/ प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो CSR Registration Number, if applicable	नाम Name	पंजीकृत पता Registered Address
	वित्तीय वर्ष 2024–25 में सीएसआर व्यय के अंतर्गत 40–40 यूनिट व्हीलचेयर और स्ट्रेचर खरीदे गए और सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू और कश्मीर को दान कर दिए गए। 40 units each of Wheelchairs & Stretchers were purchased and donated to Govt. Medical Collage, Jammu, J&K under CSR Expenditure in FY:2024-25	180001	17.03.2025	रु./Rs. 16,29,520/-	ना/NA	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू और कश्मीर Govt. Medical Collage, Jammu, J&K	जम्मू, जम्मू और कश्मीर Jammu, J&K

9. धारा 135की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभका दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं – लागू नहीं

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./–
(डॉ. काजल)
डीआईएनः 06935072
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता./–
(विक्रमजीत सिंह)
डीआईएनः 07104444
(निदेशक)

दिनांकः **29.09.2025**

9. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average** net profit as per sub-section (5) of section 135**.: Not Applicable**

For & on behalf of the Board

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

Sd/-
(Vikramjit Singh)
DIN: 07104444
(Director)

Dated: 29.09.2025

अनुलग्नक – III

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गत रिपोर्ट

ANNEXURE - III

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

Report under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rule 2014

(क) ऊर्जा संरक्षण / (A) Conservation of energy				
(i)	**ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव** the steps taken or impact on conservation of energy		:	**गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने पर लागू नहीं** Not applicable being a Non-Banking Finance Company (NBFC)
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम the steps taken by the company for utilizing alternate source of energy		:	**लागू नहीं** Not Applicable
(iii)	**ऊर्जा संरक्षण पर पूंजी निवेश** the capital investment on energy conservation		:	**शून्य** Nil
(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण / (B) Technology absorption				
(i)	प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास the efforts made toward technology absorption		:	एनबीएफसी होने पर लागू नहीं Not applicable being a NBFC
(ii)	उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution		:	लागू नहीं Not Applicable
(iii)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)			
	(क) (a)	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण the details of technology imported	:	लागू नहीं Not Applicable
	(ख) (b)	आयात का वर्ष the year of import	:	लागू नहीं Not Applicable

	(ग) (c)	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है whether the technology been fully absorbed	:	लागू नहीं Not Applicable
	(घ) (d)	**यदि पूर्णतः अवशोषित नहीं किया गया है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषित नहीं किया गया है, तथा उसके कारण; और** If not fully absorbed, areas where absorption has not been taken place, and the reasons thereof; and	:	लागू नहीं Not Applicable
(iv)	अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय the expenditure incurred on Research and Development		:	लागू नहीं Not Applicable
(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय / (C) Foreign exchange earnings and Outgo				
	वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा और वास्तविक बहिर्वाह के रूप में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बहिर्गमन The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows		:	वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय या व्यय नहीं हुआ There was no foreign exchange earnings or outgo during the year

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

For & on behalf of the Board

हस्ता./–
(डॉ. काजल)
डीआईएनः 06935072
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता./–
(विक्रमजीत सिंह)
डीआईएनः 07104444
(निदेशक)

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

Sd/-
(Vikramjit Singh)
DIN: 07104444
(Director)

दिनांकः **29.09.2025**

Dated: 29.09.2025

अनुलग्नक – IV

डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन पर वर्ष 2024–2025 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों पर कंपनी का दर्शन :

निगम कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियामकों/लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का पालन करता है। तदनुसार, बोर्ड हितधारकों के न्यासी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य प्रस्ताव प्राप्त हो।

2. निदेशक मंडलः

31 मार्च, 2025 तक निगम के कार्यों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया गया, जिसका संविधान नीचे विस्तृत रूप से दिया गया हैः

- श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन) और नामित निदेशक 20.04.2023 से 20.08.2024 तक;
- श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन) और नामित निदेशक 13.09.2024 से;
- श्री बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – नामांकित निदेशक 10–05–2023 से 01.11.2024 तक;
- सुश्री गुरनीत तेज, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – 05.11.2024 से नामित निदेशक;
- श्री प्रशांत सीताराम लोखंडे, संयुक्त सचिव (जेकेएल), गृह मंत्रालय, भारत सरकार – 19.01. 2023 से नामित निदेशक;
- श्री संतोष डी वैद्य, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, जम्मू–कश्मीर सरकार – 16.06.2023 से नामित निदेशक;

ANNEXURE - IV

The Report on Corporate Governance for the Year 2024-2025 of Adherence to DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010 Issued by DPE

1. Company's philosophy on Guidelines on Corporate Governance:

The Corporation is committed to achieve the highest standards of Corporate Governance and adheres to the Corporate Governance requirements set by the regulators/applicable laws. Accordingly, the Board functions as trustees of the stakeholders and seeks to ensure that the long term economic value proposition for its stakeholders is achieved.

2. Board of Directors:

The affairs of the Corporation as on 31st March, 2025 were managed by Board of Directors, constitution whereof is detailed hereunder:

- Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Chairman (Ex-officio) & Nominee Director w.e.f 20.04.2023 till 20.08.2024;
- Shri Amardeep Singh Bhatia, Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Chairman (Ex-officio) & Nominee Director w.e.f 13.09.2024;
- Shri Balamurugan D., Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Nominee Director w.e.f. 10-05-2023 till 01.11.2024;
- Ms. Gurneet Tej, Joint Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Nominee Director w.e.f. 05.11.2024;
- Shri Prashant Sitaram Lokhande, Joint Secretary (JKL), Ministry of Home Affairs, GOI - Nominee Director w.e.f. 19.01.2023;
- Shri Santosh D Vaidya, Principal Secretary, Finance Department , Govt. of J&K - Nominee Director w.e.f. 16.06.2023;

- श्री विक्रमजीत सिंह, आयुक्त/सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार – 26.05.2023 से नामित निदेशक;
- श्री कुलदीप टिक्कू, निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल, भारतीय जीवन बीमा निगम – 06.06.2023 से 01.07.2025 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक;
- श्री विनोद कुमार, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम, भारतीय जीवन बीमा निगम– 17.07.2025 से भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक;
- डॉ. जिविषा जोशी गंगोपाध्याय, उप सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – प्रबंध निदेशक 22–03–2022 से 01.04.2024 तक;
- डॉ. काजल, निदेशक एसपीएस, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार – प्रबंध निदेशक 01–04–2024 से;
- श्री संजीव खिरवार, आईएएस, प्रमुख सचिव, आई एंड सी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख – निदेशक 07.11.2023 से 14.07.2025 तक।

3. लेखा परीक्षा समितिः

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य होंगे। लेखा परीक्षा समिति के दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

- Shri Vikramjit Singh, Commissioner/ Secretary, Deptt. of Industry & Commerce, Govt. of J&K - Nominee Director w.e.f. 26.05.2023;
- Shri Kuldeep Tickoo, Director, Zonal Training Centre, Bhopal, Life Insurance Corporation of India - Nominee Director representing LIC of India w.e.f. 06.06.2023 till 01.07.2025;
- Shri Vinod Kumar, Director, Additional Director, Zonal Training Centre, Gurugram, Life Insurance Corporation of India - Nominee Director representing LIC of India w.e.f. 17.07.2025;
- Dr. Jivisha Joshi Gangopadhyay, Deputy Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Managing Director w.e.f. 22-03-2022 till 01.04.2024;
- Dr. Kajal, Director SPS, DPIIT, Ministry of Commerce & Industries, GOI - Managing Director w.e.f. 01-04-2024;
- Shri Sanjeev Khirwar, IAS, Principal Secretary, I&C, UT of Ladakh – Director w.e.f. 07.11.2023 till 14.07.2025.

3. Audit Committee:

In terms of paragraph 4.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, the Audit Committee shall have minimum three Directors as members. Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

JKDFC shall validly constitute the Audit Committee as per section 177 of the Companies Act, 2013 and Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises as and when Independent Directors are appointed on the Board.

4. मुआवज़ा समितिः

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5.1 के अनुसार बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का नेतृत्व गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए।

जेकेडीएफसी के दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 27.07.2023 को समाप्त हो गया और तब से आज तक किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला डीओपीटी और डीपीई, भारत सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।

जेकेडीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार वैध रूप से पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जब भी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

5. पिछली वार्षिक आम बैठकः

वित्तीय वर्ष	सामान्य बैठक संख्या	दिनांक
2024-25	19 वीं वार्षिक आम बैठक	27.09.2024
2023-24	18 वीं वार्षिक आम बैठक	29.09.2023
2022-23	17 वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2022

6. उदघोषणाः

i. वर्ष के दौरान किसी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

ii. वर्ष 2024–2025 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन का प्रमाण पत्र मेसर्स साहिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को जारी किया गया। **उक्त प्रमाण पत्र संदर्भ हेतु संलग्न (अनुलग्नक V) में दिया गया है।**

7. संचार के साधनः

सभी आधिकारिक अधिसूचनाएं निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.jkdfc.org पर प्रदर्शित की जाती है।

4. Remuneration Committee:

In terms of paragraph 5.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises a Remuneration Committee of the Board should be headed by non-official Independent Director.

The tenure of two Independent Directors of JKDFC expired on 27.07.2023 and since then no further appointment of Independent Directors has been made till date. The matter of appointment of Independent Directors has been taken up multiple times with DOPT & DPE, GoI.

JKDFC shall validly constitute the Remuneration Committee as per section 178 of the Companies Act, 2013 and Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises as and when Independent Directors are appointed on the Board.

5. Previous Annual General Meeting:

Financial Year	General Meeting Number	Date
2024-25	19th Annual General Meeting of JKDFC	27.09.2024
2023-24	18th Annual General Meeting of JKDFC	29.09.2023
2022-23	17th Annual General Meeting of JKDFC	30.09.2022

6. Disclosures:

i. No contract or arrangement was entered into with a related party during the year, so information to be disclosed under Section 188 (1) of the Companies Act 2013 is Nil.

ii. Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010 issued by Department of Public Enterprises for the year 2024-2025 was issued by M/s. Sahil Gupta & Associates, Company Secretaries. **The said certificate is at annexed (Annexure V) for the reference.**

7. Means of communication:

All official notifications are displayed on the official website of the corporation- www.jkdfc.org.

8. लेखापरीक्षा योग्यताएं:

वैधानिक लेखा परीक्षक मेसर्स विपेन सेठ एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जम्मू, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा पूरी कर ली है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो बिना किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी के है।

हस्ता./–
(डॉ. काजल)
डीआईएन: 06935072
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता./–
(विक्रमजीत सिंह)
डीआईएन: 07104444
(निदेशक)

दिनांक: 29.09.2025

8. **Audit qualifications:**

The Statutory Auditors M/s Vipen Seht & Associates, Chartered Accountants, Jammu who are appointed as Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India, have concluded the Audit of Accounts of the Company for the financial year 2024-25 and have furnished the Audit Report for the FY 2024-25 which is without any qualification, reservation or adverse remarks.

Sd/-
(Dr. Kajal)
DIN: 06935072
(Managing Director)

Sd/-
(Vikramjit Singh)
DIN: 07104444
(Director)

Dated: 29.09.2025

अनुलग्नक – V

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

साहिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

कार्यालयः मकान संख्या 134, लाजपत नगर, कैनाल रोड, जम्मू – 180001

संपर्कः 9419792247, 9622492247

ईमेल आईडीः sahil.gupta.cs@gmail.com

सेवा में,

सभी सदस्य,

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

भू–तल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन,
रेलवे स्टेशन परिसर, जम्मू – 180012

हमने आपकी कंपनी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 के तहत किए जाने वाले कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि **जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (सीआईएनः U65920JK2005GOI002523)** जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा।

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष

ANNEXURE-V

Certificate of Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the Financial Year 2024-25

Sahil Gupta & Associates
Company Secretaries
Office: H. No. 134, Lajpat Nagar, Canal Road, Jammu - 180001
Contact: 9419792247, 9622492247
Email Id: sahil.gupta.cs@gmail.com

To

The Members

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail head complex, Jammu - 180012

We have examined the compliance of Conditions of Guidelines on Corporate Governance **JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED (CIN: U65920JK2005GOI002523)** here after called as Company as required to be done under Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE with respect to your Company for the Financial Year 2024-25.

The compliance of Guidelines on Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of Guidelines on Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us by the management, we certify that

2024–25 के दौरान ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे निर्दिष्ट मामले के:

1. कंपनी ने बोर्ड की संरचना के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.1 और 3.1.4 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी के पास पूरे वित्तीय वर्ष यानी 2024–25 के दौरान अपने बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

2. कंपनी ने बोर्ड बैठकों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.3.1 का अनुपालन नहीं किया है, अर्थात बोर्ड को प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी और किसी भी दो बैठकों के बीच समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे उदाहरण थे जहां बोर्ड की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित नहीं की गईं और दो बोर्ड बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल था।

3. कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 3.4.1 और 3.4.2 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार नहीं की है।

4. कंपनी ने अपने नए बोर्ड सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। हालाँकि, इसके सभी वर्तमान बोर्ड सदस्य भारत सरकार, जम्मू–कश्मीर सरकार, लद्दाख सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नामित हैं, इसलिए उन्हें कंपनी के व्यावसायिक मॉडल, जोखिम प्रोफ़ाइल आदि से अच्छी तरह वाकिफ माना जा सकता है।

the company has complied with all the provisions of DPE Guidelines on Corporate Governance as referred above during the Financial Year 2024-25 except for the matter specified below:

1. **The company has not complied with paragraph 3.1 and 3.1.4 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to the Composition of the Board as the company has no Independent Directors on its Board during the complete financial year i.e. 2024-25.**

2. **The company has not complied with paragraph 3.3.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to number of board meetings i.e. the board shall meet at least once in every three months and time gap between any two meetings should not be more than three months as there were instance where Board Meetings where not held in every quarter and with more than three months gap between two Board Meetings.**

3. **The company has not complied with paragraph 3.4.1 and 3.4.2 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to the code of conduct for all Board Members and senior Management of the company as company has not framed the code of conduct for all Board Members and senior Management of the company.**

4. **The Company has not framed a formal training programme for its new Board Members. However, all its present Board Members are nominees of Government of India, Government of Jammu and Kashmir, Government of Ladakh and Life Insurance Corporation of India, as such may be considered as well versed with the Business model, risk profile etc. of the Company.**

5. कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.1 में दिए गए अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के पास पूरे वित्तीय वर्ष यानी 2024–25 के दौरान अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

6. कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा तिमाही वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.2.5 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने तिमाही वित्तीय विवरणों को अनुमोदित करने के बजाय कंपनी के बोर्ड या निदेशकों से वित्तीय वर्ष में केवल वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया है।

7. कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5.1 में दिए गए अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के पास पूरे वित्तीय वर्ष यानी 2024–25 के दौरान अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को संचालित करने की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में।

मेसर्स साहिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/–

सीएस साहिल गुप्ता (प्रस्तावक)

एसीएसः 34548

सी.पी. संख्याः 24493

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 5016/2023

दिनांकः 08/09/2025

यूडीआईएनः A034548G001199899

स्थानः जम्मू

5. **The company has not constituted the Audit Committee as provided in paragraph 4.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, as the Company does not have Independent Directors on its Board during the complete financial year i.e. 2024-25.**

6. **The company has not complied with paragraph 4.2.5 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises with regard to approval of quarterly financial statements by the board of directors as company has approved only annual financial statements for the financial year 2024-25 in the financial year from the board or directors of the company instead of also approving quarterly financial statements.**

7. **The company has not constituted the Remuneration Committee as provided in paragraph 5.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, as the Company does not have Independent Directors on its Board during the complete financial year i.e. 2024-25.**

We further certify that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For M/s Sahil Gupta & Associates

Company Secretaries

Sd/-

CS Sahil Gupta (Prop.)

ACS: 34548

CP. NO: 24493

Peer Review Certificate No: 5016/2023

Date: 08/09/2025

UDIN: A034548G001199899

Place: Jammu

गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स

पंजीकरणः 259 सरवाल कॉलोनी, जम्मू

मो.: 9419146924, 01912566394

ईमेलः munishcs1981@rediffmail.com,
munish.cs1981@gmail.com

दिनांकः 16–06–2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)।

सेवा में,

सदस्यगण,

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,

भू–तल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन,

रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा–परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा–परीक्षण इस प्रकार किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आध ाार प्राप्त हुआ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आम तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

GUPTA MONEESH AND ASSOCIATES

Regd off: 259 Sarwal Colony, Jammu

Contact No.: 9419146924, 01912566394

Email: munishcs1981@rediffmail.com,
munish.cs1981@gmail.com

Dated: 16-06-2025

Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31 March, 2025 (Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014).

To

The Members,

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Ground Floor,
Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan,
Rail Head Complex, Jammu-180012

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of company's books, papers, minute books, forms and returns file and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025 generally complied with the statutory provisions listed here under and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए और बनाए गए बहीखातों, कागजातों, मिनट बुकों, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डेबिट प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2008; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to us and maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (SCRA) and the rules made thereunder; **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder; **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Oversea Direct Investment and External Commercial Borrowings **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act);

a) The Securities and exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (Not applicable to the Company during audit Period);

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 (Not applicable to the Company during the Audit Period);

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; (Not applicable to the Company during the Audit Period);

d) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debit securities) Regulations, 2008; (Not applicable to the Company during the audit period);

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अन्य विनियम जो कंपनी पर लागू हो सकते हैं। (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य कानून।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIख की धारा 45(I) से 45(क्यूबी)।
2. माल और सेवा अधिनियम, 2017
3. आयकर अधिनियम 1961
4. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2003
6. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
7. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
8. पॉश, 2013
9. सरफेसी अधिनियम, 2002
10. आईबीसी, 2016
11. आरटीआई अधिनियम, 2005
12. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
13. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
14. पीएमएलए, 2018
15. आईटी, 2000
16. प्रशिक्षु अधिनियम, 1961

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों

e) The other regulations of the Securities and Exchange Board of India as may be applicable to the Company. (Not applicable to the Company during the Audit Period);

(vi) Other laws applicable to the Company as per the representations made by the Company.

1. Section 45(I) to 45(QB) of the Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. The Goods and services Act, 2017
3. The Income Tax Act 1961
4. Payment of wages Act, 1936
5. Minimum Wages Act, 2003
6. Employee Provident Fund Act, 1952
7. Payment of Gratuity Act, 1972
8. POSH, 2013
9. SARFAESI Act, 2002
10. IBC, 2016
11. RTI Act, 2005
12. Indian Contract Act, 1872
13. Indian Stamp Act, 1899
14. PMLA, 2018
15. IT, 2000
16. Apprentice Act, 1961

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards of The Institute of Company Secretaries of India with respect to Board and General Meetings.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company **(Not applicable to the Company during the Audit Period).**

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations,

आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे उल्लिखित के:

I. कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत अपेक्षित 27.07.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

II. 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

III. कंपनी ने 27.07.2023 को स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत आवश्यक है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत रूप से गठित है और इसमें सिवाय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के, कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकों की सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई। एजेंडा और विस्तृत नोट्स पहले ही भेज दिए गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिस पर हम भरोसा करते हैं, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने प्रशांत सीताराम लोखंडे के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1)(ख) के तहत कार्यालय खाली करने के कारण 23/09/2024 से प्रभावी ई–फॉर्म डीआईआर 12 दाखिल किया था, एसआरएन एबी1515826 के माध्यम

Guidelines, etc., mentioned above, except as mentioned below:

I. The company has not appointed independent directors post 27.07.2023 as required under Section 149 of the Act.

II. The Audit Committee of the Company is not constituted as per section 177 of the Companies Act, 2013, post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023.

III. The company has not constituted the Nomination and Remuneration Committee post the cessation of Independent Directors on 27.07.2023 as required under Section 178 of Companies Act, 2013.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of executive directors, Non-executive directors except non appointment of Independent Directors. The changes in composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice was given to all Directors of Board meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Board meetings as represented by the management were taken unanimously.

We further report that as represented by the Company and relied upon by us there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

As per representation received from the Management of the Company, The Company filed the E Form DIR 12 for cessation of PRASHANT SITARAM LOKHANDE w.e.f. 23/09/2024 due to vacation of office u/s 167(1)(b) of the

से 15/10/2024 को दाखिल किया गया था, जो 23/09/2024 से 30 दिनों के भीतर था, उक्त ई फॉर्म एमसीए के वी3 पोर्टल पर गैर एसटीपी है क्योंकि यह ध ाारा 167(1)(ख) के तहत कार्यालय खाली करने के लिए था और इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा 29/10/2024 को अनुमोदित किया गया था।

लोखंडे की पुनर्नियुक्ति के लिए ई फॉर्म डीआईआर 12 दाखिल करना आवश्यक था, साथ ही 14.10.2024 तक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित संचलन के प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी 23/09/2024 से 30 दिनों के भीतर उक्त ई फॉर्म डीआईआर 12 दाखिल करने में असमर्थ थी क्योंकि एमसीए का वी3 पोर्टल एसआरएन एबी1515826 के माध्यम से दायर ई फॉर्म डीआईआर 12 की स्थिति को अनुमोदित के रूप में चिह्नित किए जाने तक उक्त फॉर्म जमा करने की अनुमति नहीं दे रहा था, क्योंकि एसआरएन एबी1515826 के माध्यम से दायर ई फॉर्म डीआईआर 12 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा 29/10/2024 को मंजूरी दी गई थी , प्रशांत सीताराम लोखंडे की नियुक्ति के लिए ई फॉर्म डीआईआर 12 23/09/2024 को 29/10/2024 को दाखिल किया गया, जिसे एसआरएन एबी1693635 के अनुसार 1200 रुपये की विलम्ब शुल्क के साथ दाखिल किया गया । एमसीए के साथ शेष सभी दाखिलियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समय के भीतर बिना किसी विलम्ब शुल्क के पूरी कर ली गईं।

एसआरएन एबी1693635 के माध्यम से दाखिल ई फॉर्म डीआईआर 12 के लिए भुगतान किया गया विलम्ब शुल्क कंपनी के नियंत्रण से बाहर था, क्योंकि यह एमसीए के वी3 पोर्टल की विशेषताओं के अनुसार था, जो कंपनी को तब तक कोई ई फॉर्म डीआईआर 12 दाखिल करने की अनुमति नहीं देता था, जब तक कि एसआरएन एबी1515826 के माध्यम से दाखिल डीआईआर 12 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

कृते **गुप्ता मोनेश एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
हस्ता./–
सीएस मोनेश गुप्ता
एसीएस संख्या 28514 सीपी संख्या :10321
प्रति समीक्षा प्रमाणपत्र–सं. 5420/2024

स्थानः जम्मू
दिनांकः 16–06–2025

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

Companies Act, 2013 vide SRN AB1515826 filed on 15/10/2024 which was within 30 days from 23/09/2024, the said E Form is Non STP on the V3 Portal of MCA as it was for vacation of office u/s 167(1)(b) and was approved by Registrar of Companies (ROC) on 29/10/2024.

The company was required to file E Form DIR 12 for re-appointment of PRASHANT SITARAM LOKHANDE w.e.f. 23/09/2024 also as per resolution by Circulation passed by Board of Directors of the Company by 14.10.2024, the Company was unable to file the said E Form DIR 12 within 30 days from 23/09/2024 as V3 Portal of MCA was not allowing to submit the said form till the E Form DIR 12 filed vide SRN AB1515826 status was marked as approved, as the E Form DIR 12 filed vide SRN AB1515826 was approved by Registrar of Companies (ROC) on 29/10/2024, the E Form DIR 12 for appointment of PRASHANT SITARAM LOKHANDE w.e.f. 23/09/2024 was filed on 29/10/2024 which was filed with late fees of Rs. 1200 vide SRN AB1693635. Rest all the filling with MCA was done within time provided under the Companies Act, 2013 without any late fees.

The late fees paid for E Form DIR 12 filed vide SRN AB1693635 was beyond the control of the Company as it was as per features of V3 Portal of MCA which didn't allowed the company to file any E Form DIR 12 till the DIR 12 filed vide SRN AB1515826 was approved by Registrar of Companies (ROC).

For **Gupta Moneesh & Associates**
Company Secretaries
Sd/-
CS Moneesh Gupta
ACS No.28514 CP No:10321
Per Review Certificate-No. 5420/2024

Place: Jammu
Date: 16-06-2025

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and Forms an integral part of this report.

अनुबंध–ए

सेवा में,

सदस्य,

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड,

भूतल, जवाहरलाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012।

इस पत्र के साथ हमारी सम दिनांकांकित की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और पद्धतियाँ अपनाई हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।

4. कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से उनका प्रतिउत्तर प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस

Annexure - A

The Members,

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited

Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu-180012

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the process and practices, we followed, provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, we have obtained the management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations and standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the

Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs f the Company.

For Gupta Moneesh& Associates

Company Secretaries

Sd/-

CS Moneesh Gupta

ACS No.28514 CP No:10321

Per Review Certificate No.:5420/2024

UDIN: A028514F000590537

Date: 16-06-2025

Place: Jammu

प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते गुप्ता मोनीश एवं एसोसिएट्स

कम्पनी सेक्रेट्रीज

हस्ता./–

सीएस मोनीश गुप्ता

एसीएस नंबर 28514 सीपी नंबर 10321

पूर्व समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 5420/2024

यूडीआईएनः A028514F000590537

दिनांकः 19–06–2023

स्थानः जम्मू

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य,

मेसर्स जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

राय

हमने मेसर्स जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ('अधि ानियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधि ानियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक शामिल हैं, जो 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और नकदी प्रवाह का विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of

M/s JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

Opinion

We have audited the financial statements of M/s JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year ended, and Notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act 2013 ('the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules there under,

और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष ('वर्तमान अवधि') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मानक 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है।

अन्य मामले

- कंपनी ने अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार 27 जुलाई 2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकता के अनुसार, 27.7.2023 के बाद स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत अपेक्षित, स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है।
- किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अभाव में, कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिमों पर ब्याज दर और दण्डात्मक ब्याज की जांच के संबंध में लेखापरीक्षा प्रक्रिया सीमित है।
- कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(च) के अनुसार, कंपनी ने सितंबर 2024 से ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सक्षम कर दी है, जो उस महीने से सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए संचालित की गई थी, जिसमें खातों की पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the financial year ended 31st March 2025 ('the current period'). Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Other Matters

- The Company has not appointed independent directors after 27th July 2023 as per the requirements under section 149 of the Act.
- The Audit committee of the company has not been constituted after the cessation of independent directors post 27.7.2023 as per the requirement of section 177 of the companies Act,2013.
- As required under section 178 of the companies Act, 2013, Nomination and Remuneration committee has not been constituted after the cessation of independent directors.
- In the absence of any Banking Software, Audit process is limited with respect to checking of the Interest rate and Penal Interest Charged on Advances given by the company.
- As per rule 11(g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014, the company has enabled the audit trail (Edit log) facility from September 2024 which was operated from that month for all the transactions recorded in the software in which the books of accounts are maintained and the same has not been tampered with.

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक भी शामिल हैं, शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण ग़लत जानकारी दी गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और ध ोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's report including annexures to Board's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules 2021. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making

डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखा–परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के

judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

The Company's management is also responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in

अनुसार किया गया लेखा–परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। ग़लतफ़हमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष

accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs specified under section 143(10) of the Act, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern

निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण इकाई चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

हमने शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद किया, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना है।

We communicated with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को यह भी बताना चाहते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं और जहाँ लागू हो जो उचित रूप से संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी, हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं। हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी विचार किया है। शासन के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. We have also considered the internal audit reports issued during the year by the internal auditors while determining the nature, timing and extent of our audit procedures. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the

विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के जनहित लाभों से अधिक होने की उचित रूप से अपेक्षा की जाती है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए अधि ानियम की अनुसूची ट के साथ धारा 197 के अंतर्गत निध ार्ारित प्रावधान और सीमाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक क" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (एनबीएफसी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) निर्देश, 2025 के अनुसार, अनुपालन "अनुलग्नक घ" में दिया गया है।

4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्र को इंगित करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन "अनुलग्नक ख" में निर्धारित है।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, अनुलग्नक क में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 197(16) of the Act, we report that the Company is a Government Company hence the provisions of and limits laid down under Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the company.

2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order,2020 (the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

3. As required by the Reserve Bank of India Act, 1934 and the Non Banking Financial Company–Auditor's Report (NBFC Auditor's Report) Directions, 2025, the compliance is given in "Annexure D".

4. The Comptroller and Auditor General of India has issued direction indicating the area to be examined in terms of sub section (5) of section 143 of the Companies Act 2013, the compliance of which is set out in "Annexure B".

Further to our comments in Annexure A, as required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the accompanying financials statements.

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) निगम एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार लागू नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक–ग" में हमारी रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में , हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है;

ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित प्रावधान किया है, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए; और

iii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं को कोई भी निधि (जो

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Financial statement dealt with by this Report is in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.

(e) The Corporation being a Government Company section 164(2) of the Company Act, 2013 is not applicable as per Notification dated 5th June, 2015 of Ministry of Corporate Affairs.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer our report in "Annexure-C".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2021, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements;

ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts; and

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2025.

iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested

व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf.

ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

c) Based on the audit procedures that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11 (e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रस्तावित लाभांश सहित लाभांश घोषित नहीं किया है और इसलिए नियम 11(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. The Company has not declared dividend including proposed dividend during the year and hence reporting under Rule 11(f) is not applicable.

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा/उसके विरुद्ध कोई ध ोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षक द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) या कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

कृते विपेन सेठ एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958N
सीए विपेन सेठ (पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 084933
यूडीआईएनः 25084933BMLCVQ5345

स्थानः जम्मू
दिनांकः20.08.2025

vi. According to the information and explanations given to us,no frauds by/on the Company has been noticed or reported during the year and no whistle blower complaints have been received during the year.

Further, no report u/s 143(12) of the Companies Act r.w Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, has been filed by the auditor with the Central Government during the period under audit.

FOR VIPEN SEHT &ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No : 005958N
CA Vipen Seht (Partner)
Membership No :084933
UDIN: 25084933BMLCVQ5345

Place: JAMMU
Date:20.08.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि: –

(i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(क)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम चलाती है जिसके तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का वार्षिक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया गया और इस सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(प)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए

ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended March 31, 2025, we report that :-

(i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company does not have any intangible assets and accordingly, reporting under clause 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable to the Company.

(b) The Company has a regular program of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which Property, Plant and Equipment are verified in a phased manner annually. In accordance with this program, the Property, Plant and Equipment were verified during the year and no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

(c) The Company does not own any immovable property (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee). Accordingly, reporting under clause 3(i)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year. Further, the Company does not hold any intangible assets.

(e) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for

गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(प) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, reporting under clause 3(i) (e) of the Order is not applicable to the Company.

(ii) (क) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी मुख्य रूप से वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में लगी हुई है और इसलिए उसके पास कोई भौतिक इन्वेंट्री नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(ii) (क) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ii) (a) As explained to us, the company is primarily engaged in rendering financial services & therefore does not hold any physical inventories. Thus, paragraph 3(ii) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(ख) कंपनी को वर्ष के किसी भी समय चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(b) The Company has not been sanctioned working capital limits by banks or financial institutions on the basis of security of current assets during any point of time of the year. Accordingly, reporting under clause 3(ii) (b) of the Order is not applicable to the Company.

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई ऋण नहीं दिया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) लागू नहीं होता है।

(iii) The Company has not granted any loans to companies, firms. Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.

(iv) कंपनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है और न ही कोई ऐसा निवेश किया है जो अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आता हो। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं होता।

(iv) The Company has not given any loans to directors & has not made any investments which are covered under section 185 and 186 of the Act. Hence, paragraph 3(iv) of the Order is not applicable.

(v) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मानित जमा माना गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(v) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or there is no amount which has been considered as deemed deposit within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1)

(vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section

के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(अप) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर और अन्य वैधानिक देय राशियों सहित अविवादित वैधानिक देय राशियों के संबंध में लेखा–बही में कटौती/उपार्जित राशियाँ वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई हैं, सिवाय कुछ मामूली देरी के। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर के रूप में कोई बकाया नहीं है।

संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक कंपनी पर देय तिथि से छह माह से अधिक अवधि का कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है।

(ख) 31 मार्च, 2025 तक भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं थी/देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई भी लेन–देन समर्पित या प्रकट नहीं किया गया, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, आदेश के खंड 3(पग) (क)

148(1) of the Act, in respect of the activities carried on by the Company. Accordingly, reporting under clause 3(vi) of the order is not applicable.

(vii) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income-tax and other statutory dues have been regularly deposited during the year except some minor delays by the Company with the appropriate authorities. As explained to us, the Company does not have any dues on account of employees's state insurance, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax and cess.

The Company does not have any arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) There were no disputed amounts payable in respect of provident fund, income-tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax in arrears /were outstanding as at 31 March, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

(viii) According to the information and explanations given to us, no transactions were surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) which have not been recorded in the books of accounts.

(ix) (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any loans. As such default in repayment of its loans or borrowings or in the payment of interest thereon

के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया गया है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान या किसी भी पूर्व वर्ष में अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में कोई प्रतिभूति नहीं रखती है। इसके अलावा, प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

to any lender does not arise. Hence reporting under clause 3(ix) (a) of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us including representation received from the management of the Company, and on the basis of our audit procedures, we report that the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, money has not been raised by way of term loans.

(d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not raised any funds on short term basis during the year or in any previous year. Accordingly, reporting under clause 3(ix) (d) of the Order is not applicable to the Company.

(e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.

(f) According to the information and explanations given to us, company does not hold any security in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Further no loan has been raised on the pledge of securities. Accordingly, reporting under clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable to the Company.

(x) (a) The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments), during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable to the Company.

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or (fully, partially or optionally) convertible debentures during the year. Accordingly, reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable to the Company.

(xi) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) (a) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(ख) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143(12) के तहत केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(b) No report under section 143(12) of the Act has been filed with the Central Government for the period covered by our audit.

(ग) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निजि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(गपप) लागू नहीं होता।

(xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with related parties are in compliance with section 177 and 188 of the companies act ,2013 where applicable and details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के तहत आवश्यक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके

(xiv)(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system as required under section 138 of

व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा आज तक जारी रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन

the Act which is commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the reports issued by the Internal Auditors of the Company till date for the period under audit.

(xv) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them and accordingly, provisions of section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi) The Company is required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and the registration has been obtained.

(xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year & in the immediately preceding financial year.

(xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the plans of the Board of Directors and management and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither

देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के पास किसी भी चालू या चालू न होने वाली परियोजना के संबंध में कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के अंतर्गत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते विपेन सेठ एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958N
सीए विपेन सेठ (पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 084933
यूडीआईएनः 25084933BMLCVQ5345

स्थानः जम्मू
दिनांकः20.08.2025

give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

(xx) According to the information and explanations given to us, the Company does not have any unspent amount in respect of any ongoing or other than ongoing project as at the expiry of the financial year. Accordingly, reporting under clause 3(xx) of the Order is not applicable to the Company.

(xxi) The reporting under clause 3(xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

FOR VIPEN SEHT &ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No : 005958N
CA Vipen Seht (Partner)
Membership No :084933
UDIN: 25084933BMLCVQ5345

Place: JAMMU
Date:20.08.2025

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश के साथ अनुबंध–ख।

क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।

हाँ, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को लेखांकन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से दर्ज करने की एक प्रणाली है, सिवाय दिए गए अग्रिमों और उनके ब्याज की गणना से संबंधित लेनदेन के। ब्याज की गणना एमएस एक्सेल में होने के कारण, एक बैंकिंग सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसलिए, त्रुटि की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा, यद्यपि वित्तीय विवरण तैयार करते समय एमसीएलआर में परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखा गया था, लेकिन चूँकि कंपनी के पास बैंकिंग सॉफ़्टवेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण एमसीएलआर में परिवर्तन का यह प्रभाव एक्सेल में किया गया था, इसलिए त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा–जोखा रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।

नहीं, हमारी राय में कंपनी (जेकेडीएफसी) को ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है क्योंकि कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है।

क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा–जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें।

Annexure- B with the Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 for the year 2024-25 in respect of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd.

Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accountingtransactions outside IT system onthe integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Yes, Company has a System to Place all Accounting transactions through Accounting Software except the transactions related to the Advances given along with their Interest Calculation. There is a need of a Banking Software, as the interest calculation is done in MS Excel. Therefore, the chances of error are high. Further, although the Impact of change in MCLR was taken in to consideration while preparing the Financial Statements, but since this impact of change in MCLR was done in excel in the absence of Banking Software available to the company therefore chances of error cannot be ruled out.

Whether there is any restructuringof existing loan or cases of waiver/write off of debt/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, financial impact maybe stated. Whether such cases areproperly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).

No, in Our Opinion there is no case of restructuring of existing loan or cases of waiver/ write off of Debt/loans/interest made by the lender to the company (JKDFC) as the company has not obtained any loans from a lender.

Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the case of deviation.

हां, केंद्र सरकार से प्राप्त सभी निधियों को चालू देनदारियों में उचित रूप से शामिल किया गया है और निम्नलिखित को छोड़कर पात्र पक्षों को राशि उचित रूप से वितरित की गई हैः–

क) मेसर्स के2 इन, राज बाग श्रीनगर नामक इकाई को देय 762 हजार रुपये, जिसे रोक कर रखा गया है और माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जारी किया जाना है।

कृते विपेन सेठ एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958N
सीए विपेन सेठ (पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 084933
यूडीआईएनः 25084933BMLCVQ5345

स्थानः जम्मू
दिनांकः20.08.2025

Yes, All the Funds received from Central Government are Properly Accounted for in the Current Liabilities and the amount is properly disbursed to the eligible parties except for the following:-

a) Rs. 762 thousands due to a unit named M/s K2 Inn, Raj Bagh Srinagar which is kept on hold & subject to be released as per the directions of the honorable court.

FOR VIPEN SEHT &ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No : 005958N
CA Vipen Seht (Partner)
Membership No :084933
UDIN: 25084933BMLCVQ5345

Place: JAMMU
Date:20.08.2025

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

(आपकी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई

Annexure -C to the Auditors Report

(Referred to in paragraph (f) under "report on Other Legal & Regulatory requirements section of your report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub- section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED ("the company") as on 31st March 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies the safe guarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reporting base on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial

द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की ध ाारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाते हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में

Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal Financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company internal financial control over financial reporting is a process design to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance

उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान का समय पर पता लगाने की रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अतिक्रमण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण चूक हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियां या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकती है।

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित कमियों की पहचान की है:

- कंप्यूटरीकृत बैंकिंग परिचालन सॉफ्टवेयर के अभाव में, कंपनी के पास एमसीएलआर दर में परिवर्तन और सभी ऋणों एवं अग्रिमों पर इसके कार्यान्वयन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। हालाँकि कंपनी ने वर्ष के दौरान समय–समय पर समीक्षा की और आवश्यक कार्यान्वयन किया, लेकिन चूँकि यह समीक्षा पूरी तरह से

with the generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) pertain to maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transaction are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipt and expenditures of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention of timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material miss statements due to error or fraud may occur and not to be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of change in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

According to the information and explanation given to us and based on our audit, we have identified following deficiencies in internal financial control:

- In the absence of the Computerised Banking Operational Software, company did not have an effective internal control system over the change in MCLR Rate and its implementation on all the Loans & Advances. Although the company has done periodic review during the year and done

मैन्युअल रूप से की जाती है, इसलिए त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

• कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को धन शोधन निरोधक या वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

• कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(छ) के अनुसार, कंपनी ने सितंबर 2025 में ऑडिट ट्रेल सुविधा शुरु की है, जो उस सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित की गई थी जिसमें लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है।

हमारी राय में, ऊपर बताई गई कमियों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित था, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया था। इस संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

कृते विपेन सेठ एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 005958N

हस्त./–

सीए विपेन सेठ (पार्टनर)

सदस्यता संख्याः 084933

यूडीआईएनः 25084933BMLCVQ5345

स्थानः जम्मू

दिनांकः 20.08.2025

the required implementation but since this review is done completely manually, the chances of error can not be ruled out.

• The Company does not have any arrangement for providing training to its employees for Anti Money Laundering rid Combating Financial Terrorism.

• As per rule 11(g) of companies (Audits & Auditors) rule 2014,the company has enabled the audit trail (Edit log) facility in September 2025 which was operated throughout the year for all the transactions recorded in the software in which the books of accounts are maintained.

In our opinion, except for the effects of the deficiencies stated above, the Company has maintained , in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our opinion is not modified in this regard.

FOR VIPEN SEHT &ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Regn.No : 005958N

Sd/-

CA Vipen Seht (Partner)

Membership No :084933

UDIN: 25084933BMLCVQ5345

Place: JAMMU

Date:20.08.2025

अनुलग्नक "घ" – लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (एनबीएफसी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट)

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट निर्देश, 2025 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यवसाय में लगी हुई है और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है।

2. कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक 184.51 करोड़ रुपये की निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) हासिल की और बनाए रखी, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है।

3. वित्तीय परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों का 50: से कम है और वित्तीय परिसंपत्तियों से आय कुल आय का 50: से कम है और इसलिए, कंपनी एनबीएफसी के लिए आरबीआई के नियामक ढांचे के तहत प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

4. कंपनी ने आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावध ाान और पूंजी पर्याप्तता पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

कृते विपेन सेठ एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 005958N

सीए विपेन सेठ (पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 084933
यूडीआईएन: 25084933BMLCVQ5345

स्थान: जम्मू
दिनांक: 20.08.2025

Annexure "D"- Auditor's Report (NBFC Auditor's Report)

As required by the **Non-Banking Financial Companies Auditors' Report Directions, 2025**, we report that:

1. The Company is engaged in the business of a Non-Banking Financial Company and holds a valid **Certificate of Registration** issued by the RBI

2. The Company has achieved and maintained **Net Owned Funds (NOF) of Rs184.51 crores** as at March 31, 2025, which is in compliance with the minimum requirement prescribed under Section 45-IA of the RBI Act, 1934.

3. Financial assets constitute less than 50% of total assets and the income from the financial assets constitute less than 50% of total income and so,the Company does not meet the principal business criteria under the RBI's regulatory frame work for NBFC.

4. The Company has complied with the **Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Capital Adequacy** as applicable to it.

5. The Company has not accepted any public deposits during the financial year ended March 31, 2025.

FOR VIPEN SEHT &ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No : 005958N

CA Vipen Seht (Partner)
Membership No :084933
UDIN: 25084933BMLCVQ5345

Place: JAMMU
Date:20.08.2025

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir
UCIN :- U65920JK2005GOI002523

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

इक्विटी और देयता / EQUITY AND LIABILITIES	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025	31 मार्च 2024 तक As at 31st March 2024
(1) शेयरधारक निधि / Shareholder's Funds			
(a) शेयर पूंजी / Share Capital	1	8,00,000	8,00,000
(b) भंडार और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	10,45,358	9,42,926
(2) गैर–वर्तमान देयताएं / Non-Current Liabilities			
(a) दीर्घकालिक प्रावधान / Long term provisions	3	711	591
(3) वर्तमान देयताएं / Current Liabilities			
(a) व्यापार देयताए/ Trade Payables	4		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कारण/ Due to micro and small enterprises		-	-
(ii) अन्य पर देय/ Due to others		-	-
(b) अल्पकालिक प्रावधान / Short-term Provisions	5	90,366	98,815
(c) अन्य चालू देयताएं / Other current liabilities	6	7,77,851	4,44,797
	कुल / Total	**27,14,286**	**22,87,129**
संपत्ति / ASSETS			
(1) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां / Non-current assets			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति Property, Plant and Equipments & Intangible Assets			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / Property, Plant and Equipments	7	3,302	1,481
(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम / Long term loans and advances	8	5,45,348	5,67,341
(c) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (नेट) / Deferred tax Assets (Net)		271	271
(d) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां / Other Non Current Assets	9	51	50
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां / Current assets			
(a) नकद और नकद समकक्ष / Cash and cash equivalents	10	21,41,155	17,07,973
(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम / Short-term loans and advances	11	13,051	5,955
(c) अन्य चालू परिसंपत्तियां / Other current assets	12	11,108	4,058
	कुल / Total	**27,14,286**	**22,87,129**

वित्तीय बयान के लिए साथ देने वाले नोट देखें।
See accompanying notes to the financial statements.

Signed as per our report of even date attached.

for M/s Vipen Seht & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 005958N

Sd/-
(CA Vipen Seht)
Partner
Membership No : 084933

Place : Jammu
Date : 20.08.2025
UDIN : 25084933BMLCVQ5345

For and On Behalf of the Board

Sd/-
(Dr Kajal) IAS
Managing Director

Sd/-
(Gowhar Arif)
General Manager

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(Gurneet Tej) IAS
Director

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(CA Priyanka Gupta)
Manager

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir
UCIN :- U65920JK2005GOI002523

31–03–2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र / PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए / for the year ended 31st March 2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए / for the year ended 31st March 2024
I. परिचालन से राजस्व / Revenue from operations	13	66,146	45,213
II. अन्य आय / Other Income	14	1,02,962	93,373
III. कुल आय / Total Income (I+II)		**1,69,108**	**1,38,586**
IV. व्यय / Expenses:			
(a) कर्मचारी लाभ व्यय / Employee benefit expense	15	28,124	27,498
(b) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय / Depreciation and amortization expense	7	547	391
(c) अन्य व्यय / Other Expenses	16	11,707	43,383
(c) अन्य व्यय / Provision on loans written back	17	(11,947)	0
कुल व्यय / Total Expenses (IV)		**28,431**	**71,272**
V. अपवाद एवं असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ (III-IV) / Profit before exceptional & extraordinary items & tax (III-IV)		1,40,677	67,314
(VI) असाधारण आइटम – पूर्व अवधि मद / Exceptional Items - Prior Period Items		(17)	(51)
(VII) असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ (V-VI) Profit before extraordinary items & Tax (V-VI)		1,40,660	67,263
(VIII) असाधारण वस्तुएं / Extraordinary Items		-	-
(IX) कर से पहले का लाभ (VII-VIII) / Profit before tax (VII-VIII)		**1,40,660**	**67,263**
X. कर व्यय / Tax expense:			
(क) वर्तमान कर / Current tax		36,900	28,712
(ख) स्थगित कर / Deferred tax		0	0
(ग) पूर्व अवधि कर / Prior Period Taxes		1,328	86
निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ (हानि) (IX-X) / Profit (Loss) for the period from continuing operations (IX-X)		1,02,432	38,465
अवधि के लिए लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) for the period		1,02,432	38,465
आधारभूत और तनुकृत ईपीएस / Basic & Diluted EPS		**1.28**	**0.48**

Signed as per our report of even date attached.

for M/s Vipen Seht & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 005958N

Sd/-
(CA Vipen Seht)
Partner
Membership No : 084933

Place : Jammu
Date : 20.08.2025
UDIN : 25084933BMLCVQ5345

For and On Behalf of the Board

Sd/-
(Dr Kajal) IAS
Managing Director

Sd/-
(Gurneet Tej) IAS
Director

Sd/-
(Gowhar Arif)
General Manager

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(CA Priyanka Gupta)
Manager

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu, Jammu & Kashmir
UCIN :- U65920JK2005GOI002523

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March 2025

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024 For the year ended 31st March 2025	समाप्त वर्ष 31.03.2023 For the year ended 31st March 2024
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह / Cash flow from operating activities :		
पी एंड एल खाते के अनुसार कर से पहले शुद्ध लाभ Net Profit before Tax as per P&L Account	1,40,660	67,263
निम्नलिखित के लिए समायोजितः / Adjusted for		
मूल्यह्रास / Depreciation	547	391
ब्याज आय / Interest income	(1,02,795)	(93,373)
परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान वापस जोड़े गए / Provisions for assets added back	(8,330)	37,803
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ Operating profit before working capital changes	**30,082**	**12,084**
समायोजनः / Adjustment for :		
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans & Advances	(7,096)	780
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans & Advances	21,993	4,175
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other current assets	(7,050)	40
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Other non current assets	(1)	0
चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Current liabilities	3,33,054	3,43,360
परिचालन से उत्पन्न नकदी / Cash generated from operations	**3,70,982**	**3,60,438**
आयकर का भुगतान / Income Tax Paid	(38,228)	(30,768)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क) Net cash from Operating Activities (A)	**3,32,754**	**3,29,670**
ख)/B) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash Flow from Investing Activities		
अचल संपत्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	(2,368)	(742)
परिसंपत्ति का निपटान / Disposal of Asset	0	0
ब्याज आय / Interest Income	1,02,795	93,373
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख) Net Cash from investing activities (B)	**1,00,427**	**92,631**
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash Flow from Financing Activities		
शेयर पूंजी में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Share Capital	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग) / Net Cash from Financing Activities (C)	0	0
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**4,33,182**	**4,22,301**
नकदी और नकदी समकक्षों का प्रारंभिक शेष Opening Balance of cash and cash Equivalents	**17,07,973**	**12,85,672**
नकदी और नकदी समकक्षों का समापन शेष Closing balance of cash and cash Equivalents	**21,41,155**	**17,07,973**

JAMMU & KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
Cash Flow statement for the year ended 31st March 2025
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (पिछले पेज से जारी)

टिप्पणियाँः

1. नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
2. निवेश गतिविधियों के अंतर्गत सावधि जमा रसीदों पर प्राप्त ब्याज।
3. नकदी और नकदी समकक्ष में नकदी, बैंक शेष और अग्रदाय खाते शामिल हैं
4. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
5. नकद एवं नकद समतुल्य में सब्सिडी राशि कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि यूनिट धारकों को संवितरण के रूप में उपलब्ध है।

Notes:

1. Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the Accounting Standard
2. Interest received on Fixed deposit receipts under Investing activities.
3. Cash and cash equivalents includes cash,Bank balances and Imprest accounts
4. The figures of Previous year have been regrouped/rearranged wherever necessary
5. In cash & cash equivalents, the subsidy amount is not available for use of Company but for the unit holders as disbursement.

Signed as per our report of even date attached.

for M/s Vipen Seht & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 005958N

Sd/-
(CA Vipen Seht)
Partner
Membership No : 084933

Place : Jammu
Date : 20.08.2025
UDIN : 25084933BMLCVQ5345

For and On Behalf of the Board

Sd/-
(Dr Kajal) IAS
Managing Director

Sd/-
(Gowhar Arif)
General Manager

Sd/-
(Kamakashi Singh)
Company Secretary

Sd/-
(Gurneet Tej) IAS
Director

Sd/-
(Mudasir Ahmad)
CFO

Sd/-
(CA Priyanka Gupta)
Manager

(शेयरों की संख्या और प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर राशि ₹ हजारों में)
(in (Amt In ₹ Thousands except no. of shares and per share equity data)

विवरण / Particulars	**31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025**	**31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024**
नोट संख्या 1 / Note No : 1		
शेयर पूंजी / Share Capital:		
अधिकृत पूंजी / Authorised Capital 10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये / 10,00,00,000 Equity shares of Rs 10/ each	10,00,000	10,00,000
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड अप / Issued, Subscribed & Paid up		
8,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये (प्रति शेयर सममूल्य 10 रुपये) 8,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Par value per share Rs. 10/-)	8,00,000	8,00,000
कुल / Total	**8,00,000**	**8,00,000**

(क) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

(a) Rights, preferences and restrictions attached to shares

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, अर्थात इक्विटी शेयर, जिनका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। वितरण शेयरधारक द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

The Company has only One class of Shares i.e. Equity Share having a par value Rs 10 per share. Holder of Equity share each entitiled to one vote per share. The Company has not paid dividend during the reporting year. In the event of Liquidation of the company the holder of equity will be entitled to receive remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts. The Distribution will be in proportion to the number of Equity Shares held by the shareholder.

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलानः–

(b) Reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period :-

10 रुपये प्रति शेयर के वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयरः–

Equity shares with voting rights of Rs 10 each:-

विवरण / Particulars	**31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025**	**31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024**
वर्ष के आरंभ में शेष राशि / Balance as at beginning of the year	8,00,00,000	8,00,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी / Add: Issued during the year	-	-
वर्ष के अंत तक शेष राशि / Balance as at end of the year	**8,00,00,000**	**8,00,00,000**

(ग) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का ब्यौराः–

(c) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:-

10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयरः–/*Equity Shares of Rs 10 each:-*

	विवरण/Particulars	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025		31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	%	शेयरों की संख्या No. of Shares	%
1	संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Joint Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	2,00,00,000	25.00%	2,00,00,000	25.00%
2	भारत सरकार, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (कश्मीर अनुभाग) के माध्यम से Govt. of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25.00%	2,00,00,000	25.00%
3	उप सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार Govt. of India through Deputy Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.49%	99,99,970	12.49%
4	सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से जम्मू–कश्मीर सरकार/ Govt. of J&K through Secretary, Finance Deptt.	50,00,000	6.25%	50,00,000	6.25%
5	उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सरकार। Govt. of J&K through Secretary, Industries & Commerce Deptt.	50,00,000	6.25%	50,00,000	6.25%
6	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	1,00,00,000	12.50%
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड/J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	1,00,00,000	12.50%

(घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान प्राप्त किए बिना जारी किए गए शेयर

कंपनी ने नकदी के अलावा किसी अन्य मूल्य पर कोई शेयर आवंटित नहीं किया है।

(d) Share issued without payment received in cash during immediately preceding 5 years

The Company has not allotted any share for the consideration other than cash.

(ङ) वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

(e) Details of shares held by each Promoter at the end of the year

	प्रमोटरों का नाम Promoters Name	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025			31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year
1	भारत सरकार, संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से/ Govt. of India through Joint Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	2,00,00,000	25.00%	-	2,00,00,000	25.00%	-
2	भारत सरकार, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (कश्मीर अनुभाग) के माध्यम से/Govt. of India through Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (Kashmir Section)	2,00,00,000	25.00%	-	2,00,00,000	25.00%	-
3	भारत सरकारए उप सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से/Govt. of India through Deputy Secretary, DIPP, Ministry of Commerce & Industry	99,99,970	12.49%	-	99,99,970	12.49%	-
4	जम्मू–कश्मीर सरकार, सचिव, वित्त विभाग के माध्यम से/Govt. of J&K through Secretary, Finance Deptt.	50,00,000	6.25%	-	50,00,000	6.25%	-

	प्रमोटरों का नाम Promoters Name	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025			31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	प्रतिशत वर्ष के दौरान परिवर्तन % Change during the year
5	जम्मू और कश्मीर सरकार, सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से / Govt. of J&K through Secretary, Industries & Commerce Deptt.	50,00,000	6.25%	-	50,00,000	6.25%	-
6	भारतीय जीवन बीमा निगम / Life Insurance Corporation of India	1,00,00,000	12.50%	-	1,00,00,000	12.50%	-
7	जे एंड के बैंक लिमिटेड / J&K Bank Ltd.	1,00,00,000	12.50%	-	1,00,00,000	12.50%	-

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 2 / NOTE 2- आरक्षित एवं अधिशेष / RESERVES & SURPLUS		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
क) / a)	पूंजी रिजर्व / Capital Reserve :	4,293	4,293
	प्रतिधारित आय / Retained Earnings:		
I	वैधानिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance as at the beginning of the year	49,826	42,133
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	20,486	7,693
	वर्ष के अंत तक शेष राशि Balance as at the end of the year	**70,312**	**49,826**
II	लाभ और हानि विवरण में आधिक्य / घाटा Excess /Deficit in the Statement of Profit and Loss		
	वर्ष के प्रारंभ में / At the commencement of the year	8,88,807	8,58,035
	जोड़ें वर्ष के लिए लाभ / (हानि) Add: Profit / (Loss) for the year	**1,02,432**	**38,465**
	घटाएँ : वैधानिक आरक्षित निधि / Less : Statutory Reserve	(20,486)	(7,693)
	वर्ष के अंत में / At the end of the year	**9,70,753**	**8,88,807**
	कुल / Total (I+II)	**10,41,065**	**9,38,633**
	रिजर्व और अधिशेष का शुद्ध योग Net of Reserve & Surplus	**10,45,358**	**9,42,926**

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या:3 / NOTE 3- दीर्घकालिक प्रावधान / LONG TERM PROVISION	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions against Standard Assets	711	591
कुल / Total	**711**	**591**

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 4 / NOTE 4- व्यापार देनदारियां / TRADE PAYABLES	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया राशि Outstanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises	0	0
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बकाया राशि Outstanding dues to creditors other than Micro, Small and Medium Enterprises	0	0
कुल / Total	**0**	**0**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 22 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि, प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार नीचे दी गई है:

Dues to micro, small and medium enterprises pursuant to section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act (MSMED), 2006 to the extent information available with the management is given below:

	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
बकाया मूल राशि / The principal amount remaining unpaid	-	-
वर्ष के अंत तक उस पर देय उपार्जित ब्याज का भुगतान न किया जाना Interest accrued due thereon remaining unpaid at the year end	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान की राशि। Interest paid by the Company in terms of Section 16 of MSMED Act, 2006, along with the amount of the payment made to the suppliers and service providers beyond the appointed day during the year	-	-
भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। Interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006	-	-
संबंधित वर्ष के अंत तक अर्जित और बकाया ब्याज / Interest accrued and remaining unpaid as at the respective year end	-	-
आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज तब तक बना रहेगा जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान नहीं कर दी जाती। Further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006	-	-

व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची TRADE PAYABLES AGEING SCHEDULE	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment			
विवरण / Particulars	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1–2 वर्ष 1-2 years	2–3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years
(i) एमएसएमई / MSME				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(ii) अन्य / Others				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई / Disputed Dues - MSME				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य / Disputed Dues - Others				
वित्त वर्ष 2022–2023 / FY 2022-2023	-	-	-	-
वित्त वर्ष 2021–2022 / FY 2021-2022	-	-	-	-

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 5/NOTE 5 अल्पावधि प्रावधान/SHORT TERM PROVISIONS	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
आयकर का प्रावधान/Provision for Income Tax (वित्त वर्ष 23–24 के लिए 21300000 रुपये का अग्रिम कर और 9327261 रुपये का टीडीएस घटाकर और वित्त वर्ष 24–25 के लिए 25263000 रुपये का अग्रिम कर और 9933337 रुपये का टीडीएस घटाकर) (Net of advance tax of Rs. 2,13,00,000 plus TDS of Rs. 93,27,261 for FY 23-24 and net of advance tax of Rs 2,52,63,000 plus TDS of Rs. 99,33,337 for FY 24-25)	1,704	(1,915)
परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान :/Provisions for Assets :		
क) उप मानक परिसंपत्तियां/(a) Sub Standard Assets	3,077	8,196
ख) संदिग्ध संपत्ति (b) Doubtful Assets	85,585	92,534
कुल /Total	**90,366**	**98,815**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

	नोट संख्या:6/NOTE 6 अन्य वर्तमान देनदारियां/OTHER CURRENT LIABILITIES	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
A	**भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी एवं अन्य वितरण योग्य निधियाँ** **Subsidy & Other disbursable funds received from GOI**		
1	**पैकेज I और II के अंतर्गत सब्सिडी का विवरण:** **Subsidy details under Package I & II:**		
(i)	केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी: Central Capital Investment Subsidy:		
	प्रारंभिक जमा/Opening balance	**762**	762
	जोडें/Add :-	-	
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी/Subsidy received from DPIIT	-	476
	ii) लाभार्थियों से सब्सिडी वसूल की गई Subsidy recovered from beneficiaries	-	-
	घटाएं/Less :-		
	i) यूनिटधारकों को सब्सिडी के रूप में वितरित राशि Amount disbursed as subsidy to unitholders	-	476
	ii) डीपीआईआईटी को वापस की गई सब्सिडी Subsidy refunded to DPIIT	-	-
	जमा शेष (नीचे नोट करें)/Closing balance (Note below)	**762**	**762**

(नोटः वित्तीय वर्ष 24–25 के लिए आरंभिक शेष में के2 इन, राज बाग श्रीनगर के अंतर्गत इकाई के नाम पर निर्धारित 762327 रुपये शामिल हैं, जो न्यायालय के निर्देशानुसार जारी किए जाने के अधीन हैं)

(Note: Opening balance for FY 24-25 includes Rs. 762327 earmarked in the name of unit under caption K2 Inn, Raj Bagh Srinagar which is subject to be released as per the instructions of court)

		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(ii)	**केंद्रीय ब्याज सब्सिडी/Central Interest Subsidy**		
	प्रारंभिक जमा/Opening balance	4,294	28,196
	जोडें/Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी/Subsidy received from DPIIT	9,400	34,857
	ii) लाभार्थियों से सब्सिडी वसूल की गई Subsidy recovered from beneficiaries	9,223	1,931
	iii) इकाइयों के विपंजीकरण पर वसूला गया ब्याज Interest recovered on De-registration of Units	1,824	-
	घटाएं/Less :-		
	i) अप्रयुक्त प्रोत्साहन राशि क्च्प्ज् को वापस कर दी गई Unutilized Incentive refunded to DPIIT	2,415	1,931

		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
	ii) लाभार्थियों से वसूला गया प्रोत्साहन DPIIT को वापस कर दिया गया Incentive recovered from beneficiaries returned to DPIIT	9,223	
	iii) यूनिटधारकों को वितरित सब्सिडी / Subsidy disbursed to unitholders	1,879	58,760
	iv) डीपीआईआईटी को लौटाई गई इकाइयों के पंजीकरण रद्द करने पर ब्याज की वसूली Interest recovered on De-registration of Units returned to DPIIT	1,824	-
	जमा शेष / Closing balance	**9,400**	**4,293**
(iii)	**केंद्रीय व्यापक बीमा सब्सिडी: Central Comprehensive Insurance Subsidy:**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	**231**	7,607
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी / Subsidy received from DPIIT	121	231
	घटाएं :– / Less :-		
	i) डीपीआईआईटी को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to DPIIT	-	-
	ii) यूनिटधारकों को वितरित की गई सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	231	7,607
	जमा शेष / Closing balance	**121**	**231**
	1 का योग / Total of 1 = (i+ii+iii)	**10,283**	**5,286**
2	**आईडीएस–2017 के अंतर्गत सब्सिडी: Subsidy Under IDS -2017:**		
(i)	ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन / Central Cap Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	66,338	12,275
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त प्रोत्साहन / Incentive received from DPIIT	3,04,405	2,73,085
	ii) लाभार्थियों से वसूला गया प्रोत्साहन / Incentive recovered from beneficiaries	8,246	-
	iii) पंजीकरण रद्द करने पर ब्याज की वसूली / Interest recovered on De-Registration	88	-
	घटाएं / Less :-		
	i) प्रोत्साहन राशि डीपीआईआईटी को वापस कर दी गई Incentive refunded to DPIIT	8,246	-
	ii) यूनिटधारकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की गई Incentive disbursed to unitholders	1,98,236	2,19,021
	iii) डीपीआईआईटी को लौटाई गई इकाइयों के पंजीकरण रद्द करने पर ब्याज की वसूली Interest recovered on De-registration of Units returned to DPIIT	88	-
	जमा शेष 2 / Total of 2	**1,72,507**	**66,339**
(ii)	**डीपीआईआईटी से प्राप्त केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन Central Comprehensive Insurance Incentive received from DPIIT**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	3,985	-
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त प्रोत्साहन राशि / Incentive received from DPIIT	4,874	4,280
	घटाएं / Less :-		
	i) डीपीआईआईटी को प्रोत्साहन राशि वापस कर दी गई Incentive refunded to DPIIT	-	-
	ii) यूनिटधारकों को वितरित की गई प्रोत्साहन राशि Incentive disbursed to unitholders	4,570	295
	जमा शेष / Closing balance	**4,289**	**3,985**

		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(iii)	**केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन / Central interest Incentive**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	774	-
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त प्रोत्साहन / Incentive received from DPIIT	4,482	4,387
	घटाएं / Less :-		
	i) भारत सरकार को प्रोत्साहन राशि वापस कर दी गई Incentive refunded to GOI	-	-
	ii) यूनिटधारकों को प्रोत्साहन वितरित किया गया Incentive disbursed to unitholders	1,042	3,613
	जमा शेष / Closing balance	**4,214**	**774**
	2 का योग / Total of 2 (i+ii+iii)	**1,81,010**	**71,098**
3	**एनसीएसएस–2021 के तहत सब्सिडी: Subsidy under NCSS -2021:**		
(i)	**कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान (डब्ल्यूसीआईएस): Working Capital Interest Subvention -WCIS:**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	62,235	39,449
	जोडें / Add :-		
	i) लाभार्थियों से वसूला गया प्रोत्साहन Subsidy received from DPIIT	3,47,503	2,88,675
	ii) पंजीकरण रद्द करने पर ब्याज की वसूली Incentive recovered from beneficiaries	1,320	-
	iii) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी Interest recovered on De-Registration	96	-
	घटाएं :– / Less :-		
	i) डीपीआईआईटी को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to DPIIT	1,320	-
	ii) यूनिटधारकों को वितरित सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	2,96,639	2,65,889
	iii) डीपीआईआईटी को लौटाई गई इकाइयों के पंजीकरण रद्द करने पर ब्याज की वसूली Interest recovered on De-registration of Units returned to DPIIT	96	-
	जमा शेष / Closing balance	**1,13,099**	**62,235**
(ii)	**पूंजी निवेश प्रोत्साहन–सीआईआई Capital Investment Incentive-CII**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	2,33,368	-
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी Subsidy received from DPIIT	10,50,000	12,12,909
	घटाएं :– / Less :-		
	ii) डीपीआईआईटी को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to DPIIT	-	-
	iii) यूनिटधारकों को वितरित सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	9,98,903	9,79,541
	जमा शेष / Closing balance	**2,84,465**	**2,33,368**

		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024
(iii)	**पूंजी निवेश प्रोत्साहन–सीआईआई** **Goods & Services Tax Linked Incentive**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	-	-
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी Subsidy received from DPIIT	6,61,554	-
	घटाएं :– / Less :-		
	ii) डीपीआईआईटी को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to DPIIT	-	-
	iii) यूनिटधारकों को वितरित सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	6,28,085	-
	जमा शेष / Closing balance	**33,469**	**-**
(iv)	**पूंजी निवेश प्रोत्साहन–सीआईआई** **Capital Interest Subvention**		
	प्रारंभिक जमा / Opening balance	-	-
	जोडें / Add :-		
	i) डीपीआईआईटी से प्राप्त सब्सिडी Subsidy received from DPIIT	4,44,152	-
	घटाएं :– / Less :-	-	-
	ii) डीपीआईआईटी को सब्सिडी वापस कर दी गई Subsidy refunded to DPIIT	-	-
	iii) यूनिटधारकों को वितरित सब्सिडी Subsidy disbursed to unitholders	3,28,673	-
	जमा शेष / Closing balance	**1,15,479**	**-**
	3 का कुल योग / Total of 3 = (i+ii+iii+iv)	**5,46,512**	**2,95,603**
4	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय Other Admn Exps for Implementation of New Central Scheme for Industrial Development of UT of J&K		
A	प्रारंभिक जमा / Opening balance	**41,997**	**11,997**
	जोड़ें : भारत सरकार से प्राप्त राशि Add Amount received from GOI	-	40,000
	घटाएं :– / Less :-	-	-
	घटाएँ: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को वितरित राशि Less : Amount disbursed to UT of J&K	41,997	10,000
	कुल 4 / Total of 4	**-**	**41,997**
	क का कुल योग / Total of A = (1+2+3+4)	**737,805**	**413,983**
B	**अन्य वर्तमान देनदारियां** **Other Current Liabilities**		
	i) व्यय के लिए प्रावधान Provisions for Expenses	3,833	387
	ii) अन्य देयताएं / Other Liabilities	35,761	30,140
	iii) देय शुल्क और कर Duties and Taxes Payable	452	287
	कुल ख / Total B	**40,046**	**30,814**
	कुल (क + ख) / Total (A+B)	**7,77,851**	**4,44,797**

नोट संख्या 7– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति
Note No.7- Property, Plant and Equipments & Intangible Assets

(रुपये हजार में) / **(Amt In ₹ Thousands)**

		सकल ब्लॉक Gross Block				अवमूल्यन Depreciation					निवल ब्लॉक Net Block	
क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	प्रारंभिक शेष 01–04–2024 के अनुसार Opening Balance as at 01-04-24	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions During the Year	वर्ष के दौरान बिक्री / हटाना Sale/Deletion during the Year	31–03–25 तक कुल लागत Total Cost up to 31-03-25	31–03–2024 तक Up to 31-03-2024	बिक्री की तारीख तक बिक्री पर संचित मूल्यह्रास / हटाई गई वस्तु Accum Dep. on Sale/deleted items till the date of sale	शेष आय से समायोजित अवमूल्यन Depreciation adjusted from Retained Earnings	वर्ष के लिए For the Year	कुल 31–03–2025 तक Total Upto 31-03-2025	31–03–2026 तक As on 31-03-2025	31–03–2024 तक As on 31-03-2024
1	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता) / Computers (End users)	2,316	347	-	2,663	1,910	-	-	244	2,154	509	406
2	कंप्यूटर (सर्वर और नेटवर्क) / Computers (Servers & Networks)	33	-	-	33	31	-	-	-	31	2	2
3	कार्यालय उपकरण / Office Equipment	2,196	135		2,331	1,537		-	175	1,712	619	659
4	फर्नीचर और फिक्सचर / Furniture & Fixture	1,652	-	-	1,652	1,349	-	-	33	1,382	270	303
5	कार्यालय चक्र Office Cycle	5	-	-	5	5	-	-	-	5	-	-
6	पुस्तकें / Books	6	-	-	6	6	-	-	-	6	-	-
7	वाहन / Vehicle	2,218	-	-	2,218	2,107	-	-	-	2,107	111	111
	कुल / Total	**8,426**	**482**	**-**	**8,908**	**6,945**	**-**	**-**	**452**	**7,397**	**1,511**	**1,481**
	पिछले वर्ष के आंकड़े / Last Year Figures	**7,684**	**742**	**-**	**8,426**	**6,554**	**-**	**-**	**391**	**6,945**	**1,481**	**1,129**

नोट संख्या 7– एनसीएससी के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां

Note No.7- Property, Plant and Equipments & Intangible Assets under NCSS

(रुपये हजार में) / **(Amt In ₹ Thousands)**

		सकल ब्लॉक Gross Block				अवमूल्यन Depreciation					निवल ब्लॉक Net Block	
क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	प्रारंभिक शेष 01–04–2024 के अनुसार Opening Balance as at 01-04-24	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions During the Year	वर्ष के दौरान बिक्री / हटाना Sale/Deletion during the Year	31–03–25 तक कुल लागत Total Cost up to 31-03-25	31–03–2024 तक Up to 31-03-2024	बिक्री की तारीख तक बिक्री पर संचित मूल्यह्रास / हटाई गई वस्तु Accum Dep. on Sale/deleted items till the date of sale	शेष आय से समायोजित अवमूल्यन Depreciation adjusted from Retained Earnings	वर्ष के लिए For the Year	कुल 31–03–2025 तक Total Upto 31-03-2025	31–03–2026 तक As on 31-03-2025	31–03–2024 तक As on 31-03-2024
1	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता) / Computers (End users)	-	1,020	-	1,020	-	-	-	69	69	951	-
2	कंप्यूटर (सर्वर और नेटवर्क) / Computers (Servers & Networks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	कार्यालय उपकरण / Office Equipment	-	108		108	-		-	1	1	107	
4	फर्नीचर और फिक्सचर / Furniture & Fixture	-	758	-	758	-	-	-	25	25	733	
	कुल / Total	**-**	**1,886**	**-**	**1,886**	**-**	**-**	**-**	**95**	**95**	**1,791**	
	पिछले वर्ष के आंकड़े / Last Year Figures	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 8/NOTE 8- दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम LONG TERM LOANS & ADVANCES	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
अच्छे माने गए सुरक्षित ऋण /Secured Loans considered good	2,73,842	2,32,535
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण Secured Loans considered sub standard	30,747	81,957
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण/Secured Loans considered Doubtful	2,40,759	2,52,849
कुल /Total	**5,45,348**	**5,67,341**

नोट संख्या : 9/NOTE-9 अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति OTHER NON CURRENT ASSETS	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
सुरक्षा जमा/Security Deposits	51	50
कुल /Total	**51**	**50**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 10/NOTE 10- नकद और नकद के समान CASH AND CASH EQUIVALENTS	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
(a) मेरे पास नकदी है/Cash in Hand	59	23
(b) बैंकों में शेष राशि /Balance with Banks :		
चालू खाते/Current Accounts		
सब्सिडी खाते/Subsidy Accounts (सब्सिडी राशि कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि यूनिट धारकों या लाभार्थियों के लिए संवितरण के रूप में उपलब्ध है)/(the subsidy amount is not available for use of Company but for the unit holders or beneficiaries as disbursement)	7,43,883	4,13,984
अन्य बैंक खाते/Other Bank Accounts	34,741	18,196
12 महीने तक की सावधि जमा/Fixed Deposits upto 12 months (चालू वर्ष के लिए 6584.597 हजार रुपये और पिछले वर्ष के 5121.392 हजार रुपये का उपार्जित ब्याज सहित)/(including accrued interest of Rs 6584.597 thousands for current year & Rs 5121.392 thousands of Previous Year)	13,62,472	12,75,770
कुल /Total	**21,41,155**	**17,07,973**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 11/NOTE 11- अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम SHORT TERM LOAN & ADVANCES	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
संदिग्ध माने गए सुरक्षित ऋण/Secured Loans considered Doubtful	2,018	2,013
अच्छे माने गए सुरक्षित ऋण /Secured Loans considered good	10,684	3,915
असुरक्षित माने गए सुरक्षित ऋणः/Unsecured considered good :		
टीए/डीए के विरुद्ध अग्रिम/Advance against TA/DA	347	24
सीकेवाईसी अग्रिम/ CKYC advance	1	1
टोल शुल्क के लिए फास्ट टैग बैलेंस/Fast tag balance for Toll charges	1	2
कुल /Total	**13,051**	**5,955**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 12/NOTE 12 अन्य चालू परिसंपत्तियां OTHER CURRENT ASSETS	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज/ Interest Accrued on Loans & advances	5,110	2,810
सरकारी प्राधिकारियों से वसूली योग्य/ Recoverable from Govt. Authorities	1,269	1,143
एनआईसीएसआई/NICSI	4,615	-
प्रीपेड कर/Prepaid Taxes	78	78
रिवर्स चार्ज जीएसटी दावा योग्य/Reverse charge GST	3	-
प्रीपेड खर्चे/Prepaid Expenses	33	27
कुल /Total	**11,108**	**4,058**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 13/NOTE 13 परिचालन से राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज/Interest on Loans & advances	47,092	44,844
सेवा शुल्क/Service charges	18,151	
प्रोसेसिंग फीस/Processing Fees	505	208
अग्रिम फीस/Upfront fees	398	161
कुल /Total	**66,146**	**45,213**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्याः 14/NOTE 14- अन्य आय OTHER INCOME	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
सावधि जमा रसीदों पर ब्याज/Interest on Fixed Deposit Receipts	1,02,795	93,373
एनसीएसएस के अंतर्गत आस्थगित अनुदान (मरम्मत)/Deferred Grants under NCSS (Repairs)	72	-
एनसीएसएस के अंतर्गत आस्थगित अनुदान (मूल्यह्रास)/Deferred Grants under NCSS (Depreciation)	95	-
विविध आय*/Misc Income*	-	-
कुल /Total	**1,02,962**	**93,373**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 15/NOTE 15- कर्मचारी लाभ व्यय EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
वेतन एवं अन्य भत्ते/Salaries & Other allowances	23,134	21,236
भविष्य निधि में अंशदान/Contribution to Provident Fund	1,914	1,785
पेंशन में योगदान/Contribution to Pension	1,595	1,488
एनपीएस आयोग/NPS Commission	7	-
छुट्टी वेतन/Leave Salary	1,052	1,168
एलआईसी प्रीमियम/LIC Premium	26	23
एलसी प्रीमियम/Gratuity	328	1,757
कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय/Medical expenses to employees	-	33
प्रशासनिक प्रभार (पेंशन)/Adm Charges (Pension)	-	6
सीआरए सेवा शुल्क/CRA Service charges	2	2
प्रशिक्षुओं को वजीफा/Stipend to Trainees	66	-
कुल /Total	**28,124**	**27,498**

(रुपये हजार में)/(Amt in ₹ Thousands)

नोट संख्या : 16/NOTE 16- अन्य खर्चों OTHER EXPENSES	31 मार्व, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्व, 2024 तक As at March 31, 2024
विवरण/PARTICULARS		
सीएसआर व्यय /CSR Expenses	1,630	1,400
व्यावसायिक और कानूनी शुल्क/Professional and Legal Charges	4,266	275
लेखा परीक्षक शुल्क/Auditor Fees		
ऑडिट शुल्क /Audit Fee	82	89
प्रमाणन शुल्क/Certification Charges	-	4
विलम्ब शुल्क एवं कर/Late Fees & Taxes	6	1

निदेशक एवं अन्य शुल्क / Director & Other Fees	158	137
परिचालन एवं रखरखाव शुल्क / Running & Maintenance Charges	3,159	1,780
मुद्रण और स्टेशनरी / Printing & Stationery	260	334
व्यावसायिक व्यय [नोट (i)] / Business Expenses [Note (i)]	1,377	1,007
विविध व्यय / Miscelleneous Expenses	769	553
अग्रिमों पर प्रावधान [नोट (ii)] / Provisions on Advances [Note (ii)]	-	37,803
कुल / Total	**11,707**	**43,383**
नोट (ii) में शामिल हैं / Note (ii) contains :		
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for standard assets created	120	(145)
घटिया परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for sub standard assets created	(5,118)	(2,705)
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful assets created	(6,949)	40,653
कुल / Total	**(11,947)**	**37,803**

(रुपये हजार में) / (Amt in ₹ Thousands)

व्यावसायिक और कानूनी शुल्क PROFESSIONAL AND LEGAL CHARGES :	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2024**	**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As at 31/03/2023**
विवरण / PARTICULARS		
विधिक शुल्क / Legal Charges	40	61
व्यावसायिक शुल्क / Professional Charges	4,014	129
वार्षिक रिटेनरशिप शुल्क / Annual Retainership fee	24	24
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क / Internal Audit fee	53	33
सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क / Secretarial Audit fee	15	15
कर लेखा परीक्षा शुल्क / Tax Audit Fees	13	13
सुरक्षा ऑडिट शुल्क / Security Audit Fees	107	-
कुल / Total	**4,266**	**275**
निदेशक एवं अन्य शुल्क DIRECTOR & OTHER FEES		
शुल्क एवं कर / Fees & Taxes	158	120
निदेशकों के बैठने का शुल्क / Director sitting fee	-	17
कुल / Total	**158**	**137**
विलम्ब शुल्क एवं कर / LATE FEES & TAXES		
टीडीएस पर ब्याज / Interest on TDS	3	-
ब्याज / विलंब शुल्क सीजीएसटी / Interest/ Late fee CGST	1	0.43
ब्याज / विलम्ब शुल्क एसजीएसटी / Interest/ Late fee SGST	1	0.43
ब्याज / विलंब शुल्क आईजीएसटी / Interest/ Late fee IGST	-	0.29
कुल / Total	**6**	**1**
परिचालन एवं रखरखाव शुल्क RUNNING & MAINTENANCE CHARGES :		
मोटर कार व्यय / Motor Car Expenses	334	395

यात्रा खर्च/ Travelling Expenses:		
प्रबंध निदेशक /Managing Director	41	155
लेखा परीक्षक/- Auditors	41	70
अन्य कर्मचारी/ - Other Staff	1,707	814
अन्य निदेशक/- Other Directors	-	70
अन्य (एनआईएसजी)/- Other (NISG)	54	-
वाहन किराया शुल्क /Vehicle Hire Charges	689	53
परिवहन शुल्क/Conveyance Charges	66	53
मरम्मत और रखरखाव/ Repair & Maintenance	156	169
एनसीएसएस के तहत मरम्मत और रखरखाव/ Repair & Maintenance under NCSS	71	
कुल /Total	**3,159**	**1,780**
मुद्रण एवं लेखन सामग्री : PRINTING & STATIONERY :		
डाक एवं तार/Postage & Telegram	11	22
समाचार पत्र पत्रिकाएँ/ News Paper Periodicals	4	2
मुद्रण और स्टेशनरी/ Printing & Stationary	245	310
कुल /Total	**260**	**334**
व्यावसायिक व्यय : BUSINESS EXPENSES :		
व्यापार संवर्धन / Business Promotion	277	29
सीजीटीएमएसई व्यय/CGTMSE Expense	1,042	863
बोर्ड मीटिंग/एजीएम व्यय/Board Meeting/AGM Expenses	2	-
विज्ञापन एवं प्रचार/Advertisement & Publicity	56	115
कुल /Total	**1,377**	**1,007**
विविध व्यय : MISCELLENEOUS EXPENSES :		
टेलीफोन व्यय / Telephone Expenses	101	94
कार्यालय का व्यय/ Office Expenses	156	267
विविध व्यय/Misc. Expenses	19	19
प्रकाश और ताप/Lighting &Heating	145	112
टोल टैक्स शुल्क/Toll tax charges	4	-
सीकेवाईसी व्यय/CKYC expense	0	-
बीमा/Insurance	7	2
स्वच्छता पखवाड़ा एक्सप्रेस/Swachata Pakhwada Exps	262	-
स्वच्छता कार्य योजना व्यय/Swachata Action Plan Exps	73	55
बैंक शुल्क/Bank Charges	2	4
कुल /Total	**769**	**553**

सुरक्षा जमाः **SECURITY DEPOSITS:**		
सुरक्षा जमा खाता / Security Deposit A/C	20	15
विद्युत विभाग के पास सुरक्षा जमा/ Security Deposit With Electric Deptt	25	25
जेआईओ के पास सुरक्षा जमा / Security Deposit with JIO	6	10
एचपीसीएल के पास सुरक्षा जमा / Security Deposit with HPCL	-	-
कुल /Total	**51**	**50**
देय शुल्क एवं कर : **DUTIES AND TAXES PAYABLE**		
टीडीएस देय /TDS Payable	452	287
कुल /Total	**452**	**287**
सरकारी प्राधिकारियों से वसूली योग्यः **RECOVERABLE FROM GOVT. AUTHORITIES:**		
जीएसटी / GST	1,269	1,143
कुल /Total	**1,269**	**1,143**
व्यय हेतु प्रावधानः **PROVISIONS FOR EXPENSES:**		
कर लेखा परीक्षा शुल्क और एआरएफ/Tax Audit Fees & ARF	30	31
सचिवीय लेखा परीक्षा शुल्क/Secretrial Audit Fees	15	15
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क/ Internal Audit Fees	45	30
देय लेखापरीक्षा शुल्क/Audit Fees Payable	74	74
देय व्यय/Expenses Payable	1,230	237
अन्य देय व्यय/Other payables	2,439	
कुल /Total	**3,833**	**387**
अन्य देयताएं : **OTHER LIABILITIES**		
विविध जमा/Sundry Deposits	9	27
बिना बिल वाली प्रोसेसिंग फीस/Unbilled Processing Fees	296	236
आवेदन शुल्क/Application Fees	39	39
पेंशन देय/Pension Payable	-	-
देय वेतन/Salary payable	-	-
देय अवकाश वेतन/Leave Salary payable	67	
पुनर्निर्धारित ब्याज/Rescheduled Interest	27,483	29,837
एनसीएसएस सहायता अनुदान (अप्रयुक्त)/ Grants in aid NCSS (Unutilized)	6,077	
आस्थगित अनुदान एनसीएसएस/Deferred Grants NCSS	1,790	
ऋणदाताओं को देय राशि/Amount payable to loanees	0	
आवास बोर्ड को देय राशि/Amount payable to Housing board	0	1
कुल /Total	**35,761**	**30,140**

(वित्तीय विवरण में प्रस्तुत आंकड़े निकटतम हजारों तक पूर्णांकित किए गए हैं। इस पूर्णांकन के कारण, बैलेंस शीट और लाभ–हानि विवरण के नोट्स के उप–योगों में थोड़ी विसंगतियां हो सकती हैं। हालांकि, यदि वास्तविक रुपए में सटीक आंकड़े (पूर्णांक के बिना) लिए जाएं, तो कोई विसंगति नहीं होगी)

(Figures presented in the financial statement are rounded off to nearest thousands. Due to this rounding, there might be slight discrepancies in the subtotals of the notes to the Balance Sheet and Profit & Loss Statement. However, if the exact figures in actual rupees (without rounding) are taken, there will be no discrepancies)

टिप्पण सं. 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोट्स
NOTE NO: 17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES ON THE FINANCIAL STATEMENTS

1. सामान्य जानकारी / GENERAL INFORMATION:

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निगम है, जिसका स्वामित्व जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 2002 के प्रधान मंत्री आर्थिक पैकेजों के पास है, निगम ने पर्यटन, परिवहन, विनिर्माण, होटल उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा और आगामी उद्यमियों को वित्तीय सहायता के साथ–साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करके जम्मू और कश्मीर राज्य के उद्योग विकास में बहुआयामी भूमिका निभाई है। निगम जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्योग को भारत सरकार के प्रोत्साहन के वितरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited is a Corporation incorporated under Companies Act ,1956 owning its Origin to the Prime Minister Economic Packages of 2002 for the state of Jammu & Kashmir were by Corporation has Multidimensional role in Industry Development of the State of Jammu & Kashmir by Providing Financial Assistance as well as Consultancy Services to the Existing and Upcoming Entrepreneurs in the Various Sectors like Tourism, Transport, Manufacturing, Hotel Industries etc. Corporation also acts as Nodal Agency to for Disbursement of Government of India Incentives to the Industry in the state of Jammu & Kashmir.

2. लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a) लेखांकन का आधार / Basis of Accounting:

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (गाप) के अनुसार उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं। गाप में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, जो अधिनियम के प्रावधान हैं।

These financial statements are prepared in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) under the historical cost convention on an accrual basis. GAAP comprises mandatory accounting standards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the provisions of the Act.

b) प्राक्कलन का उपयोगः / Use of Estimates:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते

हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यसूचक रूप से मान्यता दी जाती है।

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

c) **नकद एवं नकद के समकक्षः/ Cash & Cash Equivalents:**

नकदी और नकदी समकक्षों में हाथ में मौजूद नकदी और बैंक जमा शामिल हैं। नकदी समकक्ष अल्पकालिक शेष, अत्यधिक तरल निवेश होते हैं जिन्हें आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

Cash & Cash Equivalents includes cash-in-hand and bank deposit. Cash equivalents are short-term balances, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

d) **नकदी प्रवाह विवरण /Cash Flow Statement**:

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत असाधारण मदों और कर से पहले के लाभ/हानि को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछली या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

Cash Flows are reported using the indirect method, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

e) **संपत्ति, संयंत्र उपकरण/ Property, Plant & Equipment:**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत शामिल होती है।

Property plant & Equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any Cost comprises the purchase price and any other directly attributable costs of bringing the assets to its working condition for its intended use.

f) **अमूर्त संपत्ति/ Intangible Assets:**

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन तथा क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्ज किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि परिसंपत्तियों से संबंधित भावी आर्थिक लाभ उद्यमों को प्राप्त होगा तथा परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

The Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any, Intangible assets are recognized only if it is probable that the future economic benefit that are attributable to the assets will flow to the enterprises and the cost of the asset can be measured reliably.

g) **अवमूल्यन और परिशोधन / Depreciation & Amortization:**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण ऐतिहासिक लागत पर दर्शाए गए हैं और उसमें से मूल्यह्रास घटाया गया है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर आधारित है और इसकी गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्प में निर्धारित अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर की गई है।

The Property plant & Equipment are stated at Historical Cost and Depreciation is reduced there from. Depreciation on Property plant & Equipment is provided on Straight Line Method & has been calculated on the basis of useful life of Fixed Assets as prescribed in schedule II of Companies Act 2013.

h) **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ / Employee Retirement Benefits:**

सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाता हैः

Retirement benefits are dealt with in the following manner:

i) भविष्य निधि का लेखा मान्यता प्राप्त निधियों में किए गए अंशदान के साथ उपार्जन आधार पर किया जाता है।

Provident Fund is accounted on accrual basis with contribution made to recognized funds.

ii) अवकाश नकदीकरण का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा इसका भुगतान सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है।

Leave Encashment is determined on the basis of actuarial valuation at the year end and payable at the time Superannuation.

iii) कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी का निर्धारण वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा यह एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना द्वारा समर्थित होती है।

Gratuity to Employees is determined on the basis of actuarial valuation at the year end and backed LIC Group Gratuity Scheme.

i) **राजस्व मान्यता / Revenue Recognition:**

i) अग्रिम राशि पर ब्याज, अग्रिम शुल्क और अन्य प्रभारों से प्राप्त राजस्व का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

Revenue from Interest on Advances, Upfront Fees and Other Charges account for on Accrual Basis.

ii) अर्जित ब्याज को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

Interest Earned is recognized on accrual basis.

iii) नोडल एजेंसी शुल्क रसीद के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

Nodal agency charges are accounted on receipt basis.

j) **आस्थगित कर / Deferred Tax**:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की 5 फरवरी, 2018 की अधिसूचना एसओ 529(ई) के अनुसार, जिसे 2 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना एसओ 1965(ई) द्वारा संशोधित किया गया है, लेखा मानक (एएस) 22, "आय पर करों के लिए लेखांकन" या भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 12, "आयकर" के प्रावधान, जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों या आस्थगित कर देनदारियों से संबंधित हैं, 1 अप्रैल, 2017 से सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। तदनुसार, कंपनी ने, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, चालू वित्त वर्ष के लिए आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। 1 अप्रैल, 2017 (उपर्युक्त एमसीए अधिसूचनाओं की प्रभावी तिथि) से पहले की अवधि के

लिए लेखा पुस्तकों में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देनदारियां उलट नहीं दी गई हैं और वित्तीय विवरणों में जारी हैं।

In accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Notification S.O. 529(E) dated February 5, 2018, as amended by Notification S.O. 1965(E) dated April 2, 2025, the provisions of Accounting Standard (AS) 22, "Accounting for Taxes on Income," or Indian Accounting Standard (Ind AS) 12, "Income Taxes," relating to deferred tax assets or deferred tax liabilities, do not apply to Government Companies with effect from April 1, 2017. Accordingly, the Company, being a Government Company, has not created any provision for deferred tax for the current financial year. Deferred tax assets/liabilities that were recognized in the books of accounts for periods prior to April 1, 2017 (the effective date of the aforementioned MCA notifications) have not been reversed and continue to be carried in the financial statements.

k) **आयकर/ Income Tax:**

प्रासंगिक कर दरों और कर कानूनों के अनुसार गणना की गई कर देयता के आधार पर वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

A provision is made for the current tax based on tax liability computed in accordance with relevant tax rates and tax laws.

l) प्रावधान और आकस्मिकताएँ/ Provisions and Contingencies:

1. कंपनी तब प्रावधान बनाती है जब अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

   The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

2. आकस्मिक देयताओं का खुलासा मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

   Contingent Liabilities are disclosed after a careful evaluation of the facts and legal aspects of the matter involved.

m) **परिसंपत्तियों की क्षतिः/ Impairment of Assets:**

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, प्रबंधन अपनी परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशियों की समीक्षा करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इन परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत है। किसी परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त तब माना जाता है जब उसकी अग्रणीत लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षतिग्रस्तता हानि उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्ज की जाती है जिसमें परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त के रूप में पहचानी जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो पूर्व लेखा अवधियों में मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि को उलट दिया जाता है।

At each balance sheet date, the Management reviews the carrying amounts of its assets to determine whether there is any indication that those assets were impaired. An asset is treated as impaired, when carrying cost of asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of the recoverable amount.

n) **परिचालन लीज / Operating Lease:**

कंपनी ने कोई परिचालन पट्टा समझौता नहीं किया है। परिचालन पट्टा समझौते ऐसे होते हैं जिनके तहत पट्टाकर्ता द्वारा परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए पट्टेदार को हस्तांतरित किया जाता है और स्वामित्व के जोखिम और लाभ पट्टाकर्ता द्वारा अपने पास रखे जाते हैं।

The Company has not entered into operating lease agreements. The operating lease agreements are one under which assets have been transferred by the lessor to the lessee for use purposes and risk & rewards of ownership are retained by the lessor.

o) **असाधारण और पूर्व अवधि की वस्तुएँ / Extra-ordinary and Prior Period Items:**

पूर्व अवधि की मदों का खुलासा तथ्यों और संबंधित मामलों के कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। 16.7/– रुपये (आंकड़े '000 में) की राशि वर्ष 2024–25 के लिए पूर्व अवधि व्यय के रूप में दर्ज की गई है, जो 29–03–24 से 31–03–2024 तक जम्मू दौरे के दौरान महाप्रबंधक का यात्रा भत्ता बिल है।

Prior Period items are disclosed after a careful evaluation of facts and legal aspects of the matters involved. An amount of Rs 16.7/ (figure in '000) has booked as prior period expenditure for the year 2024-25 which is TA Bill of General Manager during his tour to Jammu from 29-03-24 to 31-03-2024.

p) **प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:**

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर–पश्चात प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के कर–पश्चात प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को तनु संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय पर लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित करके, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों को रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी तनु माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ में कमी आएगी।

Basic earnings per share is computed by dividing the profit/ (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share is computed by dividing the profit/(loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary items, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares. Potential equity shares are deemed to be dilutive only if their conversion to equity shares would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations.

विवरण **Particulars**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31st, 2025 (Amt in thousands)**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31st, 2024 (Amt in thousands)**
कर के बाद वर्ष के लिए लाभ/(हानि) Profit/(Loss) for the year after tax	102432.096	38464.266
शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of shares	80000.000	80000.000
प्रति शेयर आय (मूल और कम) Earnings per share (Basic and diluted)	1.28	0.48

शेयरों की संख्या और प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर राशि ₹ हजारों में/

(Amount In ₹ Thousands except no. of shares and per share equity data)

q) **संबंधित पक्ष प्रकटीकरणः/ Related Party Disclosures:**

संबंधित पक्षों के बीच लेन–देन का खुलासा एएस–18, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, लेन–देन करने वाले संबंधित पक्ष का नाम, पक्षों के बीच संबंधों का विवरण, लेन–देन की प्रकृति और लेखा वर्ष के अंत में बकाया राशि के बारे में खुलासे किए जाते हैं।

Transactions between related parties are disclosed as per AS-18," Related Party Disclosures". Accordingly, disclosures regarding the name of transacting related party, description of the relation between the parties, nature of transactions and the amount outstanding as at the end of accounting year, are made.

r) अनुपात/ Ratios:

विवरण Particulars	**अंकक Numerator**	**भाजक Denominator**	**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31st, 2025**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31st, 2024**
वर्तमान अनुपात Current ratio*	वर्तमान संपत्ति Current asset	वर्तमान देनदारियां Current liabilities	2.49	3.16
ऋण इक्विटी अनुपात Debt-Equity Ratio	कुल ऋण Total Debt	शेयरधारकों की इक्विटी Shareholder's equity	-	-
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात Debt Service Coverage Ratio	ईबीआईटी EBIT	ऋृण Debt	-	-
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल Return on Equity Ratio	करों के बाद लाभ Profit after taxes	औसत शेयरधारक की इक्विटी Average Shareholder's equity	0.06	0.02

विवरण **Particulars**	अंकक **Numerator**	भाजक **Denominator**	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष **Year ended March 31st, 2025**	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष **Year ended March 31st, 2024**
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात Trade Receivables turnover ratio	आय Revenue	औसत व्यापार प्राप्य Average Trade Receivable	-	-
व्यापार देयता कारोबार अनुपात Trade payables turnover ratio	सेवाओं की खरीद Purchase of services	औसत व्यापार देय Average Trade payable	-	-
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात Net capital turnover ratio	आय Revenue	कार्यशील पूंजी Working capital	0.05	0.04
शुद्ध लाभ अनुपात Net profit ratio	करों के बाद लाभ Profit after taxes	आय Revenue	1.55	0.85
नियोजित पूंजी पर रिटर्न Return on Capital employed	ईबीआईटी EBIT	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन Capital Employed	0.08	0.04

नोट क्रमांक 18 / Note No 18

अन्य सूचना / Other Information:-

a) कंपनी को सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित ब्याज सहित वर्ष के अंत तक अदा न की गई राशि से संबंधित यदि कोई प्रकटीकरण हुआ है, तो वह नहीं दिया गया है।

The Company has not received any intimation from 'Suppliers' regarding their status under the Micro and Small Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid / payable as required under the said Act have not been given.

b) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 25263.000 हजार रुपये का कर चुकाया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा 9933.337 हजार रुपये का स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की गई है।

Total Tax amounting to Rs 25263.000 thousand has been paid by the company during the Financial Year 2024-25 and Rs 9933.337 thousands is Tax Deducted at Source (TDS) by the banks during current Financial Year.

c) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 092 / 03.10.001 / 2017–18 दिनांक 31–05–2018 के अनुसार, प्रत्येक गैर– बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक आरक्षित निधि बनाएगी और उसमें प्रति वर्ष अपने शुद्ध लाभ का कम से कम बीस प्रतिशत, जैसा कि लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है और किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले, हस्तांतरित करेगी। इस निर्देश के अनुसार, चालूवर्ष के दौरान 20486.419 हजार रुपये की राशि वैधानिक आरक्षित निधि में हस्तांतरित की गई है।

In terms of RBI direction issued vide circular no DNBR(PD) CC. No 092/03.10.001/2017-18 dated 31-05-2018 every non-banking financial company shall create a reserve fund and transfer therein a sum not less than twenty per cent of its net profit every year as disclosed in the profit and loss account and before any dividend is declared. In terms of this direction an amount of Rs 20486.419 thousand/- has been transferred to statutory reserve fund during the current year.

d) प्रबंधन की राय में तथा उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, व्यवसाय के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

In the opinion of the Management and to the best of their knowledge and belief, the value on realization of current assets, loans & advances in the ordinary course of business will not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

e) निगम को जम्मू और कश्मीर राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहनों के वितरण हेतु केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इन योजनाओं/निधियों के कारण अप्रयुक्त राशि को "वर्तमान देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है।

The Corporation has been designated as Nodal Agency of Central Government for disbursement of various subsidies and incentives for industrial units in the State of Jammu & Kashmir. The unutilized amount on account of these schemes/funds has been parked under the Head "Current Liabilities".

f) 31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट में क्रमशः ग्रेच्युटी और अवकाश वेतन देनदारियों को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी आश्वासन योजना और समूह अवकाश नकदीकरण योजना के तहत परिभाषित लाभ योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः –

The details of defined benefit plans under Employees Group Gratuity Assurance Scheme and Group Leave Encashment Scheme of LIC of India for covering Gratuity and Leave Salary liabilities respectively recognized in the Balance Sheet as on 31st March 2025 is as under: -

क्र.सं. **S.No.**	विवरण **Particulars**	उपहार (रु. हजारों में) **Gratuity** **(Rs. in thousands)**	छुट्टी वेतन (रु. हजारों में) **Leave Salary** **(Rs. in thousands)**
(क) A	नवीकरण तिथि पर वर्तमान मूल्य Present Value as on renewal Date	14007.391	12047.648
(ख) B	मौजूदा निधि के लिए अतिरिक्त अंशदान Additional Contribution for existing fund	31.836	948.225
(ग) 3	वर्तमान सेवा लागत /Current Service Cost	296.118	37.282
(घ) 4	छूट की दर /Discount rate	7.25%	7.25%

g) सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः/ Remuneration to Auditors :

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/Previous Year
ऑडिट शुल्क/Audit Fee	Rs 82.00/-	Rs 82.00/-

h) संबंधित पक्ष प्रकटीकरणः एएस–18 के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन का प्रकटीकरण। निगम का कोई संबंधित पक्ष नहीं है। वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को दिया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया हैः

Related Party Disclosure: As per AS-18 the disclosure of transactions with related parties Corporation does not have any related party. Remuneration paid to key managerial personnel during the year is given below:

क्र. सं. S. No.	नाम / Name	पद का नाम Designation	राशि हजारों में Amount in thousands
1.	डॉ. काजल / Dr. Kajal	प्रबंध निदेशक / Managing Director	शून्य / NIL
2.	श्री मुदासिर अहमद / Mr. Mudasir Ahmad	सीएफओ / CFO	2069.053
3.	श्रीमती कामाक्षी सिंह / Mrs. Kamakshi Singh	कंपनी सचिव / Company Secretary	1706.959

i) निगम ने ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और डीआरटी चंडीगढ़ की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया हैः

The Corporation has filed suit cases against the loan defaulters which are pending at various courts of UT of J&K & DRT Chandigarh. The details of which is given below:

क्र.सं. S.No	इकाई / पार्टी का नाम Name of the Unit/ Party	ऋण राशि रु. में Loan Amount in Rs.	अदालत Court	टिप्पणी Remarks
1	**मेसर्स एसके फूड्स, आईई खुनमोह, श्रीनगर** M/s S.K. Foods, I.E. Khunmoh, Srinagar	20.00 लाख / lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
2	मेसर्स क्यूएफ एंटरप्राइजेज, आईजीसी लस्सीपोरा पुलवामा M/s. Q.F Enterprises, IGC Lassipora Pulwama	20.00 लाख / lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
3	मेसर्स अप्सिलॉन फार्मा लैब, आईजीसी, लस्सीपोरा M/s Upsilon Pharma Lab, IGC , lassipora	30.00 लाख / lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
4	मेसर्स इलेक्ट्रोमैटिक, आई / ई बरजुल्ला, श्रीनगर M/s Electromatic, I/E Barzulla , Srinagar	24.37 लाख / lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial

क्र.सं. S.No	इकाई/पार्टी का नाम Name of the Unit/ Party	ऋण राशि रु. में Loan Amount in Rs.	अदालत Court	टिप्पणी Remarks
5	मेसर्स न्यू गश एंटरप्राइजेज, इचगाम बडगाम M/s New Gash Enterprises, Ichgam Budgam	64.32 लाख/lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
6	मेसर्स एल्वी ओरिएंटल्स, इचगाम बडगाम M/s Alvy Orientals, Ichgam Budgam	36.19 लाख/lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
7	7मेसर्स आलमदार स्टील इंडस्ट्रीज, आईजीसी लस्सीपोरा पुलवामा M/s Alamdar Steel Industries, IGC Lassipora Pulwama	27.96 लाख/lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
8	मैसर्स एसएसवायर्स एंड फैब्रिकेशन, जूनी पोरा हाजन M/s S.S.Wires & Fabrication, Zooni Pora Hajan	200.00 लाख/lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
9	मेसर्स विकास डॉक्यूमेंट सेंटर M/s Vikas Document Centre	35.58 लाख/lakh	ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) चंडीगढ़ Debt Recovery Tribunal (DRT) Chandigrah	**विचाराधीन** Under Trial
10	गुलज़ार अहमद भट एवं अन्य. Gulzar Ahmad Bhat & Ors.	25.00 लाख/lakh	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) श्रीनगर District Legal Services Authority (DLSA) Srinagar	**विचाराधीन** Under Trial
11	इश्फाक फैयाज भट एवं अन्य. Ishfaq Fayaz Bhat & Ors.	24.99 लाख/lakh	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) श्रीनगर District Legal Services Authority (DLSA) Srinagar	**विचाराधीन** Under Trial

क्र.सं. S.No	इकाई/पार्टी का नाम Name of the Unit/ Party	ऋण राशि रु. में Loan Amount in Rs.	अदालत Court	टिप्पणी Remarks
12	रौफ अहमद यातू एवं अन्य. Rouf Ahmad Yatoo & Ors.	25.00 लाख/lakh	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) श्रीनगर District Legal Services Authority (DLSA) Srinagar	**विचाराधीन** Under Trial
13	मोहम्मद अल्ताफ खांडे एवं अन्य. Mohammad Altaf Khanday & Ors.	18.27 लाख/lakh	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) श्रीनगर District Legal Services Authority (DLSA) Srinagar	**विचाराधीन** Under Trial
14	14डार फैजान रशीद एवं अन्य. Dar Faizan Rashid & Ors.	21.1 लाख/lakh	अपर जिला न्यायाधीश बैंक मामले (वाणिज्यिक न्यायालय) श्रीनगर Addl. District Judge Bank Cases (Commercial Court) Srinagar	**विचाराधीन** Under Trial
15	वसीम अशरफ भट एवं अन्य. Waseem Ashraf Bhat & Ors.	21.1 लाख/lakh	–वही– -Do-	**विचाराधीन** Under Trial
16	शमीम अहमद रेन्जू एवं अन्य. Shamim Ahmad Renzoo & Ors.	15.25 लाख/lakh	–वही– -Do-	**विचाराधीन** Under Trial

j) ब्याज प्राप्त होने पर ब्याज आय को एनपीए खातों में मान्यता दी जाती है।

Interest income is recognized in NPA accounts as and when interest is realized.

ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध दायर मुकदमों की स्थितिः

k) कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारीः

Corporate Social Responsibility:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रयोज्यता सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को पिछले वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च करना होगा।

As per section 135 Companies Act, 2013, a company, meeting the applicability threshold needs to spend at least 2% of its average net profit for the preceding financial years on corporate social responsibility (CSR).

क्र.सं. S.No	विवरण / Particulars	31-03-2025 तक / As on 31-03-2025
i)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि Amount required to be spent by the company during the year	1510.079
ii)	व्यय की राशि / Amount of expenditure incurred	1629.520
iii)	वर्ष के अंत में कमी / Shortfall at the end of the year	शून्य / Nil
iv)	पिछले वर्षों की कुल कमी / Total of previous years shortfall	शून्य / Nil
v)	कमी का कारण / Reason for shortfall	लागू नहीं / NA
vi)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति Nature of CSR activities	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, जेकेडीएफसी ने 16,29,520 / – रुपये (केवल सोसोलह लाख उनतीस हज़ार पाँच सौ बीस रुपये) मूल्य के 40 स्ट्रेचर और व्हीलचेयर खरीदे और उन्हें जम्मू, जम्मू और कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। यह दान 17.03.2025 को किया गया। To promote Healthcare in the region, JKDFC procured 40 No of Stretchers and Wheelchairs each amounting to Rs 16,29,520/- (Rupees Sixteen Lakhs Twenty-Nine Thousand Five Hundred and Twenty only) and donated it to Government Medical College, Jammu, J&K. This donation was done on 17.03.2025.
vii)	संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard	लागू नहीं / NA
On	जहां संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए– लागू नहीं Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately- NA	लागू नहीं / NA

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अंतर्गत सीएसआर देयता की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2023–24, 2022–23 और 2021–22 के औसत शुद्ध लाभ के 2: के आधार पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में किया गया अतिरिक्त व्यय ?119.394 हज़ार था। यह अतिरिक्त व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में समायोजित किया जा सकता था। इसके बाद बोर्ड ने 28–11–2024 को प्रस्ताव पारित करके यह संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में किए गए 119.394 हजार रुपये के अतिरिक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2024–25 में किए जाने वाले सीएसआर व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिससे वित्तीय वर्ष 2024–25 में खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि घटकर 1510.079 हजार रुपये (1629.473 रुपये–119.394 हजार रुपये) हो जाएगी।

The CSR liability is calculated on the basis of 2% of average net profits u/s section 198 of the companies act 2013 of the preceding three financial years i.e 2023-24, 2022-23 & 2021-22. The excess expenditure made in the financial year 2023-24 was Rs 119.394 thousands. This excess expenditure was eligible to be set off in financial year 2024-25 as per section 135 of the Companies act, 2013. Thereafter the Board by passing the resolution on 28-11-2024 resolved that the excess expenditure of Rs 119.394 thousands made in financial year 2023-24 to be set off against the CSR expenditure to be incurred in financial year 2024-25 thereby reducing the amount required to be spent in financial year 2024-25 to Rs 1510.079 thousands (Rs 1629.473-Rs 119.394 thousands).

l) गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड आरबीआई निर्देश 2016 दिनांक 01.09.2016 के पैरा 9(1) के प्रावधानों के तहत आवश्यक, 31–03–2025 तक अग्रिम का प्रावधान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिया गया है:

As required under the provisions of Para 9(1) of Non-Banking Financial (Non deposit accepting or holding) Companies Prudential Norms RBI directions 2016 dated 01.09.2016, a provision of Advances as on 31-03-2025 is given as per detail given below:

क्र. सं. S. No	परिसंपत्ति का प्रकार Type of Asset	राशि हजारों में (रु.) Amount in Thousands (Rs.)	प्रावधान (%) Provision (%)	राशि हजारों में (रु.) Amount in Thousands (Rs.)
1	उप मानक परिसंपत्तियाँ (क) अल्पकालिक ऋण (ख) दीर्घकालिक ऋण Sub Standard Assets a) Short term loan b) Long term loan	शून्य 30744.218/- (मूलधन) 2.500/- (अन्य शुल्क) Nil 30744.218/- (Principal) 2.500/- (Other charges)	शून्य Nil 10% 100%	शून्य Nil 3074.421 2.500
2	संदिग्ध संपत्ति (क) अल्पकालिक ऋण (ख) दीर्घकालिक ऋण Doubtful Assets (a) Short term loan (b) Long term loan	2001.00 /- (मूलधन) 17.481/- (अन्य शुल्क) 46049.39472/- (मूलधन) 112751.477/- (मूलधन) 80852.589/- (मूलधन) 1105.522/- (अन्य शुल्क) 2001.00/- (Principal) 17.481/- (Other charges) 46049.39472/- (Principal) 112751.477/- (Principal) 80852.589/- (Principal) 1105.522/- (Other charges)	 50% 100% 20% 30% 50% 100%	 1000.500 17.481 9209.879 33825.443 40426.294 1105.522

m) सामाजिक सुरक्षा पर नई संहिता, 2020 (संहिता) लागू हो गई है, जिसका प्रभाव कंपनी द्वारा भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में किए जाने वाले योगदान पर पड़ेगा। ये परिवर्तन कब से लागू होंगे, इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) ने 13 नवंबर, 2020 को संहिता के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। कंपनी अपना मूल्यांकन पूरा करेगी और संहिता के प्रभावी होने और संबंधित नियमों के प्रकाशित होने की अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव दर्शाएगी।

The new Code on Social Security, 2020 (the Code) has been enacted, which would impact the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which

the changes are applicable is yet to be notified. The Ministry of Labour and Employment (the Ministry) has released draft rules for the Code on November 13, 2020 and has invited suggestions from stake holders which are under active consideration by the Ministry. The Company will complete its evaluation and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

n) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

The Company has not done any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

o) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

p) कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है।

The Company has neither traded nor invested in Crypto Currency or Virtual Currency.

q) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 की धारा 45 और इसके तहत बनाए गए नियम) के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

There are no proceedings that has been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (section 45 of 1988 and the rules) made there under.

r) वर्ष के दौरान ओटीएस के तहत मैसर्स अल–नूर डेयरी, खुनमोह, श्रीनगर से साठ लाख रुपये की राशि वसूल की गई है।

During the year an amount of sixty lakh has been recovered from M/S AL-Noor Dairy, Khunmoh, Srinagar under OTS.

s) मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैलेंस शीट में दीर्घकालिक प्रावधानों के अंतर्गत दिखाए गए हैं, जबकि उप–मानक और संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैलेंस शीट में अल्पकालिक प्रावधानों के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

Provisions for standard assets have been shown under long term provisions in balance sheet however the provisions for sub standard & doubtful assets have been shown under short term provisions in balance sheet.

t) वर्ष के दौरान, कंपनी को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से अपने कार्यालयों के नवीनीकरण हेतु विशेष रूप से रु. 8034.00 हजार की राशि प्राप्त हुई। इस अनुदान में से रु. 1957.00 हजार की राशि नवीनीकरण कार्य हेतु उपयोग की गई। रु. 6077.00 हजार की अव्ययित राशि कंपनी के पास है और इसे 'वर्तमान देनदारियों' के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

During the year Company received an amount of Rs 8034.00 thousand from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Government of India, specifically for the renovation of its offices. An amount of Rs 1957.00 thousand of this grant has been utilized towards the renovation work. The unspent balance of Rs 6077.00 thousand is held by the Company and is presented under 'Current Liabilities'.

u) सरकारी अनुदान पर लेखांकन मानक (एएस)–12 के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित दृष्टिकोण लागू किया हैः–.

In accordance with Accounting Standard (AS)-12 on Government Grants, the company has applied the following approach: -.

आय दृष्टिकोणः मरम्मत और नवीनीकरण (राजस्व व्यय) के लिए 71.44 हजार रुपये की अनुदान राशि का उपयोग किया गया । चूँकि व्यय राजस्व प्रकृति का है, इसलिए इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह से राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

Income Approach: A grant amount of Rs 71.44 thousand utilized for repairs and renovations (revenue expenditure). Since the expenditure is of revenue nature, it has been booked fully as revenue expenditure during the current financial year.

अचल संपत्तियों (पूंजीगत व्यय) की खरीद के लिए उपयोग किए गए 1885.74 हजार रुपये के अनुदान को पूंजीगत दृष्टिकोण के तहत अचल संपत्तियों में दर्ज किया गया है, जिसमें एसएलएम आधार पर मूल्यह्रास कम किया जाएगा।

Capital Approach: A grant of Rs 1885.74 thousand utilized for the procurement of fixed assets (capital expenditure) has been booked in the fixed assets under Capital Approach with depreciation to be reduced on SLM basis.

नोट 1 से 18 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर अन्य नोट्स सहित) खातों का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें विधिवत प्रमाणित किया गया है।

Notes 1 to 18 (including Significant Accounting Policies and other Notes on Accounts) form an integral part of the accounts and have been duly authenticated.

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
As per our report of even date annexed.
विपिन सेठ एवं एसोसिएट्स के लिए
For Vipen Seht & Associates

ह./–
सीए विपिन सेठ
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 005958N
Sd/-
CA Vipen Seht
(Partner)
Membership No : 005958N

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.08.2025

Place : New Delhi
Dated: 20.08.2025

यूडीआई : 25084933BMLCVQ5345
UDIN: 25084933BMLCVQ5345

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
For and On Behalf of Board

ह./–
(डॉ. काजल) आईएएस
प्रबंध निदेशक
Sd/-
(Dr. Kajal) IAS
Managing Director

ह./–
(गौहर आरिफ)
महाप्रबंधक
Sd/-
(Gowhar Arif)
General Manager

ह./–
(कामाक्षी सिंह)
कंपनी सचिव
Sd/-
(Kamakshi Singh)
Company Secretary

ह./–
(गुरनीत तेज) आईएएस
निदेशक
Sd/-
(Gurneet Tej) IAS
(Director)

ह./–
मुदासिर अहमद
(सीएफओ)
Sd/-
Mudasir Ahmad
(CFO)

ह./–
(प्रियंका गुप्ता)
(प्रबंधक)
Sd/-
(Priyanka Gupta)
(Manager)

जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड बैलेंस शीट के अनुसूची

(जैसा कि गैर–बैंकिंग वित्तीय (गैर–डिपॉजिट स्वीकार करने वाली या रखने वाली) कंपनियों के प्रूडेंशियल मानदंड (भारतीय रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैरा 13 की शर्तों के अनुसार आवश्यक है)

31–03–2025 को समाप्त वर्ष के लिए

Schedule to the Balance sheet of J&K Development Finance Corporation Ltd.

[As required in terms of paragraph 13 of non-Banking Financial (non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2016]

(for the year ending on 31-03-2025)

(राशि रुपये लाख में)/(Rs in lakhs)

	विवरण / Particulars		
	देयताएँ / Liabilities side:		
(1)	गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित लेकिन चुकाए नहीं गए ब्याज सहित: / Loans and advances availed by the non-banking financial company inclusive of interest accrued thereon but not paid:	बकाया राशि / Amount outstanding	अतिदेय राशि / Amount overdue
	a) डिबेंचर : सुरक्षित / Debentures : Secured	निल / Nil	निल / Nil
	: असुरक्षित / Unsecmed	निल / Nil	निल / Nil
	(सार्वजनिक जमाकी परिभाषा में आने वालों को छोड़कर) / (other than falling within the meaning of public deposits)		
	b) स्थगित ऋण / Deferred Credits	निल / Nil	निल / Nil
	c) टर्म लोन / Term Loans	निल / Nil	निल / Nil
	d) इंटर–कारपोरेट ऋण एवं उधारी / Inter-corporate loans and borrowing	निल / Nil	निल / Nil
	e) वाणिज्यिक पत्र / Commercial paper	निल / Nil	निल / Nil
	f) अन्य ऋण (ओवरड्राफ्ट सहित) / Other Loans (Over draft}	निल / Nil	निल / Nil
	संपत्तियाँ / Assets Side	**बकाया राशि** / Amount outstanding	
(2)	**ऋण एवं अग्रिम की वर्गवार स्थिति (बिल्स रिसीवेबल सहित, नीचे दिए गए (4) को छोड़कर):** / Break-up of Loans and Advances including bills receivables [other than those included in (4) below]:	राशि रु. 5580.50 निल Rs 5580.50 Nil	
	a) सुरक्षित / Secured		
	b) असुरक्षित / Unsecmed		
(3)	लीज परिसंपत्तियों एवं हायर पर स्टॉक तथा एफसी गतिविधियों की अन्य परिसंपत्तियों का विवरण: / Break up of leased assets and stock on hire and other assets counting towards AFC activities		
	(i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियाँ: / Lease assets including lease rentals under sundry debtors:		
	(क) वित्तीय पट्टा / Financial lease	निल / Nil	
	(ख) परिचालन पट्टा / Operating lease	निल / Nil	
	(ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया शुल्क सहित किराये पर स्टॉक: / Stock on hire including hire charges under sundry debtors:		
	(क) किराये पर परिसंपत्तियाँ / Assets on hire	निल / Nil	
	(ख) पुनः प्राप्त परिसंपत्तियाँ / Repossessed assets	निल / Nil	

	(iii) एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण / Other loans counting towards AFC activities	
	(क) ऐसे ऋण जिनमें परिसंपत्तियों का पुनः कब्जा कर लिया गया है / (a) loans where assets have been repossessed	निल / Nil
	(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण / (b) loans other than (a) above	निल / Nil
(4)	**निवेश का मदवार विवरण** : / Break up of investments:	
	वर्तमान निवेश : / Current Investments:	
	1. उद्धृत / Quoted:	
	(i) शेअर (क) इक्यूटी / Shares: (a) Equity	निल / Nil
	(ख) प्रेफरेंस / (b) Preference	निल / Nil
	(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स / Debentures and Bonds	निल / Nil
	(iii) म्यूचुअल फंड यूनिट्स / Units of mutual funds	निल / Nil
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	निल / Nil
	(v) अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (please specify)	
	2. अनउद्धृत / Unquoted:	
	(i) शेअर (क) इक्यूटी / Shares: (a) Equity	निल / Nil
	(ख) प्रेफरेंस / (b) Preference	निल / Nil
	(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स / Debentures and Bonds	निल / Nil
	(iii) म्यूचुअल फंड यूनिट्स / Units of mutual funds	निल / Nil
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	निल / Nil
	(v) अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (please specify)	निल / Nil
	दीर्घकालिक निवेश / Long term investments:	
	1. उद्धृत / Quoted:	
	(i) शेअर (क) इक्यूटी / Shares: (a) Equity	निल / Nil
	(ख) प्रेफरेंस / (b) Preference	निल / Nil
	(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स / Debentures and Bonds	निल / Nil
	(iii) म्यूचुअल फंड यूनिट्स / Units of mutual funds	निल / Nil
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	निल / Nil
	(v) अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (please specify)	
	2. अनउद्धृत / Unquoted:	
	(i) शेअर (क) इक्यूटी / Shares: (a) Equity	निल / Nil
	(ख) प्रेफरेंस / (b) Preference	निल / Nil
	(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स / Debentures and Bonds	निल / Nil
	(iii) म्यूचुअल फंड यूनिट्स / Units of mutual funds	निल / Nil
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	निल / Nil
	(v) अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (please specify)a	निल / Nil

(5) ऊपर वर्णित कॉलम संख्या (2) एवं (3) में उधारकर्ता समूहवार परिसंपत्तियों का वर्गीकरणः / Borrower groupvise classification of assets financed as in (2) and (3) above:

	श्रेणी / Category	**लेखाकंन में प्रावधान / Amount Net of Provisions**		
		सुरक्षित / Secured	**असुरक्षित / Unse cured**	**कुल / Total**
	(i) संबधित पार्टीयां / Related parties	निल / Nil	निल / Nil	निल / Nil
	क. सहायक कंपनियाँ / Subsidiaries	निल / Nil	निल / Nil	निल / Nil
	ख. समूह की अन्य कंपनियाँ / Companies in the same group	निल / Nil	निल / Nil	निल / Nil
	ग. अन्य संबंधित पार्टीयां / Other related parties	निल / Nil	निल / Nil	निल / Nil
	(ii) अन्य (संबंधित पक्षों के अतिरिक्त) / Other than related parties	रु. 4686.77	निल / Nil	रु. 4686.77
	कुल / Total	**रु. 4686.77**	**निल / Nil**	**रु. 4686.77**

(6)	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्भूत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः / Jnvestor group-wise classification of all investments (current and long term) in shares and securities (both quoted and unquoted):		
	श्रेणी / Category	**बाजार मूल्य / उचित मूल्य या एनएवी का विवरण / Market value/break up of fair value or NAV**	**बही मूल्य (लेखांकन मेंप्रावधानों का शुद्ध मूल्य) / Book Value (Net of Provisions)**
	(i) संबधित पार्टीयां / Related parties		
	क. सहायक कंपनियाँ / Subsidiaries	निल / Nil	निल / Nil
	ख. समूह की अन्य कंपनियाँ / Companies in the same group	निल / Nil	निल / Nil
	ग. अन्य संबंधित पार्टीयां / Other related parties	निल / Nil	निल / Nil
	(ii) अन्य (संबंधित पक्षों के अतिरिक्त) / Other than related parties	निल / Nil	निल / Nil
(7)	**अन्य जानकारीः / Other information**		
	विवरण / Particulars		**राशि / Amount**
	(i) सकल अनुत्पादक परिसंपत्तियाँ / Gross Non-Performing Assets		
	(क) संबंधित पार्टी / (a) Related parties		निल / Nil
	(ख) संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य / (b) Other than related parties		रु. 2735.24
	(ii) शुद्ध अनुत्पादक परिसंपत्तियाँ / Net Non-Performing Assets		
	(क) संबंधित पार्टी / (a) Related parties		निल / Nil
	(ख) संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य / (b) Other than related parties		रु. 1848.62
	(iii) ऋण के समायोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ / Assets acquired in satisfaction of debt		निल / Nil

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of lndia under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 August 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the

Comptroller & Anditor General of India

Sd/-

(Dr. Pawan Kumar Konda)

OSD

(Industry & Corporate Affairs)

Place: New Delhi

Date: 12/09/2025

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर, भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्याः एएमजीIII/6(21)/ जेकेडीएफसी/
वार्षिक खाते(2024-25)/ 2025-26/257-258
दिनाँकः 12 SEP 2025

सेवा में

प्रबंध निदेशक
जम्मू एवं कश्मीर डेव्लपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड,
ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन,
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू,
जम्मू एबं कश्मीर- 180014

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर डेव्लपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर डेव्लपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक वितीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

पवन 12/11/25

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओ.एस.डी.
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नकः- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

JKDFC

JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, जवाहर लाल नेहरू उद्योग भवन, रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) — 180012

Regd. Office : Ground Floor, Jawahar Lal Nehru, Udyog Bhawan, Rail Head Complex, Jammu (J&K) - 180012

कॉपोरेट कार्यालयः भूतल, संगत घर, बेमिना, श्रीनगर (जे एंड के)—190014

Corporate Office : Ground Floor, Sanat Ghar, Bemina, Srinagar (J&K) - 190014

शाखा कार्यालयः प्रथम तल, डीआरडीए भवन, चीता चौक, लेह—194101

Branch Office : 1st Floor, DRDA Building, Cheetah Chowk, Leh - 194101

शाखा कार्यालयः पहली तल, आरएंडबी भवन, नया बस स्टैंड, इकबाल पुल के पास, कारगिल यू.टी लद्दाख—194103

Branch Office : 1st Floor, R&B Building, New Bus Stand, Near Iqbal Bridge, Kargil U.T of Ladakh-194103